लोक-सभा
वाद-विवाद

(द्वितीय माला)

खण्ड २९, १९५९/१८८१ (शक)

[६ अप्रैल से २० अप्रैल, १९५९/ १६ चैत्र से ३० चैत्र, १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On 11.11.83
Parliament Library

सातवां सत्र १९५९/१८८१ (शक)
(खण्ड २९ में अंक ४१ से ५० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

79 (Ai) LSD—9.

विषय-सूची

पृष्ठ

[द्वितीय माला, खण्ड २९, अंक ४१ से ५०—६ अप्रैल से २० अप्रैल १९५९/१६ चैत्र से ३० चैत्र १८८१ (शक)]

अंक ४१ सोमवार, ६ अप्रैल, १९५९/१६ चैत्र १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६५ से १६६८, १६७०, १६७१, १६७४, १६७५ और १६७८ से १६८३ . . ४७९३—४८१७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६९, १६७२, १६७३, १६७६, १६७७ और १६८४ से १६९० . . . ४८१७—२३

अतारांकित प्रश्न संख्या २७०८ से २७६१ ४८२३—४२

स्थगन प्रस्तावों के बारे में ४८४३

लोक-लेखा समिति—

बारहवां प्रतिवेदन. ४८४३

याचिकायें ४३४३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

नहरी पानी के सम्बन्ध में भारत-पाकिस्तान अन्तरिम करार. ४८४३—४४

तारांकित प्रश्न संख्या ७२२ के उत्तर की शुद्धि ४८४५

अनुदानों की मांगें—

श्रम और रोजगार मंत्रालय ४८४५—९७

दैनिक संक्षेपिका. . . . . ४७९८—४९०२

अंक ४२, मंगलवार, ७ अप्रैल, १९५९/१७ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६९३, १६९६ से १७०१, १७०३, १७०७, १७११ से १७१५ और १७१८ से १७२० ४९०३—२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६९१, १६९२, १६९४, १६९५, १७०२, १७०४ से १७०६, १७०८ से १७१०, १७१६ और १७१७ ४९२५—३०

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या २७६२ से २८०६ और २८११ से २८१४ ४६३०—५०

स्थगन प्रस्ताव

दलाई लामा के भारत पहुंचने के समाचार की नई दिल्ली से पहले पीकिंग द्वारा घोषणा ४६५०–५१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ४६५१–५२

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही-सारांश . . ४६५२

तारांकित प्रश्न संख्या ६३३ के उत्तर की शुद्धि . . ४६५३

अनुदानों की मांगें . . . . ४६५३—५७, ४६५८—५०२०

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . ४६५३—५७, ४६५ —५०२०

सभा का कार्य ४६५७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५०२१—२५

अंक ४३, बुधवार, ८ अप्रैल, १६५६/१८ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२१ से १७२६, १७२८ से १७३२, १७३४, १७३५, १७३७ से १७३६ और १७४१ से १७४३ . . ५०२७—५३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ . . ५०५३—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२७, १७३३, १७३६, १७४० और १७४४ से १७४८ . . . . . ५०५५—५६

अतारांकित प्रश्न संख्या २८१५ से २८६७ . . ५०५६—८२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५०८३

अनुदानों की मांगें . . . . . ५०८३—५१३५

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . . ५० ३—५१०३

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . . ५१०४—३५

दैनिक संक्षेपिका . . . ५१३६—३६

अंक ४४, बृहस्पतिवार, ६ अप्रैल, १६५६/१६ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७४६ से १७५४, १७५६ से १७६२, १७६४, १७६६, १७६७, १७६६ से १७७१, १७७३ और १७६५ ५१४१—६७

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७५५, १७६३, १७६८ और १७७२ . ५१७—६८

अतारांकित प्रश्न संख्या २८६८ से २९१७ . ५१६८—९०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २० . . . ५१९०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ५१९१

तारांकित प्रश्न संख्या ११५१ के उत्तर की शुद्धि ५१९१

विधेयक पर राय ५१९१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
इकतालीसवां प्रतिवेदन ५१९२

प्राक्कलन समिति
पचासवां प्रतिवेदन . . . ५१९२

अनुदानों की मांगें . . . ५१९२—५२४६

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . ५१९२—५२३०

पुनर्वास मंत्रालय ५२३०—४६

दैनिक संक्षेपिका ५२४७—५०

अंक ४५, शनिवार, ११ अप्रैल, १९५९/२१ चैत्र, १८८१ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . ५२५१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७४ से १७७६, १७७८, १७७९, १७८१, १७८३ से १७८५, १७८७, १७८८, १७९० से १७९३, १७९५, १७९६, १७९८, १८०० और १८०१, १७८२ ५२५१—७५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २१ . ५२७६—७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७८०, १७८६, १७८९, १७९४, १७९७ और १७९९ . . . ५२७७—७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २९१८ से २९३० और २९३२ से २९६६ ५२८९—९७

स्थगन प्रस्ताव . ५२९७—९८

सभा-पटल् पर रखा गया पत्र . ५२९८

सभा का कार्य . . . . . ५२९८—९९

सरकारी भाषा के सम्बन्ध में संसद् की समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा के बारे में . . ५२९९

अनुदानों की मांगें . . . . ५२९९—५३३५

पृष्ठ

पुनर्वास मंत्रालय . . . ५२९९—५३२८

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय . . ५३२८—३५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकतालीसवां प्रतिवेदन ५३३५

विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कदाचार की जांच करने के लिये संसद् सदस्यों की एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प . ५३३५—४३

बन्दरों के निर्यात के बारे में संकल्प . . ५३४३—४७, ५३५०—५२

पाकिस्तान में भारतीय वायु सेना के एक विमान को गोली मार कर गिरा देने के बारे में वक्तव्य ५३४७—५०

दैनिक संक्षेपिका ५३५३—५७

अंक ४६, मंगलवार, १४ अप्रैल, १९५९/२४ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८०२ से १८०६, १८०८, १८१३, १८१६, १८१७, १८१९ से १८२१ और १८२४ से १८२७ ५३५९—८२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २२ ५३८२—८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८०७, १८०९ से १८१२, १८१४, १८१५, १८१८, १८२२, १८२३ और १८२८ . . . ५३८४—८९

अतारांकित प्रश्न संख्या २९६७ से ३०२१ और ३०२३ से ३०३१ . ५३८९—५४२०

स्थगन प्रस्ताव—

सीमा घटना ५४ १—२२

सभा-पटल पर रखा गया पत्र . ५४२२

प्राक्कलन समिति—

बावनवां प्रतिवेदन ५४२३

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक—पुर:स्थापित ५४ ३

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया के निलम्बन काल के परिहार के बारे में . ५४२३

अनुदानों की मांगें . . . ५४ ३—७२

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय ५४२३—७२

दैनिक संक्षेपिका . ५४७३—७७

अंक ४७, बुधवार, १५ अप्रैल, १९५९/२५ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८२९ से १८३५, १८३७, १८३८, १८४० से १८४३, १८४५ से १८४७ और १८४९ से १८५२ ५४७९—५५ ४

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८३६, १८३९, १८४४, १८४८ और १८५३ . ५५०४—०६

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०३२ से ३०८१ और ३०८३ से ३११३ . ५५०६—३८

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया के निलम्बन काल के परिहार के बारे में . ५५३९

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . ५५३९

सभा-पटल पर रखा गया पत्र . . ५५३९

प्राक्कलन समिति

सैंतालीसवां प्रतिवेदन . . ५५३९

अनुदानों की मांगें . . . ५५३९—६३, ५५६४—८६

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय . . ५५३९—५५

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . ५५५५—६३, ५५६४—८६

याचिकायें ५५६३–६४

अनुदानों की मांगों पर मुखबन्ध के बारे में . ५५८७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५५८८—९२

अंक ४८, गुरुवार, १६ अप्रैल, १९५९/२६ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८५४ से १८५७, १८५९, १८६०, १८६३, १८६५, १८६७, १८६९, १८७०, १८७२, १८७३, १८७६ से १८७८ और १८८० . . . . ५५९५—५६१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८५८, १८६१, १८६२, १८६४, १८६६, १८६८, १८७१, १८७४, १८७५, १८७९, १८८१ से १८८३ और १७७७ . ५६१९—२४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३११४ से ३१९० . ५६२४—५४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ५६५४–५५

प्राक्कलन समिति .

अड़तालीसवां प्रतिवेदन ५६५५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

बयालीसवां प्रतिवेदन . . . ५६५५

तारांकित प्रश्न संख्या ७७५ के उत्तर की शुद्धि ५६५५

अनुदानों की मांगें . . . . . ५६५६—५७०१

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . ५६५६—७७

पृष्ठ

वित्त मंत्रालय . . . . ५६७८—५७०१

कार्य मंत्रणा समिति

सैंतालीसवां प्रतिवेदन ५७०१

दैनिक संक्षेपिका . . . . ५७०२—०७

अंक ४६, शनिवार, १८ अप्रैल, १९५९/२८ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८८४, १८८६, १८८७, १८८९, १८९१ से १८९७, १९०० से १९०३ और १९०५ . . ५७०९—२९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २३ . . . ५७२९—३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८८५, १८८८, १८९०, १८९८, १८९९, १९०४ और १९०६ . . . . ५७३२—३५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३१९१ से ३२४५ ५७३५—५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ५७५७

प्राक्कलन समिति

(१) कार्यवाही सारांश ५७५७

(२) अड़तीसवां प्रतिवेदन ५७५७

कार्य मंत्रणा समिति

सैंतीसवां प्रतिवेदन ५७५७

सभा का कार्य ५७५८

अनुदानों की मांगें . . . . . ५७५८—८०

वित्त मंत्रालय . . . . . ५७५८—८०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

बयालीसवां प्रतिवेदन ५७८०

विधेयक पुरस्थापित . . . . . ५७८०—८१

(१) श्री काशीनाथ पाण्डे का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा ३८३ क का रखा जाना) . . . ५७८०—८१

(२) श्री बाल्मीकी का अखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी विधेयक ५७८१

मध्यस्थता (संशोधन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . . ५७८१—८७

पृष्ठ

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक . . . . ५७८७—९६

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—वापस लिया गया

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५७९७—५८०१

अंक ५०, सोमवार, २० अप्रैल, १९५९/३० चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९०७ से १९११, १९१३ से १९१५, १९१७, १९२०, १९२२, १९२४, १९२५ और १९२७ से १९३१ . ५८०३—२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९१२, १९१६, १९१८, १९१९, १९२१, १९२३ और १९२६ . . . . . ५८२७—२९

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२४६ से ३३१६ . . . ५८३०—५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५५ के उत्तर की शुद्धि . . ५८५८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . ५८५८—५९

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ५८५९

प्राक्कलन समिति

उनचासवां प्रतिवेदन . . . ५८६०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

१६ अप्रैल, १९५९ को इरोड पर कोचीन एक्सप्रेस की दुर्घटना ५८६०—६१

अनुदानों की मांगें . ५८६१—८२

वित्त मंत्रालय . ५८६१—८२

वित्त विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ५८८२—५९०४, ५९०५—१६

विनियोग (संख्या २) विधेयक पारित . . ५९०४—०५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५९१७—२२

नोट: मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

बुधवार, १५ अप्रैल, १९५९ २५ चैत्र, १८८१ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सिक्का पत्तन का विकास

+

†*१८२९. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राटरडम पत्तन के उप निदेशक सिक्का पत्तन गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किस विकास का सुझाव दिया है ; और

(ग) तो क्या उसे गहरा पत्तन बनाया जा सकता है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी हां ।

(ख) श्री पोस्थुमा के प्रतिवेदन की अग्रिम प्रतिलिपि इस मंत्रालय में एक सप्ताह हुआ प्राप्त हुई थी जिसकी जांच की जा रही है ।

(ग) इसका निर्णय भारत सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर गहन विकास करने के लिये मध्यवर्ती पत्तन की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थान का चुनाव करने के बारे में नियत की गई मध्यवर्ती पत्तन विकास समिति की सिफारिशों पर निर्भर करेगा ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या कांडला पर विचार करते समय सिक्का पत्तन के मामले पर विचार किया गया था ?

†**श्री राज बहादुर :** जी हां, इस पर पश्चिमी तट बड़े पत्तन विकास समिति द्वारा विचार किया गया था ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह सच नहीं कि वहां पर एक अच्छा खासा सीमेंट का कारखाना है और उसके आस-पास की जमीन अच्छी है ? यदि ऐसा है तो क्या सरकार शीघ्र ही इस मामले में विचार करने जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री राज बहादुर** : सीमेंट का कारखाना तो वहां है । वहां की आस-पास की जमीन के बारे में जो कुछ जानकारी हमें है उससे स्पष्ट है कि वह कांडला से उसकी तुलना नहीं कर रहे हैं । सिक्का के बारे में हम दिलचस्पी रखते हैं किन्तु प्रश्न यह है कि क्या उसका विकास एक बड़े पत्तन के रूप में हो सकता है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : इस पत्तन से होकर प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत माल आता-जाता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कांडला अथवा सिक्का ?

†**श्री सुबोध हंसदा** : सिक्का ।

†**श्री राज बहादुर** : मैं एक दम नहीं कह सकता किन्तु वहां एक सीमेंट का कारखाना है और सीमेंट का अधिकांश निर्यात वहीं से किया जाता है ।

†**श्री ओझा** : क्या यह सच नहीं कि सिक्का एक औद्योगिक क्षेत्र है और उसके आस-पास अनेक उद्योगों का विकास किया जा सकता है ?

†**श्री राज बहादुर** : यही तो मैं कहता हूं । वहां औद्योगिक पत्तन के विकास की क्षमता और संभावनाएं दोनों ही हैं । हां यह हो सकता है कि वह एक बड़े पत्तन के रूप में न हों ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : प्रथम पंचवर्षीय योजना में और अब तक इस पर कितनी राशि व्यय की गई है ?

†**श्री राज बहादुर** : क्या सिक्का पर ? प्रथम योजना काल में नौवहन संबंधी सुधार और प्रकाश व्यवस्था के लिये १२,००० रुपये व्यय किये गये । द्वितीय योजना में कोई उपबन्ध न हीं है ।

स्टेशनों पर बिजली लगाना

+

†*१८३०. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ग्राम विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाने के बारे में कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ; और

(ख) ग्राम विद्युतीकरण योजना में ऐसे कितने स्टेशन शामिल किये जायेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). द्वितीय योजना में ९८० स्टेशनों पर बिजली लगाने का कार्यक्रम तैयार किया गया है । इनमें वे स्टेशन भी शामिल हैं जिनमें राज्य सरकारों की ग्राम विद्युतीकरण योजना के अधीन विद्युत उपलब्ध होगी ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या यह सच है कि द्वितीय योजना काल में विद्युतीकरण की प्रगति बहुत धीमी रही है, यदि ऐसा है तो उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** जी नहीं। योजना में जिन ९८० स्टेशनों के बारे में कार्यक्रम बनाया गया था उनमें से ६०० स्टेशनों पर बिजली लग चुकी है। इस वर्ष १७५ स्टेशनों पर और बिजली लगाने का काम किया जायेगा और आगामी वर्ष २०५ स्टेशनों पर काम पूरा हो जायेगा।

†**श्री सिंहासन सिंह :** क्या गोरखपुर मुख्यालय के पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर के जलविद्युत् डिवीजन से बिजली ली है, यदि ऐसा है तो उसने वहां से कितनी बिजली ली है ? कितनी बिजली मिल सकती है और उस लाइन के सारे स्टेशनों पर बिजली क्यों नहीं लगवाई जाती है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह ९८० स्टेशनों में से एक है। क्या वह यह आशा करते हैं कि माननीय मंत्री इस बारे में सारी जानकारी अपने साथ रखते हैं ?

†**श्री सिंहासन सिंह :** मैं मुख्यालय की बात कर रहा था।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि माननीय मंत्री सारी जानकारी रखते हों तो बता दें क्योंकि वह दक्षिण भारत के रहने वाले हैं।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** इसको कार्यक्रमानुसार किया जायेगा।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव :** प्राक्कलन समिति ने सिफारिश की थी कि जहां तक विद्युत उपलब्ध होगी ऐसे सारे स्टेशनों पर बिजली लगवा दी जायेगी। क्या तब से उन सारे स्टेशनों पर बिजली लगवा दी गई है जहां बिजली उपलब्ध है क्योंकि रेलवे बोर्ड ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** इस सिफारिश के बारे में कठिनाई यह है कि यात्री सुविधा निधि में से १५ करोड़ रुपये इस काम के लिये आवंटित कर दिये गये हैं जिसमें से १३ करोड़ रुपये पहले ही समाप्त हो चुके हैं। अब केवल दो करोड़ रुपये बचे हैं जिसमें से न केवल बिजली ही लगनी है किन्तु अन्य सभी सुविधा जैसे प्रतीक्षालयों आदि की व्यवस्था भी तो करनी है। अतः अन्य चीजों के साथ ही यह काम होगा।

†**श्री स० चं० सामन्त :** निधि की कमी के कारण कितने स्टेशनों पर बिजली नहीं लग सकी यद्यपि बिजली वहां उपलब्ध थी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** इसके लिये मैं पूर्व सूचना चाहूंगा।

†**श्री श्रीनारायण दास :** चुनाव किस आधार पर किया गया है, क्या किसी बिजलीघर का समीप होना इसका आधार रखा गया है अथवा अन्य कोई कसौटी लागू की गई है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** कई बातों को ध्यान में रखा जाता है जिसका निबटारा यात्री सुविधा समिति करती है और वही प्राथमिकता-क्रम स्थिर करती है।

†**श्री जाधव :** कितने स्टेशनों पर तापीय विद्युत् लगेगी और कितने स्टेशनों पर जल विद्युत् की व्यवस्था होगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मैं इसके लिये पूर्वसूचना चाहूंगा।

†**श्री सम्पत :** क्या भिन्न-भिन्न खंडों के अलग-अलग आंकड़े बताये जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : खेद है कि इसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। यदि अलग से इस बारे में प्रश्न पूछा जाये तो मैं उत्तर दे सकूंगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : स्टेशनों पर बिजली लगाने धाम यात्री सुविधा निधि को कब से नियत कर दिया गया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : प्राक्कलन समिति के तीसवें प्रतिवेदन में जो सिफारिशें की गई हैं यह उन्हीं में दिया गया है।

नौवहन भाड़ा दर

+
†*१८३१.
श्री नागी रेड्डी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्रीश्रीमती पार्वती कृष्णन् :
वासुदेवन नायर :
श्री जीनचन्द्रन् :
श्री पांगरकर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २७ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २७३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नौवहन भाड़ा दर की समस्या, जो विचाराधीन थी, का सामना करने के लिये एक नियमित संगठन स्थापित करने के बारे में अब क्या स्थिति है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : भाड़ा जांच-पड़ताल ब्यूरो नामक एक संगठन इस समस्या को सुलझाने के लिये बम्बई में स्थापित किया गया है।

†**श्री नागी रेड्डी** : अब तक ब्यूरो को भाड़े के बारे में भेद-भाव रखने के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं ठीक-ठीक संख्या नहीं बता सकता ब्यूरो अभी हाल ही में खुला है और मैं यह नहीं कह सकता कि उसने पूरी गति से कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

†**श्री नागी रेड्डी** : क्या यह सच है कि बर्मा और लन्दन तथा मलाया और लन्दन के बीच भाड़े की दर भारत और लन्दन के बीच जो भाड़ा है उससे कम है ?

†**श्री राज बहादुर** : हमारे पास इस प्रकार की शिकायतें आई हैं तथा भाड़ा जांच-पड़ताल ब्यूरो की स्थापना इन्हीं शिकायतों और बातों का पता लगाने के लिये की गई है।

†**श्री वासुदेवन नायर** : १९५८ में भाड़ा दर के रूप में कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया था ?

†**श्री राज बहादुर** : यह बड़ा विशद प्रश्न है जिसका उत्तर गैर-सरकारी और सरकारी जहाजों के मालिक देंगे। मेरे विचार से यह राशि १५० करोड़ रुपये हो सकती है।

†**श्री नागी रेड्डी** : स्थापित की गई समिति की रचना क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : यह समिति न होकर एक नियमित विभाग है जिसके अध्यक्ष नौवहन महानिदेशालय के एक वरिष्ठ उप महानिदेशक के पद के हैं तथा अन्य कर्मचारी वर्ग भी उसक है ।

दिल्ली में परिवहन सुविधायें

+

*१८३२. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री पांगरकर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २७ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २७७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में परिवहन सुविधाओं में सुधार के लिये इस बीच और क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) इनके परिणामस्वरूप स्थिति में कहां तक सुधार हुआ है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). दिल्ली के परिवहन प्रशासन की ओर से १–१२–५८ से अब तक पर्यटन को २१ मोटर गाड़ियों (टूरिस्ट कार्स), ७५ टैक्सियों व दो सवारी वाली १११ आटो रिक्शा गाड़ियों के लिये और परमिट दिये गये हैं । अनेक रास्तों पर दिल्ली परिवहन की बसों का आना जाना और ज्यादा कर दिया है । इन सब उपायों के कारण अब स्थिति में काफी सुधार हो गया है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या शासन के ध्यान में यह बात आई है कि दिल्ली में परिवहन की सुविधाओं में बढ़ोतरी होने के बावजूद भी अभी तक दिल्ली में बम्बई और कलकत्ते के मुकाबले में देरी से बसें चलती हैं और किराया भी अधिक है ? क्या इस संबंध में कुछ विचार किया जा रहा है ?

श्री राज बहादुर : किराये के बारे में तो यह नहीं कहा जा सकता कि सारी ही दरें बम्बई से अधिक हैं । जहां तक मुझे मालूम है, मैं याददाश्त से कहता हूं कुछ दरें कम हैं पर अधिकांश में ज्यादा हैं । जहां तक सर्विस की न्यूनता का प्रश्न है, उसके बारे में यह स्वीकार किया जा चुका है कि यह सुविधा और भी अधिक बढ़ाई जानी चाहिये ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या शासन को जानकारी में यह बात आई है कि कुछ सड़कों पर जो प्राइवेट बसें चलती थीं और जिनके कि किराये कम थे उन्हें हाल ही में हटा दिया गया है और उनकी जगह पर डी० टी० यू० की बसें चला दी गई हैं जिनका कि किराया अधिक है और जिससे कि जनता को परेशानी हुई है और क्या इस संबंध में विचार किया जायेगा ?

श्री राज बहादुर : हमारा अन्तिम लक्ष्य तो यही है कि दिल्ली के सारे परिवहन का राष्ट्रीयकरण हो और यह इसी आधार पर चल कर संभव हो सकता है । वैसे मुझे इस संबंध में कोई निश्चित सूचना नहीं है ।

†**डा० सुशीला नायर** : मुझे पता लगा है कि दिल्ली में खराब होने वाली बसों की संख्या अधिक रहती है । अतः बसों की देखभाल, मरम्मत और उनको पुनः चलने योग्य बनाने के लिये दिल्ली में क्या प्रबन्ध किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर :** मैं यह नहीं कह सकता कि ऐसा अधिक बसें खराब रहने के कारण होता है। मैं समझता हूं कि जहां तक इसका संबंध है, तुलना नहीं की जानी चाहिये। यह सच है कि बहुत सी बसें सड़क पर इसलिये नहीं चलाई जातीं कि फालतू पुर्जेन मिलने के कारण उनकी मरम्मत नहीं की जा सकती। गाड़ियों के फालतू पुर्जों के संभरण के लिये ९ लाख रुपये के मूल्य का आर्डर हाल ही में दिया गया है और जहां तक इतनी बसों से अधिकतम लाभ उठाने का संबंध है स्थिति में अवश्य सुधार होगा।

†**श्री वी० चं० शर्मा :** क्या मंत्रालय ने दिल्ली में १९६२ तक परिवहन की समस्या का कोई हिसाब लगाया है। यदि ऐसा है तो कितनी बसों, मोटर रिक्शों तथा परिवहन के अन्य कौन-कौन से साधनों की आवश्यकता होगी और क्या मंत्रालय दिल्ली में उस समय तक की आवश्यकता की पूर्ति करेगी ?

†**श्री राज बहादुर :** माननीय सदस्य ने मंत्रालय का उल्लेख किया है। मंत्रालय के ऊपर इसका दायित्व नहीं है। यह तो दिल्ली निगम की परिवहन समिति का काम है जो इसे करेगी। हम तो उसे इस मामले में यथाशक्ति सहायता और सहयोग देंगे।

श्री अ० मु० तारिक : श्रीमन्, अभी वजीर साहब ने यह फरमाया है कि यह तो दिल्ली कारपोरेशन का फर्ज है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकारी मुलाजमीन और आम पबलिक को आज जो ट्रांसपोर्ट की सहूलियत मुहैय्या न होने की वजह से दिक्कत होती है उसको दूर करने के लिये मरकजी सरकार क्या कोई अपनी बसेज़ चलाने का इरादा रखती है या प्राइवेट लोगों को बसेज़ चलाने की इजाजत देगी ताकि लोगों की और सरकारी मुलाजमीन की ट्रांसपोर्ट की दिक्कत दूर हो ?

†**श्री राज बहादुर :** इस संसद् द्वारा दिल्ली कारपोरेशन को कायम करते वक्त जो कानून पास किया गया है उसकी रू से यह जिम्मेदारी कारपोरेशन को सौंपी गई है और जैसे कि मैंने पहले भी कहा सेंट्रल गवर्नमेंट जहां भी उसके लिये इमदाद देना मुमकिन हो सकता है, इस जानिब इमदाद देने को तैयार है।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या हाल ही में कोई ऐसी कमेटी बनाई गई थी जिसने मौजूदा जो भी बसों की तादाद है उसके आधार पर कुछ ऐसे सुझाव दिये हैं जिनसे कि यात्रियों को आने जाने की सुविधा हो ?

†**श्री राज बहादुर :** दिल्ली ट्रांसपोर्ट कमेटी जो कि कारपोरेशन के तत्वाधान में काम करती है वह इस कार्य में संलग्न है।

†**अध्यक्ष महोदय :** दिल्ली हैडक्वार्टर्स है। माननीय सदस्यों तक को बसें मिलने में कठिनाई होती है। यदि निगम बसों की व्यवस्था नहीं कर पाता है तो माननीय सदस्य श्री अ० मु० तारिक यह पूछते हैं कि गैर सरकारी उद्योग को इसके लिये अनुमति क्यों नहीं दी जाती। आखिर मुख्य प्रश्न तो परिवहन का है। जहां तक इन मामलों का संबंध है मैं दिल्ली के बारे में प्रश्नों का उत्तर इन मंत्रियों द्वारा दिये जाने की अनुमति दे रहा हूं। यह उत्तरदायित्व केन्द्र का है। चूंकि हम यहां हैं इस कारण सदस्य के प्रमुख कृित का ध्यान हमें रखना चाहिये। हमें सरकारी अथवा गैर-सरकारी के झगड़े में नहीं पड़ना है। यदि जनता को बसें नहीं उपलब्ध होती हैं तो उसके लिये प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर :** मैं आपको आश्वासन दिला सकता हूं कि हम परिवहन उपक्रम के बारे में भी यथासंभव प्रश्नों का उत्तर देने के लिये तैयार हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** सारे भारत के बारे में नहीं, अपितु केवल दिल्ली के बारे में ही ।

†**श्री राज बहादुर :** निगम गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन काम करता है । निगम स्वयं एक स्वायत्तशासी निकाय है । हमको जितनी भी जानकारी मालूम होती है वह हम सारी जानकारी देते हैं ।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : माननीय मंत्री ने इस प्रश्न का उत्तर देना क्यों स्वीकार किया ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस प्रश्न को गृह-कार्य मंत्री के पास भेज सकता था । कभी-कभी स्वास्थ्य मंत्री भी कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हैं किन्तु जब अनुपूरक प्रश्न पूछ जाते हैं तो वह कह देते हैं कि यह प्रश्न गृह-कार्य मंत्रालय से संबंधित है, इससे इसका संबंध नहीं है ।

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : प्रश्न बड़ा स्पष्ट है । दिल्ली संघ राज्य है अतः संबंधित मंत्रालय निगम के बारे में भी प्रश्नों का उत्तर देने के लिये बाध्य है । किन्तु इस सदन द्वारा निगम को जो शक्ति दी गई है, उस बारे में कई मामले ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम हस्तक्षेप करने की इच्छा रखते हुये भी हस्तक्षेप नहीं कर पाते हैं । हम निगम को लिख सकते हैं । यहां चर्चा कर सकते हैं और उसकी वकालत भी कर सकते हैं किन्तु हम निगम के बारे में यहां बातचीत नहीं कर सकते कि जैसे वह हमारे मंत्रालय का एक हिस्सा हो अथवा उसी से मिला हुआ हो ।

†**श्री जगन्नाथ राव :** दिल्ली की बसें बड़ा धुआं छोड़ती हैं जिससे बड़ा उपद्रव उत्पन्न हो जाता है । क्या इस बारे में सुधार करने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

†**श्री राज बहादुर :** इस प्रकार की बसों को या तो बन्द कर देने अथवा उनका धुंआ बन्द करने के लिये बराबर यत्न जारी हैं ।

पंजाब में सुधार कर

+

†*१८३३. { **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री खुशवक्त राय :
श्री दलजीत सिंह : }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने पंजाब के किसानों से सुधार कर के रूप में भाखड़ा बांध पर जितना व्यय हुआ है वह सारी राशि वसूल करने के बारे में निदेश दिये हैं ;

(ख) यह राशि कब तक वसूल कर ली जायेगी ;

(ग) योजना आयोग द्वारा पंजाब सरकार को किसानों से कितना कर वसूल करने का सुझाव दिया गया था ;

(घ) क्या पंजाब सरकार ने उपर्युक्त सुझाव स्वीकार कर लिया है अथवा कोई वैकल्पिक सुझाव प्रस्तुत किया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) पंजाब सरकार के पास से यदि कोई वैकल्पिक सुझाव प्राप्त हुआ है तो वह किस प्रकार का है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ङ). जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध सख्या ९२]**

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : बढ़े हुये उत्पादन को देखते हुये, पंजाब में खंड पद्धति के कारण खाद्यान्नों के भाव कम होंगे, क्या इस प्रस्ताव पर विचार किया गया है कि पंजाब सरकार को प्रचलित निम्न भाव पर खाद्यान्न खरीद कर देश के अन्य भागों में प्रचलित ऊंचे भाव पर बेचना चाहिये तथा इस प्रकार भाखड़ा परियोजना के लिये जो ऋण लिया गया है उसे चुकाना चाहिये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक सुझाव है।

†**श्री हाथी** : भारत सरकार के सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : पहले इस प्रकार की परियोजनाओं के ऋण के भुगतान का समय ३० वर्ष हुआ करता था, क्या केन्द्रीय सरकार इस मामले में भी इस १५ वर्ष के समय को बढ़ाकर ३० वर्ष कर देने के बारे में विचार कर रही है ?

†**श्री हाथी** : इस पर प्रस्ताव प्राप्त हो जाने के पश्चात् विचार किया जायेगा। अभी तक हमें ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

†**श्री नागी रेड्डी** : क्या प्रतिवर्ष कुछ निश्चित राशि वसूल करने का निर्णय किया गया है और यदि ऐसा किया गया है तो क्या इस राशि में १२० करोड़ के बजाय ३० करोड़ वसूल होने पर कुछ परिवर्तन किया जायेगा ?

†**श्री हाथी** : पंजाब सरकार ने विभिन्न प्रकार की भूमि के लिये प्रति एकड़ अलग-अलग राशि निश्चित की है—जैसे वह भूमि जिसे बराबर सिंचाई के लिये पानी मिलता रहता है, वह भूमि जिसे बराबर पानी नहीं मिलता तथा जिस भूमि पर नियंत्रित पानी मिलता है ।

†**श्री नागी रेड्डी** : पहले जमा की जाने वाली राशि १२० करोड़ रुपये रखी गई थी। अब हमें बताया गया है कि वसूल की जाने वाली कुल राशि घटाकर ३३ करोड़ रुपये कर दी गई है। क्या इस परिवर्तन से प्रतिवर्ष वसूली की जो राशि निर्धारित की गई थी उसमें परिवर्तन होगा अथवा नहीं ?

†**श्री हाथी** : हमें इस बारे में कोई सरकारी जानकारी नहीं है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : विवरण में बताया गया है कि योजना आयोग ने सुधार कर की कोई निश्चित दर के बारे में सुझाव नहीं दिया था, इसका निर्णय करना तो पंजाब सरकार के हाथ में है। क्या आंदोलन के परिणामस्वरूप पंजाब सरकार ने कर की कुल वसूल की जाने वाली राशि में कुछ कमी कर दी है ?

†**श्री हाथी** : पंजाब सरकार ने सुधार कर इस प्रकार निर्धारित किया था कि जिससे परियोजना उत्पादक सिद्ध हो सके, अर्थात् जितनी पूंजी लगाई गई है उससे लगभग ३½ प्रतिशत वसूली हो सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० म० बनर्जी :** प्रश्न के द्वितीय भाग का उत्तर नहीं दिया गया हे अर्थात् क्या उसमें कमी की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य स्वयं ही निष्कर्ष निकाल लें।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सुधार कर के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय जैसे केन्द्रीय सरकार के ऋण का भुगतान करने के लिये सरकारी भूमि को बेच देने पर भी विचार किया गया है ?

†**श्री हाथी :** यह पंजाब सरकार का काम है ।

कृषि भूमि पर पानी भर जाना

†***१८३४. श्री पाणिग्रही :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तटीय पट्टियों पर प्रतिवर्ष कृषि योग्य सैंकड़ों एकड़ भूमि पर खारी पानी भर जाता है ;

(ख) क्या सरकार ने इन तटीय पट्टियों पर खारी पानी भरने से रोकने के लिये कोई नियमबद्ध उपायों पर विचार किया है ;

(ग) क्या उड़ीसा की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से खारी पानी के बांध बनाने के लिये वित्तीय सहायता तथा इन विद्यमान बांधों को अपने हाथों में लेने और उनकी देख-रेख स्वयं करने की मांग की है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार उड़ीसा सरकार की इस प्रकार की योजना कार्यान्वित करने में वित्तीय सहायता देने का विचार करती है जिससे देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हो सके ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) जी, हां ।

(ख) इस मामले पर राज्य सरकार पहले से ही ध्यान दे रही ह ।

(ग) और (घ). खारी पानी के नये बांध बनाने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है । राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड को विद्यमान बांधों में ऐसे स्लुइस गेट बनाने जिनसे पानी वापस न लौट सके, इस पर किया गया व्यय राज्य सरकार द्वारा देने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें राज्य सरकार को यह परामर्श दिया है कि वह सामान्य मुद्रा निधि कार्यक्रम में से इस कार्य के लिये वित्त व्यवस्था करने की संभावना की जांच करे। राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हो जाने पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या सरकार ने तटीय क्षेत्रों में इस प्रकार की समस्या के बारे में कोई हिसाब लगाया है और यदि ऐसा है तो क्या इसे हल करने के लिये कुछ राशि अलग निश्चित कर दी गई है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** जहां तक मुझे पता है कोई भी हिसाब नहीं लगाया गया है और यदि राज्य सरकार ने कोई हिसाब लगाया भी है तो उसने हमें कोई सूचना नहीं दी है। इसके लिये न तो कुछ राशि निर्धारित की गई है और न अलग रक्षित की गई है। किन्तु एक प्रस्ताव किया गया है कि यदि वह सामान्य मुद्रा निधि के अधीन कोई योजना तैयार करती है तो हम इस पर विचार करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पाणिग्रही** : क्या सरकार ने खारी पानी भर जाने को रोकने के लिये पहले तटीय क्षेत्रों में कुछ राशि व्यय की है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : हमने केवल भिन्न-भिन्न राज्यों से इस बारे में पूछताछ की है जो अपने प्रस्तावों से इस समस्या को हल करना चाहते हैं ।

†**श्री प्र० गं० देव** : इसके लिये उड़ीसा की सरकार ने कितनी राशि मांगी है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । अतः हमारे पास इसके आंकड़े नहीं हैं ।

†**श्री पाणिग्रही** : उड़ीसा की सरकार ने खारी पानी से भर जाने वाली कृषि भूमि की रक्षा करने के लिये एक प्रस्ताव किया है जो सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय को भेज दिया गया है । सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय ने उड़ीसा सरकार को बता दिया है कि इस प्रस्ताव को वह खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के पास भेजे । अतः यह प्रस्ताव यों ही इधर से उधर भेजा जाता रहेगा अथवा इस बारे में कोई कार्यवाही की जायेगी ?

†**डा० पं० शा० देशमुख**: उड़ीसा सरकार इस प्रकार का उपबन्ध करना चाहती थी । उसने बाढ़ नियंत्रण बोर्ड से आवेदन किया है ।

बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने कहा कि यह उनका काम नहीं है क्योंकि इसका संबंध उस कृषि भूमि से है जहां कुछ बन्धों की देखरेख जमींदार किया करते थे और उनकी अब मरम्मत होने वाली है । इसकी मरम्मत के लिये रुपया अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन में से प्राप्त किया जाना चाहिये । यह बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का निर्णय है ।

†**श्री गारे** : क्या सरकार की ऐसी जमीनों के बारे में बम्बई सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो क्या उत्तर है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : हमें बम्बई से कुछ जानकारी मिली है । परन्तु मैंने सोचा कि . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : यह उड़ीसा के बारे में है ।

†**श्री गोरे** : यह सामान्य प्रश्न है ।

†**श्री सिद्धनंजप्पा** : क्या किन्हीं राज्य सरकारों ने कोई प्रस्ताव भेजे हैं ? यह सामान्य प्रश्न है ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मेरे पास कुछ राज्यों सम्बन्धी जानकारी है । परन्तु उत्तर कुछ अस्पष्ट सा होगा और सारी जानकारी देने में समय लगेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : १४ राज्य हैं और प्रत्येक राज्य के सदस्य अलग-अलग प्रश्न पूछेंगे ।

†**श्री गोरे** : माननीय मंत्री वक्तव्य दे सकते हैं अथवा कुछ जानकारी दे सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री उपलब्ध जानकारी सभा-पटल पर रख दें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दम-दम हवाई अड्डे पर पाकिस्तानी विमान

†*१८३५. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १० फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, १९५८ में (मास की समाप्ति के समय) चार पाकिस्तानी अननुसूचित विमान दम-दम हवाई अड्डे पर उतरे थे;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की थी ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). दिसम्बर, १९५८ में अननुसूचित उड़ानों पर पाकिस्तान के कई विमान दम दम अड्डे पर उतरे थे परन्तु भारतीय प्राधिकारियों से मार्ग खुला रखने के लिये पूछा गया था ।

†**श्री सुबिमन घोष** : क्या हर बार उन्होंने उतरने का कारण बताया था और क्या वे यह कारण बता कर भी विमान उतारते रहे हैं कि वे कलकत्ता देखने आये हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : जी नहीं । भारतीय विमान चालन नियमों के अनुसार भारत के ऊपर से जाने वाले प्रत्येक अननुसूचित विमान को उड़ान के लिये अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है और भारतीय सीमा में प्रवेश करने पर पहले हवाई अड्डे पर अवश्य उतरना पड़ता है । इन नियमों के अनुसार ही उन्हें अनुमति दी गई थी ।

†**श्री सुबिमन घोष** : उन्होंने दम-दम में उतरने की अनुमति किस आधार पर मांगी थी ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : उन्हें पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान जाते समय भारत की सीमा में से जाना पड़ता है । इस के लिये उन्हें हमारे अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों का पालन करना पड़ता है ? उन्हें उड़ान का कारण नहीं बताना होता है बल्कि अनुमति प्राप्त करनी होती है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार को ज्ञात है कि अननुसूचित असैनिक विमानों के अतिरिक्त पाकिस्तान एयर फोर्स का एक विमान भी वहां उतरा था। यदि हां, तो उन्होंने क्या कारण बताया था ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : पाकिस्तान के सैनिक विमान भी दिसम्बर, १९५८ में उतरे थे और भारत के एयर हैडक्वार्टर्स से पहले अनुमति प्राप्त कर ली गई थी ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या उन्होंने विमान उतारने का कोई कारण बताया था ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : इसका उत्तर प्रतिरक्षा मंत्रालय दे सकता है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : विमान चालन नियमों के अनुसार यदि किसी अननुसूचित विमान को किसी अन्य देश पर से गुजरने की अनुमति दे दी जाती है तो उस देश के क्षेत्र में प्रवेश करने पर पहले हवाई अड्डे पर उस विमान को अवश्य उतरना पड़ता है । क्या उन्होंने इसके लिये अनुमति नहीं ली थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुहीउद्दीन :** कोई भी विमान बिना अनुमति प्राप्त किये किसी देश के ऊपर से नहीं गुजर सकता और प्रवेश करके उसे पहले हवाई अड्डे पर उतरना पड़ता है । पूर्व में हमारी अधिसूचना के अनुसार पहला हवाई अड्डा कलकत्ता है ।

बम्बई स्टीम नेवीगेशन कम्पनी

†*१८३७. **श्री गोरे :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई स्टीम नेवीगेशन (प्राइवेट) लिमिटेड के मामलो की जांच करने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग नियुक्त किया गया है ;

(ख) उसके निर्देश पद क्या हैं;

(ग) इस आयोग के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(घ) लोकल समिति और इस आयोग के निर्देश पदों में क्या अन्तर है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) से (घ). कोंकन तट पर स्टीमर सेवा को चालू रखने के प्रश्न पर विचार करने के लिये सरकार ने एक समिति नियुक्त करने का निश्चय किया है । समिति की रचना और इसके निर्देश पदों पर शीघ्र ही अन्तिम निर्णय हो जायेगा ।

†**श्री गोरे :** क्या यह सच है कि बम्बई स्टीम नेवीगेशन कम्पना ने सरकार को सूचना भेजी है कि मई की समाप्ति पर वे पश्चिमी तट पर स्टीमर सेवायें बन्द कर देंगे ?

†**श्री राज बहादुर :** मई की समाप्ति से नहीं बल्कि उन्होंने जून में स्टीमर सेवायें निलम्बित करने के लिये कहा है । अब आयोग नियुक्त किया जा चुका है और उन्होंने वायदा किया हैं कि स्टीमर सेवा जारी रखेंगे ।

†**श्री प्र० गं० देव :** क्या अन्य नौवहन समवायों के मामलों की जांच करने के लिये भी सरकार कोई आयोग नियुक्त करेगी ?

†**श्री राज बहादुर :** केवल कोंकन सेवाओं सम्बन्धी कुछ झगड़ों का निबटारा किया जाना है जो सरकार और समवाय और प्रयोक्ताओं के बीच खड़े हो गये हैं । मूल कारण भाड़ा बढ़ाना है । अन्य समवायों के बारे में ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री गोरे :** क्या जब तक आयोग का प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होता तब तक बम्बई स्टीम नेवीगेशन कम्पनी ने स्टीमर सेवायें चालू रखने का आश्वासन दिया है ?

†**श्री राज बहादुर :** जी हां । जब तक आयोग की उपपत्तियां प्राप्त नहीं होतीं तब तक कम्पनी सेवायें चालू रखेगी ।

†**श्री आचार :** क्या आयोग प्रयोक्ताओं की शिकायतों को भी ख्याल में रखेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : निर्देश पदों के बारे में अन्तिम निर्णय किया जा रहा है । मेरे ख्याल से यात्रियों की शिकायतों पर विचार करना भी उनमें शामिल होगा ।

---

†मल अंग्रेजी में

भारतीय औषधियों सम्बन्धी गवेषणा

+

†*१८३८. {**श्री कोडियान :** **श्री वारियर :**}

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है कि वह किसी गैर-सरकारी संस्था को यह गवेषणा करने में सहायता दे कि प्राचीन भारतीय औषधियां कितनो असरदार हैं;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर कितनी राशि खर्च होगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कुछ देशीय भेषजों की वैज्ञानिक आधार पर गवेषणा स्कूल आफ ट्रापिकल मैडिसिन, भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद्, केन्द्रीय भेषज गवेषणा संस्था, लखनऊ, रीजनल ड्रग लेबोरेटरीज़, जम्मू और आधुनिक मैडिकल कालेजों की प्रयोगशालाओं में की गई है।

†**श्री कोडियान :** क्या सरकार को ज्ञात है कि भारत के एक बहुत बड़े औषधियां बनाने वाले समवाय ने एक अमरीकन सार्थ के साथ मिलकर भारतीय औषधियों के गुणों की गवेषणा करने का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है और यदि हां, तो क्या उस संस्था अथवा उपक्रम ने सरकार से कोई आर्थिक सहायता मांगी है ?

†**श्री करमरकर :** समाचारपत्रों में मैं ने यह पढ़ा है परन्तु सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मांगी गई है।

†**श्री कोडियान** : अब जिन केन्द्रों में गवेषणा हो रही है उन में सहयोग तथा समन्वय के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

†**श्री करमरकर :** जिन संस्थाओं में गवेषणा कार्य हो रहा है उन से भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् अपना सम्पर्क बनाये रखती है।

†**श्री अय्याकुण्णु** : माननीय मंत्री ने जो उत्तर दिया उस में यह उल्लेख कहीं नहीं किया गया कि मद्रास राज्य में भी गवेषणा संस्था खोली जायेगी। इस बात को देखते हुए कि **सिद्धवैद्य**, जो कि सब से पुरानी चिकित्सा पद्धति है, में तपेदिक जैसे असाध्य रोगों की औषधियां हैं क्या माननीय मंत्री समिति को विशेष रूप से यह हिदायत देंगे कि वह सभी पाण्डुलिपियां एकत्र करे जो, यदि ठीक प्रकार ढूंढ़ी जाये, तो तामिलनाद में काफी मिल जायेंगी ?

†**श्री करमरकर :** मेरे ख्याल से मद्रास राज्य नें इस मामले पर ध्यान दिया है। यदि वे प्रस्ताव प्रस्तुत करें तो हमें उन पर विचार करने में बड़ी खुशी होगी।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह सच बात नहीं है कि इस सम्बन्ध में देश के विभिन्न भागों से केन्द्रीय सरकार को कहा जाता है कि इस देश में इलाज की बहुत कमी होने के कारण और इस देश के ही पौदों में और दूसरी वस्तुओं में काफ़ी इलाज की सामग्री है, इस दृष्टि से इस का एक

---

†मूल अंग्रेजी में

व्यापक प्रयत्न किया जाय और उस के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को भी कुछ लिखे और यहां से भी इस सम्बन्ध में कुछ करने की कोशिश की जाये ?

श्री करमरकर : आज तक तो इस बारे में व्यापक प्रयत्न हम से नहीं हुआ । अभी हाल में उडुप्पा कमेटी नाम की एक कमेटी नियुक्त हुई थी । उस ने हमारे पास रिपोर्ट भेज दी है और उस ने इस बात की सूचना दी है कि इस बारे में हम लोग ज्यादा दिलचस्पी लें और ऐसा करने का हमारा विचार है ।

†**श्री कोडियान :** इन गवेषणा केन्द्रों पर सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कुल कितना खर्च किया है ?

†**श्री करमरकर :** वह अलग प्रश्न है । यह वार्षिक प्रतिवेदन में बताया गया है । मुझे यह जानकारी देने के लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री नागी रेड्डी :** क्या विभिन्न राज्यों से देशीय चिकित्सा प्रणाली के विशेषज्ञ इन केन्द्रों में नियुक्त किये गये हैं ?

†**श्री करमरकर :** माननीय सदस्य कुछ गलतफहमी हो गई है । वे सब राज्य संस्थायें नहीं हैं। गवेषणा कार्य योग्य व्यक्ति ही कर रहे हैं ।

†**श्री नागी रेड्डी :** हमारे देश में विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों का ज्ञान रखने वाले कुछ एक देशीय चिकित्सा विशेषज्ञ भी हैं । मैं यह जानना जाहता था कि क्या इनमें से कुछ विशेषज्ञों की इन गवेषणा संस्थाओं में रखा गया है?

†**श्री करमरकर :** जिन संस्थाओं पर हमारा प्रत्यक्ष नियन्त्रण नहीं है उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता । परन्तु एक संस्था में जाम नगर संस्था, जिस पर हमारा प्रत्यक्ष नियन्त्रण है, हम ने देशीय चिकित्सा के विद्वानों की पर्याप्त संख्या में नियुक्त किया है ।

फ्रण्टियर मेल की एक बोगी में आग लगने की घटना

†***१८४०. श्री जाधव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ९ मार्च, १९५९ को गंगापुर स्टेशन के निकट 'फ्रण्टियर मेल' की एक पहले दर्जे की बोगी में आग लग गई थी,

(ख) बोगी और यात्रियों के सामान को कितना नुकसान पहुंचा ;

(ग) क्या यह सच है कि जब आग लगी उस समय यात्री 'डाइनिंग कार' में थे ;

(घ) क्या यह भी सच है कि बोगी में 'डाइनिंग कार' के 'वेटर' ने बाहर से ताला लगा दिया था ;

(ङ) क्या यह सच है कि बोगी का दरवाज़ा नहीं खुल सका क्योंकि उसमें कुछ नुक्स था ; और

(च) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) एक नीचे की और एक ऊपर की बर्थ और खिड़की आदि अंशतः जल गई और नीचे की बर्थ पर यात्री का बिस्तर भी जल गया।

(ग) और (घ). उस डिब्बे में सफर करने वाले यात्री सवाई माधोपुर स्टेशन पर 'डाइनिंग कार' में चले गये थे और जब गाड़ी गंगानगर सिटी पहुंची तो डिब्बे में आग लगी हुई दिखाई दी, दरवाज़े में ताला लगा हुआ था और खिड़की भी बन्द थी।

(ङ) ताला लगा होने के कारण दरवाज़ा नहीं खोला जा सका।

(च) रेलवे पुलिस और रेलवे कर्मचारियों की समिति के जांच प्रतिवेदनों की प्रतीक्षा की जा रही है। प्रतिवेदन मिलने पर उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

†**श्री जाधव :** क्या यह सच है कि सुरक्षा बल रेलवे पुलिस सब इंस्पैक्टर ने श्री कपाडिया को एक खाली कागज पर हस्ताक्षर करने के लिये मजबूर किया था ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मुझे मालूम नहीं। अभी प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

†**श्री जाधव :** क्या बोगी की तालियां डाइनिंग कार के नौकर के पास थीं।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** इन सब प्रश्नों के उत्तर के लिये हम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य के पास जो कुछ जानकारी है उसे वह समिति के पास भेज दें।

†**श्री हेम बरुआ :** जिन यात्रियों का सामान जल गया क्या सरकार उन्हें प्रतिकर देगी ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पहले हमें प्रतिवेदन मिल जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** सम्भव है कि यात्री ही इसके जिम्मेदार हों। उन्होंने लापरवाही से सिगरेट का टुकड़ा फेंक दिया हो। तब उन्हें प्रतिकर कैसे मिल सकता है ? इसलिये हमें प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी चाहिये।

†**श्री हेम बरुआ :** वे डाइनिंग कार में थे . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** सम्भव है कि वे जलता हुआ सिगार फेंक कर चले गये हों।

†**श्री हेम बरुआ :** यदि वे यात्री सिगरेट न पीते हों ?

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रतिवेदन मिलने पर इन सब बातों का पता चल जायेगा।

राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड

+

†*१८४१. { **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड में नाविकों को किन आधारों पर मनोनीत किया गया था ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) मनोनीत किये गये व्यक्ति किन संस्थाओं से लिये गये थे ;

(ग) क्या अन्य संस्थाओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) वर्तमान सदस्यों के क्या नाम हैं और वे किन केन्द्रीय कार्मिक संघ संस्थाओं के हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड में नाविकों के लिये तीन सीटें रखी गई हैं जिन में से एक बम्बई की मेरीटाइम यूनियन आफ इंडिया को दी गई है जो नाविक पदाधिकारियों का प्रतिनिधित्व करती है । बोर्ड में इस यूनियन के प्रतिनिधि श्री जे० डी० रेड्डी हैं । शेष दो सीटों पर नैशनल यूनियन आफ सीमेन आफ इंडिया के सर्व श्री दिनकर देसाई और विकास माजूमदार को रखा गया है । सरकार भारतीय नाविकों के इस संघ को प्रतिनिधि मानती है । इस सम्बन्ध में अन्य संस्थाओं से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं ।

यह माना जाता है कि नैशनल यूनियन आफ सीमेन आफ इंडिया का सम्बन्ध इंडियन नैशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से और मेरीटाइग यूनियन आफ इंडिया का हिन्द मजदूर सभा के साथ है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : विवरण में कहा गया है कि शेष दो स्थानों पर नैशनल यूनियन आफ सीमेन आफ इंडिया के सर्वश्री दिनकर देसाई और विकास मजूमदार को रखा गया है और यह भी कहा गया है कि सरकार इस संस्था को अधिक प्रतिनिधि मानती है । सरकार को यह कैसे पता चला कि यही एक प्रतिनिधि संस्था है जबकि सदस्यों का सत्पादन हो रहा है ?

†**श्री राज बहादुर** : राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड की रचना करने के समय की और वर्तमान स्थिति को देखते हुए नामजदिगयां की गई हैं ?

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि एक आल इंडिया फैडरेशन आफ सीमेन है जिससे बम्बई और कलकता के चार कार्मिक संघ सम्बद्ध हैं ? इस मामले में इसकी क्यों उपेक्षा की गई है ?

†**श्री राज बहादुर** : माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित संस्था के बारे में पूछताछ की गई थी परन्तु इसकी अपेक्षा नैशनल यूनियन आफ सीमेन अधिक प्रतिनिधि मानी गई ।

†**श्री हेम बरुआ** : दो संस्थायें हैं—एक नैशनल यूनियन आफ सीमेन जो इंडियन नैशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से सम्बद्ध है और दूसरी मेरी टाइम यूनियन जो हिन्द मजदूर संघ से सम्बद्ध है—इस बात को देखते हुए इनके दो प्रतिनिधि होने चाहियें ?

†**श्री राज बहादुर** : मेरीटाइम यूनियन पदाधिकारियों की प्रतिनिधि है और साफ जाहिर है कि पदाधिकारियों की संख्या नाविकों से कम होती है ।

†**श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या सरकार को ज्ञात है कि विकास माजुमदार उस संस्था के प्रतिनिधि हैं जिसके सदस्य २३,००० नाविक हैं जबकि कलकत्ता में कुल नाविक २५००० हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : यह सही है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : जब नामदी के कागजात दर्ज किये गये थे क्या उस समय श्रम और रोजगार मन्त्रालय से परामर्श किया गया था ?

†**श्री राज बहादुर** : उस संघ को सभी प्रतिनिधि संस्था मानते हैं और श्रम मन्त्रालय भी इस से सहमत था । इसलिये हमें और कहीं नहीं जाना पड़ा ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : माननीय मंत्री ने कहा कि जांच की गई थी; यह जांच किसने की थी और क्या श्रम मन्त्रालय.....

†**श्री राज बहादुर** : मैंने यह कभी नहीं कहा कि जांच की गई थी ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : तब आप ने यह निष्कर्ष कैसे निकाला ? मूल कसौटी क्या थी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम बहुत बारीकियों में जा रहे हैं ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : यह प्रतिनिधित्व का मामला है ।

इमफाल–तमंगलांग सड़क[१]

†*१८४२. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इमफाल-तमंगलांग सड़क के ५०वें मील में पहाड़ी काटने का कार्य आरम्भ होने के बाद बन्द हो गया है ; और

(ख) क्या इमफाल-तमंगलांग सड़क के इस भाग में और ६७ वें मील में कोई नया मार्ग मिल गया है जिससे कि विभिन्न चट्टानों को न काटना पड़े ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) तथा (ख). प्रश्न में उल्लिखित दो स्थानों पर पहाड़ी लगभग सीधी खड़ी है और इस में बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े मिट्टी में मिले हुए हैं । अत : इन में होकर सड़क बनाने में कठिनाई हो रही है । यह प्रश्न भी कि विद्यमान मार्ग ही रखा जाये या सड़क अन्य स्थानों में होकर बनाई जाये, प्राविधिक आधार पर विचार हो रहा है ।

श्री ले० अचौ सिंह : क्या पहाड़ी काटने का व्यय अनुमानित व्यय से अधिक होगा और इसलिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का एक कुशल इंजिनियर स्थान पर जांच करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है ? यदि हां तो क्या परिणाम रहा ?

†**श्री राज बहादुर** : इस कार्य के कार्य भारी अधिकारी का कहना है कि लगभग दो मील तक पहाड़ी काटनी होगी । संभव है कि इससे पत्थरों के कुछ बड़े टुकड़े अपने स्थान से हट जायें जिससे भूमि तल पर और सारी पहाड़ी पर प्रभाव पड़े । अत : दूसरा मार्ग विचाराधीन है। परन्तु क्योंकि कार्य आसाम सरकार ने आरम्भ किया था, इसलिए एक आसाम सरकार के और एक मनीपुर राज्य के अधिकारी से स्थान की जांच करने तथा इस बारे में निश्चय करने के लिए कहा गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]Imphal Tamenglong Road.

†**श्री ले० अचौ सिंह** : पिछली जानकारी में चट्टान की कटाई का कार्य बन्द होने और शीघ्र वर्षा आरम्भ होने की दृष्टि से मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस वर्ष इन सड़कों के निर्माण में कोई प्रगति होगी ।

†**श्री राज बहादुर** : हम निरन्तर इस में लगे हैं । केवल फरवरी १९५९ में मनीपुर के मुख्य इंजिनियरिंग अधिकारी ने दिल्ली में सड़क विकास के परामर्शदाता इंजिनियर के साथ इस प्रश्न पर बात की तथा उचित व आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या इमफाल-तमंगलांग की यह सड़क बनाना आरम्भ करने के पूर्व कोई सर्वेक्षण किया गया था, और यदि हां तो, परियोजना एकदम बंद क्यों हो गई ?

†**श्री राज बहादुर** : आरम्भ में मार्ग बनाने वाले आसामी इंजिनियरों के अनुसार—निश्चय ही उनसे पूछा जायेगा—चट्टान काटना संभव है । अब मनीपुर के इंजिनियर कहते हैं कि इस में अधिक व्यय होगा तथा यह कार्य खतरनाक भी है । अत : दो प्राविधिक अधिकारियों में मतभेद है, और इसका उत्तम समाधान प्राविधिक आधिकारी ही कर सकते हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : दो प्राविधिक अधिकारियों के इस मतभेद से राज्यकोष को बहुत बड़ी हानि हुई है । ऐसा क्यों हुआ ?

†**श्री राज बहादुर** : स्पष्ट है कि भूमि संबंधी कुछ कठिनाइयां हैं, जिसके बारे में मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को मेरी अपेक्षा अधिक ज्ञान होगा । मुझे विश्वास है कि ऐसी बड़ी परियोजना आरम्भ करते और नई सड़क बनाते समय ऐसी कठिनाइयां सामने आती हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : परन्तु चट्टान और पत्थरों के ठुकड़े तो सदैव से हैं और यह मार्ग बनाने से पहिले इंजिनियरों को इनका पता लगाना चाहिये था ।

†**श्री राज बहादुर** : एक इंजिनियर का विचार था कि चट्टान काटना संभव है जब कि दूसरे का विचार है कि इसमें बहुत अधिक व्यय होगा और बहुत खतरा भी है । अत : दो प्राविधिक अधिकारियों में मतभेद का प्रश्न है ।

आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ नियन्त्रण

†*१८४३. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियन्त्रण के लिए आन्ध्र प्रदेश के आवंटन में कमी करने का विचार है ;

(ख) यदि हां तो आरम्भ में आवंटन कितना था और कितनी कमी करने का विचार है ; और

(ग) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश के लिए स्वीकृत बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा और यदि हां तो, कितना ।

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) तथा (ख). द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सारे देश में बाढ़ नियन्त्रण कार्य के लिए ६० करोड़ रु० के योजना-उपबन्ध के आधार पर केन्द्रीय बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड ने २२ अगस्त १९५७ को हुई अपनी छटी बैठक में आन्ध्र प्रदेश को ३ करोड़ रु० मंजूर किये गये । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के साधनों के पुन: मूल्यांकन के परिणामस्वरूप बाढ़ नियन्त्रण के लिए उपबन्ध में कमी करनी पड़ी । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को केन्द्र से लगभग १२८ लाख रु० की ऋण सहायता प्राप्त होगी ; प्रथम तीन वर्षों में ७९ लाख रु० के ऋण मंजूर हुए हैं और चौथे वर्ष १९५९–६० का आवंटन ४९ लाख रु० है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष, १९६०–६१ के लिए धन-व्यवस्था करने के लिए योजना आयोग के परामर्श से प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(ग) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश में अब तक स्वीकृत बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं की कुल लागत लगभग १२७ लाख रु० आंकी गई है । अत: आन्ध्र प्रदेश के आवंटन में कमी करने का इन योजनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

†**श्री रामी रेड्डी** : क्या पिछले वर्ष सिरकाकुलम, विशाखापटनम, गोदावरी और गुडापाह जिलों में हाल में आई बाढ़ की दृष्टि से राज्य सरकार ने किन्हीं अन्य योजनाओं के लिए अपने प्रस्ताव भेजे हैं ।

†**श्री हाथी** : मेरे पास विभिन्न योजनाओं की तफसील नहीं है, परन्तु राज्य सरकारों ने योजनायें भेजी हैं जिनमें कुछ क्षेत्र सम्मिलित हैं । अन्तिम योजना उन्होंने दिसम्बर १९५८ में भेजी थी ।

†**श्री रामी रेड्डी** : देश में बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं के लिए कुल कितने धन का उपबन्ध है ?

†**श्री हाथी** : प्रारम्भिक कुल उपबन्ध ६० करोड़ रु० से घटाकर ४९ करोड़ रु० कर दिया गया है ।

†**श्री रेड्डी** : क्या वर्ष प्रति वर्ष आने वाली गोदावरी में बाढ़ के नियन्त्रण का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री हाथी** : गोदावरी नदी पर यनामपुल से तेल्लेखू तक एक बाढ़-तट बनाने की योजना है ।

†**श्री जाधव** : क्या आवंटन केवल बड़ी नदियों के लिए होता है या सदैव बहने वाली सब प्रकार की नदियों के लिए ?

†**श्री हाथी** : नहीं, वे सभी बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए होते हैं । इसका कोई महत्व नहीं कि नदी छोटी है या बड़ी । यह क्षेत्र विशेष के लिए की जाने वाली कार्यवाही पर निर्भर है ।

†**श्री हेम बरुआ** : विवरण में उल्लेख है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष, १९६०-६१ के लिए धन जुटाने के लिए योजना आयोग के साथ परामर्श से प्रयत्न किया जा रहा है । क्या अधिवेशन जुटाने का यह प्रयास प्रस्तावित कमी के भीतर होगा या वे आरम्भ की गई परियोजना के वित्तीय साधनों में वृद्धि करेंगे ?

†**श्री हाथी** : प्रयास ४९ करोड़ रु० में कुछ वृद्धि करने का है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामी रेड्डी** : आन्ध्र प्रदेश में इन बाढ़-सुरक्षा-योजनाओं से कुल कितने क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा ?

श्री हाथी : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

काकीनाडा पत्तन और बस्तर के बीच रेलवे लाइन

†*१८४५. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक जापानी विशेषज्ञ ने संघ सरकार को काकीनाडी पत्तन और बस्तर के लोहे अयस्क क्षेत्रों के बीच रेलवे लाइन बनाने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां तो, क्या इस पर संघ सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या जापानी विशेषज्ञों ने बस्तर और विशाखापटनम के बीच नई रेलवे लाइन के निर्माण का प्रस्ताव किया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : नहीं ।

श्री इ० मधुसूदन राव : मैं जानना चाहता हूं कि इन जापानी विशेषज्ञों ने जो सलाह दी है, उसपर हमारी सरकार क्या आज तक सोच ही नहीं पाई है ?

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : उन लोगों ने सलाह दी ही नहीं ।

प्रकाशस्तम्भ

†*१८४६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रकाशस्तभ तथा प्रकाशपोत विभाग ने कितने स्थानीय प्रकाशस्तम्भों को नहीं लिया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : अभी लगभग १४० प्रकाशस्तम्भों को लेना है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : वह क्यों नहीं लिये गये हैं ।

†**श्री राज बहादुर** : इस के लिये हमें अत्याधिक धन की आवश्यकता है । इन प्रकाशस्तम्भों को लेने के लिये भी निश्चित प्रोग्राम की आवश्यकता है । विशेषकर, क्योंकि संविधान के अधीन पत्तनों को ठीक रखने का दायित्व राज्यों का है और हम पत्तन निधि से कोई धन नहीं ले सकते । इन सब प्रकाश-स्तम्भों की देख रेख का व्यय पूरा करने का प्रश्न निश्चित होना है ।

मोकामा में गंगा पर पुल

†*१८४७. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोकामा के पास गंगा पर रेल और सड़क के पुल की हर प्रकार के यातायात के लिये पूरी जांच कर ली गई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो रेलवे लाइन का भाग और सड़क का भाग कब खुलेगा और इस पर नियमित यातायात कब से आरम्भ होगा;

(ग) क्या पूर्व और पूर्वोत्तर रेलवे के बीच यात्री तथा माल यातायात के समन्वय के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निश्चय किये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) तथा (ख) . १ मई, १९५९ को पुल पर हर प्रकार का रेल यातायात खोलने से पहिले नियमों के अनुसार आवश्यक जांच की जायेगी। पुल पर सड़क यातायात दोनों ओर की सड़कों के पूरा होने पर आरम्भ होगा।

(ग) तथा (घ) . हां, श्रीमान्। पूर्व रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे के बीच यात्री रेलगाड़ियों का समन्वय रेलों का मार्ग बदल कर और लम्बी यात्रा के यात्रियों की सुविधा के लिये सीधे जाने वाले डिब्बे चलाना आरम्भ कर के किया जायेगा। आवश्यकतानुसार शटल रेलगाड़ियां भी चलाई जायेंगी ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या इस पुल के खुलने के बाद बरौनी से कलकत्ता और दिल्ली के लिये सीधी रेलगाड़ियां चलाई जायेंगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : हां, अनेकों योजनायें हैं। मेरा ख्याल है कि ये चलाई जायेंगी। मेरे पास छोटी लाइन और बड़ी लाइन दोनों की रेल सेवाओं में परिवर्तनों की लम्बी सूची है। यदि मेरे माननीय मित्र को रुचि हो तो मैं उन्हें जानकारी दे सकता हूं ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या इस पुल का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर रखा जायेगा या इस पुल को क्या विशिष्ट नाम दिया जायेगा ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : लोगों ने इसे राजेन्द्र ब्रिज कहना आरम्भ कर दिया है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : कोयला और अन्य वस्तुओं का लदान मुका मेह में होगा या बरौनी में ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : गढ़रा में ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : उपमंत्री ने कहा है कि १ मई को इस पुल पर यातायात खोलने से पहिले आवश्यक जांच की जायेगी। क्या अभी तक यह जांच नहीं की गई है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : पहिली मालगाड़ी २३ फरवरी को चलाई गई थी, और इस के बाद इस की निरन्तर जांच हो रही है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : इस पुल के खुलने के बाद, क्या बड़ी लाइन समस्तीपुर तक या दरभंगा तक ले जाई जायेगी और क्या इस सम्बन्ध में कोई निश्चय किया गया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सामुदायिक विकास के लिये निधि–आवंटन

+

†*१८४९. { **श्री पाणिग्रही :**
श्री संगण्णा :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों और सामुदायिक विकास खंडों का कार्य भारत सरकार द्वारा आवंटन में कमी करने के कारण गड़बड़ हो गया है;

(ख) उड़ीसा सरकार ने १९५९–६० के लिये कितने धन की प्रार्थना की है; और

(ग) इस काल के लिये कितना धन मंजूर किया गया है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) :** (क) नहीं, श्रीमान्। आवंटन राज्य सरकार के परामर्श से किया गया था।

(ख) ३२४.८० लाख रुपये ।

(ग) २४४ लाख रुपये ।

†**श्री पाणिग्रही :** उत्तर से विदित होता है कि उड़ीसा सरकार ने ३ करोड़ रुपये से अधिक की मांग की थी और केवल लगभग २ करोड़ रुपये दिये गये क्या सरकार को विदित है कि धन की इस कमी के कारण उड़ीसा में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में कार्य को हानि होगी ?

†**श्री ब० स० मूर्ति :** उत्तर में मैं ने कहा है कि यह आवंटन राज्य सरकार के परामर्श से किया गया है ।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या राज्य सरकार ने इस लगभग २ करोड़ रु० को स्वीकार किया था ?

†**श्री ब० स० मूर्ति :** हां ।

†**श्री पाणिग्रही :** राज्य सरकार ने विधान सभा में बताया है कि उन्होंने अधिक धन मांगा था परन्तु भारत सरकार ने कम दिया । परन्तु मंत्री महोदय कहते हैं कि उन्होंने यह राशि स्वीकार की थी ।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** जब राज्य सरकार ये प्रस्ताव भेजती है उस समय राज्य सरकार के अधिकारी और सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय के अधिकारी मिल कर राज्य में कार्यक्रम की गति और राज्य की साधन स्थिति पर विचार करते हैं और फिर वे संख्या निर्धारित करते हैं, और वह दी गई है। उड़ीसा सरकार मंत्री विशेष ने विधान सभा में क्या कहा, हमें विदित नहीं है ।

विलिंगडन अस्पताल

+

†*१८५०. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के विलगंडन अस्पताल में नये बने वार्ड में १९५८ के मध्य में २४ बिस्तर लगभग पांच मास तक खाली पड़े रहे;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्यों; और

(ग) इस का उत्तरदायी कौन है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) . अस्पताल में नर्सों की कमी और अपेक्षित संख्या में नर्सों को भरती करने में कठिनाई के कारण प्रशनास्पद बिस्तरों का प्रयोग न किया जा सका ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या उस काल में बहुत रोगी आते थे और यदि हां, तो स्थिति संभालने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

†**श्री करमरकर** : मुझे ठीक से विदित नहीं है कि उस काल में बहुत रोगी आते थे या नहीं। मेरा ख्याल है कि दिल्ली में समूचे रूप में बिस्तरों की कमी के कारण अस्पताल में दाखिल होने के इच्छुक रोगियों की संख्या कदाचित बिस्तरों की संख्या से अधिक है ।

इन विशिष्ट २४ बिस्तरों के बारे में, जो शायद अप्रैल मई से सितम्बर १९५८ तक खाली रखने का कारण यह था कि अस्पताल में प्राधिकारी काम दिलाऊ दफ्तर से नर्स मंगाने और दो बार विज्ञापन देने पर भी नर्सें प्राप्त न कर सके । यदि मैं यह कहूं कि प्रस्तावित वेतन में कमी थी । उन्हें पूरे भत्ते नहीं दिये गये थे । अब हम ने उन्हें, अस्पताल को अन्य अस्पताल के समान मानकर पूरे भत्ते देने को कह दिया है । मेरा ख्याल है अब उन्हें नर्सें अपेक्षतया आसानी से मिल रही हैं ।

†**डॉ० सुशीला नायर** : इस दृष्टि से कि यह केवल एक ही घटना नहीं है तथा अनेकों बार अस्पताल के बिस्तर कर्मचारियों या सामान, आदि की कमी के कारण महीनों तक खाली पड़े रहते हैं, सरकार इसकी ऐसी योजना बनाने के लिये क्या कार्यवाही की है कि अस्पताल का निर्माण पूर्ण होने तक ये सारी वस्यतुयें उपलब्ध हो जायें ।

†**श्री करमरकर** : दिल्ली में कई प्रशासन हैं । दो, वास्तव में तीन अस्पताल भारत सरकार के आधीन हैं । जिन के लिये हम मूल रूप से उत्तरदायी हैं । उन अस्पतालों में से केवल इसी अस्पताल में नर्सें कम थीं और इस कारण उपलब्ध बिस्तरों का प्रयोग न किया जा सका ।

अन्य अस्पताल नगरपालिका निगम और दिल्ली प्रशासन के अधीन हैं । कम से कम एक अस्पताल के बारे में मुझे विदित है कि वहां कर्मचारियों की कमी है और हम ने केवल अपना मत ही नहीं अपितु इस सदन का मत भी उन्हें बता दिया है और उन से उन रिक्त स्थानों को भरने को कहा है । अब मैं फिर उन्हें स्मरण करा दूंगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस दृष्टि से कि एक से अधिक अवसरों पर नर्सों की कमी हो गई है, क्या विज्ञापन केवल दिल्ली में दिये गय हैं या कलकत्ता और दक्षिण भारत के सभी समाचार पत्रों में दिये गये हैं ?

†**श्री करमरकर** : केवल यही नहीं । वास्तव में, हमने आसाम तक, जहां अधिक नर्सें बताई जाती हैं, हमने सरकारी तथा गैरसरकारी सारी कार्यवाही की है । (हंसी) यह मैं पूर्ण गम्भीरता से कह रहा हूं । हमने अन्य प्रशासनों से भी परामर्श किया है । हमने इस मामले में सभी सम्भव प्रयत्न किये हैं परन्तु तथ्य यही है कि केरल और आसाम में—बंगाल की स्थिति भी कुछ अच्छी है—नर्सें उपलब्ध

---

†मूल अंग्रेजी में

है । यह बात ठीक है कि दिल्ली में अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहतर वेतन मिलने पर भी पूरी संख्या में नर्सें उपलब्ध नहीं हैं और इसीलिये हम इन अस्पतालों से कह रहे हैं कि प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं का प्रबन्ध कर वह नर्सों के मामले में यथासम्भव आत्म निर्भर हो जायें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि क्या केरल और बंगाल में, जहां नर्सें अधिक संख्या में उपलब्ध हो सकती हैं, विज्ञापन किये गये हैं ?

†**श्री करमरकर :** जिन अखबारों में यह विज्ञापन किया गया था उनकी पूरी सूची तो मेरे पास नही है लकिन जहां तक मुझे पता है हमने प्रत्येक यथासम्भव प्रयास कर लिये हैं ।

प्रदीप पत्तन

†*१८५१. **श्री पाणिग्रही :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के प्रदीप पत्तन को विकसित करने के लिये केन्द्र से अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजन के लिये ऋण देने को राजी हो गयी है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी अतिरिक्त राशि देने को राजी हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी हां ।

(ख) और (ग). १९५८–५९ में १४,९६,६०० रुपये का ऋण दिया गया है ।

†**श्री पाणिग्रही :** प्रदीप पत्तन के सुधार के लिये उड़ीसा सरकार को अब तक कुल कितना ऋण दिया जा चुका है ?

†**श्री राज बहादुर :** पहली योजना की अवधि में उड़ीसा सरकार को कुछ शर्तों के साथ ७·३ लाख रूपयों का एक ऋण दिया गया था । १९५७–५८ में केवल ४·२५ लाख रुपयों की मांग की गयी थी और उसे हमने जनवरी, १९५८ में मंजर कर लिया था । इस वर्ष १५ लाख रुपयों की मांग की गयी थी जिसमें से १४,९६,६०० रुपय ऋण के रूप में दे दिये गये हैं ।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या उड़ीसा सरकार ने इस पत्तन के लिये ऋण के रूप में ७० लाख रुपये मांगे थे और यह प्रस्ताव राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड के समक्ष रखा गया था ।

†**श्री राज बहादुर :** मेरे पास जो जानकारी है, उससे पता चलता है कि उन्हें २६,१३,६२३ लाख रुपयों के ऋण की आवश्यकता थी । १५ लाख रुपयों के ऋण के लिये अनुरोध करने वाला उनका पत्र हमें लगभग १० दिसम्बर, १९५८ को मिला । मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता कि ७० लाख रुपयों की मांग की गयी थी या नहीं ।

†**श्री पाणिग्रही :** एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा था कि उड़ीसा सरकार ने राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड को एक ज्ञापन दिया था जिसमें उन्होंने यह संकेत किया था कि प्रदीप पत्तन के सुधार के लिये ७० लाख रुपयों के व्यय की जरूरत पड़ेगी । लेकिन मन्त्री महोदय अब कह रहे हैं कि यह जानकारी उनके पास नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर:** मेरे ख्याल से माननीय सदस्य राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड और सरकार के बीच का अन्तर जानते हैं। मैं सरकार की बात कर रहा हूं। सरकार से की गयी मांग मैं अभी बता चुका हूं। राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड से की गयी मांग के बारे में मैं निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कह सकता।

रेलवे इंजन

+

†*१८५२. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेलवे इंजनों के निर्माण के मामले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था ;

(ख) दिसम्बर, १९५८ तक यह लक्ष्य किस हद तक पूरा हो चुका है ;

(ग) रेलवे इंजनों के कुल संभरण का कितना प्रतिशत अंश देश में निर्मित इंजनों से पूरा किया जाता है ; और

(घ) क्या सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में रेलवे इंजनों के निर्माण के मामले में देश को आत्मनिर्भर बना देने वाली है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी हां ;

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ८३० बड़ी लाइन के और ४५२ मीटर लाइन के रेलवे इंजनों के निर्माण का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसमें से चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स और टेल्को ने क्रमश: ४४२ बड़ी लाइन के और २३५ मीटर लाइन के रेलवे इंजन बनाये हैं।

(ग) भाप से चलने वाले सारे इंजनों का संभरण अब देश में निर्मित होने वाले इंजनों से किया जाता है, लेकिन डीज़ल और बिजली से चलने वाले इंजनों का आयात किया जाता है।

(घ) जी हां, भाप से चलने वाले इंजनों के मामले में।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या यह सच है कि मीटर लाइन के सारे रेलवे इंजन अभी टेल्को में बनते हैं ? यदि हां, तो ऐसा कब तक होता रहेगा ? क्या उस समय के बाद सरकार मीटर लाइन के रेलवे इंजनों का निर्माण करने की व्यवस्था स्वयं करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** एक कार्यक्रम है जिसके अनुसार वह मीटर लाइन के रेलवे इंजनों का निर्माण करेंगे। इस ठेके की अवधि १९६१ तक बढ़ा दी गयी है। उसके बाद हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** चित्तरंजन बड़ी लाइन के रेलवे इंजन के लिये कितनी कीमत लेता है और मीटर लाइन के इंजन के लिये टेल्को कितनी कीमत लेता है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** यह प्रश्न इससे तो उत्पन्न नहीं होता लेकिन यदि अध्यक्ष महोदय निदेश दें तो मैं यह आंकड़े दे सकता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्रीनारायण दास :** इन रेलवे इंजनों में लगने वाले पुर्जों में से कितने प्रतिशत पुर्जों का अब भी आयात किया जाता है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** इसका उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व-सूचना चाहिये, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि हम इस बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर हो जायं और सभी पुर्जे देश में ही बनाने लगें ।

†**श्री वामानी :** देश में डीजल इंजनों के निर्माण के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मंत्री महोदय ने बजट सम्बन्धी अपने भाषण में कहा है कि डीजल रेलवे इंजनों का निर्माण गैर-सरकारी क्षेत्र में होगा । तीन फर्मों से इनके निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्ताव मांगे गये हैं । तीन चुनी हुई फर्मों टेल्को, टेक्समाको और हिन्दुस्तान मोटर्स, के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक हुई थी और उसमें उन्हें बता दिया गया था कि रेलवे को तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष १५० बड़ी लाइन और मीटर लाइन के डीज़ल रेलवे इंजनों की जरूरत पड़ेगी और इन फर्मों से कहा गया था कि वे इन इंजनों के निर्माण के सम्बन्ध में अपने ठोस प्रस्ताव भेजें ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पर्लाकिमेडी लाइट रेलवे

†*१८३६. **श्री संगण्णा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गंजम और कोरापट जिलों (उड़ीसा) की सीमा पर स्थित ग्राम पालासिंगी में वंशधारा नदी के तटबन्धों में दरारें पड़ जाने के कारण नदी का पानी असर पर्ला-किमेडी लाइट रेलवे की लाइन पर होने वाला है ; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे लाइन को नदी के खतरे से बचाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) :** (क) जी हां । बड़ी बाढ़ आने पर नदी का पानी तटबन्धों के ऊपर होकर बहने लगता है और पालासिंगी गांव के निकट रेलवे के तटबन्ध को जलमग्न कर देता है ।

(ख) ऊंची बाढ़ से रेलवे लाइन को बचाने के लिये सुरक्षात्मक कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है ।

पटना में गंगा नदी पर रेल और सड़क का पुल

*१८३९. **श्री विभूति मिश्र :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने पटना में गंगा नदी पर चालू वर्ष १९५९ में रेल और सड़क का पुल बनाने का केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस मांग को कब तक पूरा करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री श्री सें० वें० रामस्वामी (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा वाइकाउंट विमानों का उपयोग

†*१८४४. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा वाइकाउंट विमानों के प्रतिदिन के उपयोग के घंटे आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड आदि देशों की अपेक्षा कम हैं; और

(ख) सो इन आधुनिक और महंगे विमानों का उपयोग कम क्यों किया जाता है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) जी नहीं। इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन प्रतिदिन प्रत्येक वाइकाउंट विमान का जितना उपयोग करता है उसके आंकड़े विश्व के अन्य भागों के वाइकाउंट संचालकों के आंकड़ों के अनुकूल ही बैठता है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बर्दवान-आसनसोल सेक्शन पर बिजली से गाड़ियां चलाना]

†*१८४८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व रेलवे के बर्दवान-आसनसोल सेक्शन पर बिजली से रेलगाड़ियां चलाने के काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ९३]**

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कार्यालयों में प्रयोग किये जाने वाले नक्शे

†*१८५३. **श्री संगण्णा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कार्यालयों में प्रयोग किये जाने वाले नक्शों में जम्मू तथा काश्मीर को भारतीय राज्य-क्षेत्र में नहीं दिखाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री महीउद्दीन) :** (क) और (ख). इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के प्रमुख कार्यालयों में जहां भी भारत के नक्शे लगाये गये हैं उन में जम्मू तथा काश्मीर को भारत के अंग के रूप में ही दिखाया गया है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कुछ कार्यालयों में विश्व के वाणिज्यिक नक्शे इस्तेमाल किये जाते थे जिन्हें एक विदेशी फर्म ने प्रकाशित किया था और जिन में जम्मू तथा काश्मीर का रंग उन रंगों से भिन्न था जिनका भारत और पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र दिखाने के लिये प्रयोग किया

†मूल अंग्रेजी में

गया था। इंडियन एयरलाइन्स कारपोशन ने तब से यह हिदायत दे दी है कि उसके जिन जिन कार्यालयों में इन नक्शों का प्रयोग होता हो, वहां से उनको हटा दिया जाय।

पटसन की खेती

†३०३२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ में प्रत्येक राज्य में कुल कितने क्षेत्र और कितने अतिरिक्त क्षेत्र में पटसन की खेती की गयी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ९४]**

पंजाब में मलेरिया कार्यक्रम

†३०३३. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्र-व्यापी मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये १९५९-६० में पंजाब को कितनी राशि आवंटित की गयी है ?

† **स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : यह अनुमान किया जाता है कि मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये १९५९-६० में पंजाब राज्य को ४५.२२ लाख रुपयों की केन्द्रीय सहायता दी जायगी। १९५९-६० के लिये पंजाब राज्य का व्यय २७.८९ लाख रुपये कूता गया है।

पश्चिम रेलवे पर शटल ट्रेन-सर्विसें

†३०३४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिवाड़ी-नरनौल सैक्शन (पश्चिम रेलवे) पर शटल सर्विसों में नियमितता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में भोजन-व्यवस्था करने वाले

†३०३५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीज़न में कितने भोजन-व्यवस्था करने वाले हैं; और

(ख) १९५८-५९ में उनके खिलाफ़ कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) १९६।

(ख) ५।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

उत्तर रेलवे पर भोजन व्यवस्था

†३०३६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे पर भोजन व्यवस्था करने वालों की संख्या कितनी है;

(ख) १९५८-५९ में इन भोजन व्यवस्था करने वालों के खिलाफ़ कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) अब तक इस रेलवे के किन-किन स्टेशनों पर विभागीय भोजन व्यवस्था लागू की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) ७३५ ।

(ख) १५० ।

(ग) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **(देखिय परिशिष्ठ ६, अनुबन्ध संख्या ९५)**

(घ) १. दिल्ली मेन

२. पठान कोट

३. नयी दिल्ली

४. वाराणसी

५. लखनऊ—बड़ी लाइन

६. मुरादाबाद

७. इलाहाबाद

८. कानपुर

पंजाब की सिंचाई योजनायें

†३०३७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब की विभिन्न मध्यम आकार की सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं के लिये १९५८-५९ में कुल कितनी राशि आवंटित की गयी थी ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : पंजाब की मध्यम आकार की सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं के लिये १९५८-५९ में स्वीकृत व्यय इस प्रकार है :

	लाख रुपयों में
१. मध्यम आकार की सिंचाई परियोजनायें . . .	१३२
२. विद्युत् परियोजनायें (भाखड़ा-नंगल के विद्युत् भाग के अलावा) .	२५०
३. भाखड़ा नंगल (सिंचाई और विद्युत् दोनों) . . .	१२२५

†मूल अंग्रेजी में

मीन-क्षत्र

†३०३८. { **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
सरदार इक़बाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मीन-क्षेत्रों के विकास के लिये १९५८-५९ में पंजाब सरकार को कितने अनुदान दिये गये थे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : २८,००० रुपये ।

बम्बई में बीज फार्म

†३०३९. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बीज तैयार करने के फार्मों की स्थापना के लिये १९५९-६० में बम्बई सरकार को राज सहायता के रूप में कितनी राशि आवंटित की गयी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : वर्किंग ग्रुप बीज तैयार करने वाले फार्मों की स्थापना के निमित्त १९५९-६० में बम्बई सरकार के लिये ३४.३३ लाख रुपयों की राशि आवंटित करने को राज़ी हो गया है ।

आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति

३०४०. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सामुदायिक विकास मंत्री द्वारा बंगलौर में दिये गये और जनवरी १९५८ के "स्वस्थ हिन्द" में प्रकाशित उस भाषण की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने सामुदायिक विकास परियोजना के अन्तर्गत देहाती क्षेत्रों की स्वास्थ्य और चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की सहायता लेने की वांछनीयता पर बल दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) और (ख). जी हां । केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की बंगलौर में हुई बैठक में सामुदायिक विकास मंत्री द्वारा दिये गये सुझाव पर विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति यह रही कि यद्यपि विधिवत् परिवर्धित आयुर्वेद लोगों के स्वास्थ्य अवधान में प्रमुख भाग लेगा फिर भी आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ इसका एकीकरण उचित नहीं है । आयुर्वेद के मौजूदा स्तर के निर्धारण और मूल्यांकन के लिये सरकार ने हाल में ही जो कमेटी बनाई थी उसने भी सामुदायिक विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत चिकित्सीय सहायता की व्यवस्था के लिये आयुर्वेद के इण्टेग्रेटेड ग्रेजुएट की सेवाओं के प्रश्न पर कुछ सिफारिशें की हैं, जो परीक्षाधीन हैं ।

ब्रह्मपुत्र नदी का पुल

†३०४१. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रह्मपुत्र के पुल के निर्माण के लिये अब तक कितने अफसर रखे गये हैं ;

(ख) उप-ठेकेदारों के नाम क्या हैं ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) क्या आंशिक-भुगतान ठेकेदारों को उपलब्ध किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि दी गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) १८ ।

(ख) ब्रह्मपुत्र के पुल की बुनियाद और सब-स्ट्रक्चर[1] के निर्माण का ठेका हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी को दिया गया था जो मेसर्स बी० बी० जे० एण्ड कम्पनी से वेल-कर्ब्स[2] और स्ट्रेक्स[3] प्राप्त कर रही है ।

सहायक निर्माण कार्य मेसर्स नारायणदास एण्ड कम्पनी, बी० बी० दास एण्ड सन्ज़, राजपूत कंस्ट्रक्शन कम्पनी, ओझा ब्रदर्स, मदनानी इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, ए० के० भट्टाचार्यजी, बी० के० कार, पी० सी० भट्टाचार्यजी, आर० वनर्जी, जे० एल० लाहोटी, एस० के० घोस, के० शर्मा, हिर्दूमल अडवानी, हीरानन्द, करोड़ीमल अडवानी और हर्गुनदास को सौंपा गया है ।

(ग) जी हां ।

(घ) ३७,३०,००० रुपये ।

पूर्व रेलवे की भूतपूर्व अनाज की दूकानों के कर्मचारी

†**३०४२. श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे में अनाज की दूकानों के फालतू कर्मचारियों को खपाने और उनकी वरिष्ठता निश्चित करने के लिये भेद पूर्ण प्रक्रिया अपनाने का जिन भूतपूर्व अनाज की दूकानों के कर्मचारियों पर बड़ी संख्या में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा बताया जाता है क्या उनके मामलों की जांच कर ली गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं ;

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). इस विषय पर परस्पर विरोधी मत होने के कारण इस मसले पर संगठित श्रमिकों से चर्चा करने का विचार है ।

असिस्टेंट सर्जन

†**३०४३. श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के डाक्टरों (असिस्टेंट सर्जनों) को अराजपत्रित तृतीय श्रेणी की पदाली में रख दिया जाता है जिससे सरकारी नौकरी वाले असिस्टेंट सर्जनों की तुलना में उनके प्रतिकूल पक्षपात पूर्ण व्यवहार होता है ;

(ख) क्या उक्त डाक्टरों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं से अलग माना जाता है ;

(ग) क्या उनके वेतन-क्रम और पदोन्नति के अवसर अन्य सरकारी नौकरियों वाले एक सी ही योग्यता वाले कर्मचारियों की तुलना में अनुकूल नहीं ठहरते ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस भेद भाव को दूर किया जायगा ।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां । रेलवे के असिस्टेंट सर्जन अराजपत्रित कर्मचारी होते हैं । उनकी भर्ती और नौकरी की शर्तों संबंधी नियम रेलवे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाये गये थे । यह असैनिक क्षेत्र के नियमों से भिन्न हैं, लेकिन इसमें कोई भेदभाव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Substructure

[2] Well-curbs

[3] Strakes

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

स्टेशनों पर पब्लिक साइडिंगें

†३०४४. **श्री पाणिग्रही :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना में निम्नलिखित स्टेशनों की पब्लिक साइडिंगें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है:

१. बाराबिल

२. बाराजमदा

३. नोआमुंडी

४. देओरझाल

५. वंशपाणि

६. जाजपुर-क्योंझर रोड, और

७. भद्रक ।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** द्वितीय पंच वर्षीय योजना में दक्षिण पूर्वी रेलवे के बाराजमदा, नोआ मुन्डी, वंशपाणि, जयपुर–क्योंझर रोड और भद्रक स्टेशनों पर विद्यमान पब्लिक साइडिंगों की सुविधाओं में और भी वृद्धि और परिवर्तन करने के प्रस्ताव हैं । बाराबिल स्टेशन पर एक नयी पब्लिक साइडिंग का निर्माण करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । इस समय देओरझाल स्टेशन पर पब्लिक साइडिंग बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्यों कि उस स्टेशन के निकट भविष्य में सार्वजनिक यातायात के लिये खुलने की कोई संभावना नहीं है ।

हिन्दूमलकोट-गंगानगर लाइन

†३०४५. **श्री कर्णी सिंह जी :** क्या **रेलवे** मंत्री ५ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५७६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दूमलकोट और गंगानगर के बीच एक बड़ी लाइन की लाइन बिछाने के प्रस्ताव के संबंध में तब से कितनी प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** योजना आयोग के परामर्श से यह प्रस्ताव अब भी विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश में गोदामों के किराये

३०४६. **श्री सरजू पांडे :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने गोदाम किराये पर लिये हैं जिनका किराया अभी तक तै नहीं हो पाया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): दो, जो गोदाम गैर-सरकारी पक्षों से किराये पर लिये गए हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश में सिंचाई तथा विद्युत् परियोजनायें

३०४७. श्री सरजू पांडे : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को सिंचाई तथा विद्युत् योजनाओं के लिये कुल कितनी राशि दी गई ; और

(ख) उक्त राशि किन-किन योजनाओं के लिये दी गई ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित बड़ा तथा मध्यम श्रेणी सिंचाई तथा विद्युत् योजनाओं के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को दी गई राशि इस प्रकार है :—

पहली योजना	करोड़ रुपये में
सिंचाई	३४·०२
विद्युत् . .	२३·४२
(रिहन्द को छोड़ कर)	
रिहन्द	४·७७*

*यह पहली योजना अवधि का कुल खर्चा है ।

दूसरी योजना	
सिंचाई	२५·८०
विद्युत् (रिहन्द सहित)	५४·६२

(ख) पहली और दूसरी योजनाओं में सम्मिलित योजनाओं की सूची संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ९६]**

कृषि का विकास

३०४८. श्री सरजू पाण्डे : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को वर्ष १९५९-६० में खेती के विकास के लिये कुल कितनी धन राशि दी गई है ; और

(ख) इस कार्य के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस अवधि के लिये कितनी धन राशि मांगी थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) सहकारिता को छोड़कर, कृषि क्षेत्र के लिये उत्तर प्रदेश राज्य का सन् १९५९-६० के वार्षिक योजनाओं का सीलिंग ९४१·६५ लाख रुपये था, जैसा कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा स्वीकार किया गया ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने ९५७.९७ लाख रुपये की राशि मांगी थी ।

†मूल अंग्रेजी में

प्याज

३०४९. श्री सरजू पाण्डे : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतांने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ में देश में प्याज की राज्य-वार पैदावार कितनी थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : देश में प्याज के उत्पादन सम्बन्धी अपेक्षित डाटा उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह पूर्वानुमान फसल नहीं है, जिस के लिये ऐसा डाटा इकट्ठा किया जाता है । फिर भी सन् १९५७-५८ के लिये मुख्य प्याज उगाने वाले राज्यों के द्वारा भेजे गये आखरी आंकड़ों का एक विवरण नत्थी कर दिया गया है । अन्य राज्यों के लिये उत्पादन आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ९७]**

वनस्पति घी

†**३०५०. श्री आसर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७ और १९५८ में 'वनस्पति घी' का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) १९४७ और १९५८ में वनस्पति घी की राज्यवार कितनी खपत हुई ; और

(ग) १९४७ और १९५८ में वनस्पति घी का कुल कितना निर्यात किया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन):** (क) १९४७ और १९५८ में वनस्पति घी का उत्पादन क्रमशः ९५,१११ और २,९५,१५४ टन था ।

(ख) वनस्पति घी की राज्यवार खपत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । फैक्टरियों द्वारा विभिन्न राज्यों को भेजे गये वनस्पति घी के आधार पर विभिन्न राज्यों की मांग सभा-पटल पर रखे गये विवरण में बतायी गयी है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ९८]**

कलिंगपतनम्-पार्वतीपुरम् लाइन

†**३०५१. श्री सत्यनारायण :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण पूर्व रेलवे में कलिंगपतनम् और पार्वतीपुरम् के बीच प्रस्थापित रेलवे लाइन का सर्वेक्षण करने के सम्बन्ध में अभी तक क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** प्रस्थापना रेलवे की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है और न ही इस के बारे में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सिफारिश की है ?

पंजाब में सड़कों का निर्माण

†**३०५२. श्री दलजीत सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे, जिस में यह बताया गया हो कि :

(क) पंजाब सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अन्तर्राज्यीय तथा आर्थिक महत्व की सड़कों के निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार को कौन कौन सी योजनायें भेजीं और उन में से कौन कौन सी योजना स्वीकार की गई हैं, और इन योजनाओं के अन्तर्गत सड़कों की कुल कितनी लम्बाई होगी, उन पर कितनी लागत आयेगी और उन के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायेगी;

(ख) उन में से कितनी योजनायें पूरी की जा चुकी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). प्रथम पंचवर्षीय योजना में पंजाब में लगभग २·६८ करोड़ रुपये की लागत की अन्तर्राज्यीय तथा आर्थिक महत्व की १७ योजनाओं के एक कार्यक्रम की मंजूरी दी गयी थी। उन में से १·१७ करोड़ रुपयों की लागत के १४ निर्माण कार्यों के प्राक्कलनों पर मंजूरी दी गयी। सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में चालू पंचवर्षीय योजना में प्राप्त १६ निर्माण कार्यों के प्राक्कलन सम्बन्धी जानकारी दी गई है। इन निर्माण कार्यों में १·०५ करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता अन्तर्ग्रस्त है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ९९]** उन योजनाओं के सम्बन्ध में कुछ और प्राक्कलनों पर अभी मंजूरी दी जानी है। राज्य सरकार द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नयी सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में कोई भी योजना नहीं भेजी गयी है।

टेलीफोन के कनेक्शन

†**३०५३. श्री सिद्धय्या** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में मैसूर राज्य के मंगलौर और मैसूर जिलों में प्रत्येक एक्सचेंज पर कितने नये टेलीफोन के कनेक्शन दिये गये;

(ख) ३१ मार्च, १९५९ तक इन में से प्रत्यक एक्सचेंज में टैलीफोन लगाने के लिये आये हुए कितने आवेदन पत्र बकाया थे; और

(ग) वहां पर भी कब तक टेलीफोन लगा दी जायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) और (ख). जानकारी निम्न-लिखित है :—

जिले का नाम	एक्सचेंज का नाम	१९५८-५९ में दिये गये कनेक्शन	३१-३-५९ को बकाया आवेदन पत्रों की संख्या
१. **मैसूर**	१. मैसूर	२०	१३८
	२. नंजनगुड		४
	३. चमराजानगर		३
	४. कोलिगल	..	१०
	५. हन्सूर	..	
२. **बंगलौर**	१. बंगलौर	१०३१	१७६८
	२. दोडबालापुर	३	२०
	३. चेनापतन	५	११
	४. ह्वाइट फील्ड	..	..

(ग) बंगलौर और मैसूर एक्सचेंजों में बहुत से आवेदन पत्र बकाया पड़े हुए हैं। पहले के कनैक्शनों की क्षमता बढ़ा दी गई है। और धीरे धीरे नये कनेक्शन भी दिय जा रहे हैं। इस वर्ष में मैसूर एक्सचेंज की क्षमता को बढ़ा देने का विचार है।

†मूल अंग्रेजी में

आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक बकाया आवेदन पत्रों में से अधिकांश के लिये कनैक्शन दे दिये जायेंगे ।

मेल तथा एक्सप्रैस गाड़ियों का ठहरना

†३०५४. श्री रामी रेड्डी :
श्री वेंकटा सुब्बैया :
श्री नरपा रेड्डी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ अप्रैल, १९५९ से जो नया टाइम टेबिल लागू किया गया है, उस के अनुसार दक्षिण और मध्य रेलवे के कई स्टेशनों पर मेल तथा एक्सप्रैस गाड़ियों का रुकना बन्द हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन कौन से स्टेशन हैं जहां मेल और एक्सप्रैस गाड़ियां पहले रुकती थीं और अब नहीं रुकतीं; और

(ग) उस के क्या क्या कारण हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). १-४-५९ से दक्षिण रेलवे के कुछ एक स्टेशनों पर मेल और एक्सप्रैस गाड़ियों का ठहराना बन्द कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १००]

मध्य रेलवे में १५ डाउन और १६ अप ग्रांड ट्रंक एक्सप्रैस तथा २१ डाउन और २२ अप एयर कंडीशन्ड एक्सप्रैस जो पहले रामगुंडम् में ठहरती थीं, अब १-४-५९ से वहां नहीं रुकती । अब उन्हें राम-गुंडम के स्थान पर बेलमपल्ली स्टेशन पर ठहराया जाता है ।

(ग) दक्षिण रेलवे में यातायात की कमी के कारण वैसा किया गया है ।

रेल गाड़ियों को बिजली से चलाने के लिये आर्डर

†३०५५. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री उस्मान अली खां :
श्री खुशवक्त राय :
श्री सिद्धनंजप्पा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल गाड़ियों को बिजली से चलाने के लिये विदेशी फर्मों को दस करोड़ रुपये के आर्डर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के क्या क्या नाम हैं

(ग) ठेकों की मुख्य मुख्य शर्तें क्या हैं

(घ) क्या सामान भारत में तैयार किया जायेगा अथवा वह विदेशों से यहां पर मंगवाया जायेगा;

(ङ) इन ठेकों के लिये भारतीय तथा विदेशी मुद्रा में कितनी कितनी राशि अदा की जायेगी; और

(च) वह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) से (च). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १०१]**

रेलों का डीजल इंजनों से चलाया जाना

†३०५६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय रेलों को डीजल इंजनों से चलाने के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: इन भारतीय रेलों में बड़ी लाइनों पर १३५ मीटर लाइन पर २६ और छोटी लाइन पर ८ डीजल इंजन चल रहे हैं। मेन लाइन के लिये बड़ी लाइन के ११ डीजल इंजन प्राप्त किये जा रहे हैं। उन्हें पूर्व रेलवे में और दक्षिण पूर्व रेलवे के स्टील बेल्ट क्षेत्र में चलाया जायेगा। बड़ी लाइन के ६५० हार्स पावर के ७ और डीज़ल शन्टर इंजनों के लिये भी ११-३-५९ को मेसर्स एम० ए० के० जर्मनी को आर्डर दे दिये गये हैं।

पंजाब में सड़कों का निर्माण

†३०५७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब राज्य से ग्राम पंचायत सड़क निर्माण योजना के अधीन सड़कों के निर्माण के लिये कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उस में मुख्य मुख्य क्या सुझाव दिये गये हैं; और

(ग) क्या उन योजनाओं के लिये मंजूरी दे दी गयी है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). पंजाब सरकार ने ग्राम सड़क विकास सहकारी योजना के अधीन २६ योजनायें भेजी थीं; उन के लिये कुल ३०·३५ लाख रुपयों के प्राक्कलन भेजे गये हैं और उन में से १५·१५ लाख रुपयों के अनुदान मांगे गये हैं ।

क्योंकि राज्य सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में केवल ४ लाख रुपये ही खर्च करने का विचार रखती है जिस दशा में कि पहले केन्द्रीय सरकार केवल ८ लाख रुपयों के ही अनुदान दे सकती है, इसलिये राज्य सरकार से यह कहा गया है कि वह इस सम्बन्ध में संशोधित सुझाव भेजें जिन पर कुल १६ लाख रुपयों की लागत आये ताकि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निवासियों का धन लगाने का अनुपात क्रमशः २:१:१ हो सके ।

फसलों को क्षति

†३०५८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १८ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी हो गई है कि फसल को कितना नुकसान हुआ और बाढ़ का कितने क्षेत्र में असर पड़ा; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) और (ख). राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्रों-से प्राप्त जानकारी निम्नलिखित है :—

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	जितने क्षेत्र पर असर पड़ा है	फसलों को होने वाली हानि	
		धान	अन्य फसल
	एकड़	टन	टन
१. आसाम	१,६३,४०९	२८५८६	५७११
२. बम्बई	७,५१,०६८	६८०	२८७०७
३. दिल्ली	३७,३४१	..	उपलब्ध नहीं
४. हिमाचल प्रदेश	१,००१	२१½	१८२
५. केरल	३३०	२००	.
६. मध्य प्रदेश	४,९८०	४०२	१७३०
७. पंजाब	१८,९५,९९६	८१५४३	८७४४३३
८. राजस्थान	१,४९,८९२*	३	२९४७२

(१) *भरतपुर जिले में अगस्त, १९५८ में जिन क्षेत्रों पर असर पड़ा था, वे भी उस में सम्मिलित हैं ।

(२) उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के सम्बन्ध में सितम्बर, १९५८ के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

चण्डीगढ़ के डाक तथा तार घर की इमारत

†३०५९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ में केन्द्रीय डाक तथा तार घर की ईमारत बनवाने की योजना मंजूर कर दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण-कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) चण्डीगढ़ में केन्द्रीय डाक तथा तार घर की इमारत बनवाने के प्रश्न पर कुछ समय से विचार किया जा रहा है । इस के लिये चण्डीगढ़ के मध्य में एक प्लाट भी रक्षित कर लिया गया है । अभी तक यह निश्चय नहीं किया गया है कि उस इमारत में कितने दफ्तर रखे जायें । यह निश्चित करने के बाद इमारत के डिज़ाइन और उस की परियोजना को मंजूरी दी जायेगी । फिलहाल डाक तथा तार घर को पंजाब सरकार द्वारा दिये गये एक स्थान पर अस्थायी रूप से खोल दिया गया है ।

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, १९५६ के अधीन नियम

†३०६०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १२ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्यों से अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, १९५६ के अधीन तैयार किये गये नियमों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के विचार प्राप्त हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या नियमों को अन्तिम रूप से तैयार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस का क्या ब्योरा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) राज्य सरकारों के विचार अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पश्चिमी बंगाल में चावल की वसूली

†३०६१. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८-५९ में पश्चिमी बंगाल में चावल मिलों के उत्पादन पर २५ प्रतिशत 'लेवी' लगा कर चावल की कोई वसूली की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितना चावल प्राप्त किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां ।

(ख) १ दिसम्बर, १९५८ से २८ मार्च, १९५९ तक की अवधि में लगभग ४३,२०० टन चावल ।

डाक तथा तार विभाग में महिला कर्मचारी

†३०६२. **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री पांगरकर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिस में यह बताया गया हो कि ३१ मार्च, २९५९ को देश में डाक तथा तार विभाग के विभिन्न सर्कलों में कितनी महिलायें काम कर रही थीं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १०२]**

---

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय खाद सम्बन्धी सम्मेलन[1]

†३०६३. **श्री विभति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९ से २२ जनवरी, १९५९ तक मद्रास में एक अखिल भारतीय खाद्य सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उस में क्या क्या निर्णय किये गये थे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां। १९ से २२ जनवरी, १९५९ तक मद्रास में स्थानीय खाद संसाधनों के विकास के सम्बन्ध में एक अखिल भारतीय गोष्ठी हुई थी।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में मुख्य मुख्य सिफारिशें निहित हैं। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १०३]** इन सभी सिफारिशों को राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिया गया है।

दिल्ली में सिंचाई एकक

†३०६४. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक सिंचाई एकक की स्थापना के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त एकक का क्या कार्य होगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां।

(ख) यूनिट के कार्य ये हैं :—

(१) अनेक स्थानीय साधनों जैसे नलकूपों, कुओं, छोटे तालाबों, नजफगढ़ झील और नहर के तरीके आदि से सम्भावित पानी का एक विधि अनुकूल सर्वे करना; और

(२) अच्छे और विस्तरित सिंचाई के लिये योजना बनाना और यह देखना कि वे योजनायें कार्यान्वित हों।

चिकिलथाना हवाई अड्डे (औरंगाबाद) पर डाक तथा तार सम्बन्धी सुविधायें

†३०६५. **श्री पांगरकर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औरंगाबाद के निकट चिकिलथाना हवाई अड्डे पर डाक तथा तार सम्बन्धी कौन कौन सी सुविधायें उपलब्ध हैं; और

(ख) क्या सुविधाओं में सुधार करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) चिकिलथाना नामक गांव में एक विभागीय डिलीवरी सब पोस्ट आफिस है जो कि चिकिलथाना हवाई अड्डे की डाक सम्बन्धी

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]All India Manurial Conference.

आवश्यकतायें पूरी करता है । वहां पर टेलीफोन भी है जो कि औरंगाबाद एक्सचेंज से काम करती है । वहां से निकटतम तार-घर औरंगाबाद रेलवे स्टेशन है

(ख) जी नहीं ।

समस्तीपुर-नरकटियागंज रेलवे लाइन

३०६६. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समस्तीपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) से बड़ी लाइन को मुजफ्फरपुर के रास्ते नरकटियागंज तक बढ़ाने के बारे में कोई निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना खर्च होने का अनुमान है, और यह कितने समय के अन्दर तैयार हो जायेगी ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) बड़ी लाइन को बरौनी से आगे बढ़ाने के सुझाव पर अभी विचार किया जा रहा है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

राज्यों द्वारा खाद्यान्नों की वसूली

†३०६७. **श्री बोडयार :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिणी खाद्य ज़ोन में खाद्यान्नों की वसूली के लिये विभिन्न राज्यों द्वारा विभिन्न उपाय अपनाये जा रहे हैं; और

(ख) क्या यह भी सच है कि मैसूर राज्य द्वारा अपनाया जा रहा तरीका काश्तकारों के लिये हानिकारक सिद्ध हो रहा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) आन्ध्र प्रदेश में केन्द्र द्वारा चावल की खरीद या तो स्वेच्छा से किये गये बेचने के प्रस्ताव पर या वसूली के आधार पर की जा रही है। आन्ध्र में केरल सरकार भी मिलों तथा व्यापारियों से चावल खरीद रही है। केरल में राज्य-सरकार कुछ चावल स्वेच्छा से किये जाने वाले बेचने के प्रस्ताव के आधार पर, जैसे फालतू चावल वाले पालघाट जिलों से खरीद रही है। मद्रास तथा मैसूर राज्यों में राज्य सरकारें मिलमालिकों, व्यापारियों और अन्य व्यक्तियों से धान तथा चावल अपनी 'लेवी' योजनाओं के अधीन वसूल कर रही है ।

(ख) जी नहीं ।

रेलवे अधिकारियों की भर्ती

†३०६८. **श्री राजेन्द्र सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९४५-४७ में रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलों पर स्थापना कार्य के लिये संयुक्त प्रतियोगता उच्च सेवाओं में से कुछ अधिकारी भर्ती किये थे;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उस के बाद इस प्रकार की भर्ती बन्द कर दी गयी है;

(ग) इन पदालियों से आये हुए अधिकारियों की सेवाओं को भारतीय रेलों के अन्य उच्च अथवा प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के समतुल्य बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) विभिन्न रेलों पर इस समय इस प्रकार के कितने अधिकारी हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) तथा (ख). जी हां ।

(ग) ये अधिकारी प्रथम श्रेणी के अधिकारी बना दिये गये हैं ।

(घ) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १०४]**

दिल्ली की तांगा-रेढ़ा यूनियन द्वारा हड़ताल

†३०६९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की तांगा-रेढ़ा यूनियन ने ३ फरवरी, १९५९ को कोई हड़ताल की थी और उन के कुछ प्रतिनिधि मंत्री महोदय से उन के निवास स्थान पर मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन की क्या शिकायतें हैं; और

(ग) शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) तथा (ख). दिल्ली की तांगा-रेढ़ा यूनियन की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल मुझ से ३ फरवरी, १९५९ को मिला था । उन्होंने यह शिकायत की थी कि दिल्ली में चने की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं और उन्हें सस्ते दामों पर चने सप्लाई करने की कोई व्यवस्था की जानी चाहिए ।

(ग) उनको यह बताया गया कि सरकार के पास चने का कोई स्टॉक नहीं है । यदि वे चाहें तो उन्हें उचित मूल्य पर गेहूं की भूसी दी जा सकती है । यूनियन ने यह प्रस्ताव मान लिया और उसी दिन से उनको दिल्ली रोलर फ्लोर मिल्स से ७$^{1}/_{2}$ रुपये प्रति मन के हिसाब से प्रति दिन २५० मन गेहूं की भूसी देने का प्रबन्ध कर दिया गया है ।

पेराम्बूर में रेल के डिब्बों का निर्माण

†३०७०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ दिसम्बर, १९५८ से ३१ मार्च, १९५९ के बीच 'इंटेग्रल कोच फैक्टरी, पेराम्बूर' में कितने सवारी-डिब्बे तैयार हुए;

(ख) १९५७ और १९५८ की इसी अवधि में कितने-कितने डिब्बे बने थे; और

(ग) इस कारखाने की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए और क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १०५]**

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में तल जलनिस्सारण योजना[1]

†३०७१. **श्री पाणिग्रही :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ११ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की सरकार ने १९५५-५६, १९५६-५७, १९५७-५८, १९५८-५९ और १९५९-६० के लिये तल जलनिस्सारण के सम्बन्ध में कोई योजनाएं भेजी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये उड़ीसा राज्य को प्रतिवर्ष कितनी धनराशि दी गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) १९५५-५६ में उड़ीसा सरकार ने बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत तल जलनिस्सारण के सुधार के बारे में कोई योजना नहीं भेजी थी । किन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए १९५६-५७ से लेकर बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसी योजनायें सम्मिलित की गई हैं;

(ख) केवल तल जलनिस्सारण की योजनाओं के लिये पृथक से कोई रकम नहीं दी जाती है । बाढ़ नियंत्रण के सब कामों के लिये धनराशि दी जाती है जिसमें यह कार्य भी शामिल रहता है । १९५९-६० के बजट में बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिये (जिन में ऐसी योजनाएं भी शामिल हैं) उड़ीसा को ३० लाख रुपये का ऋण सहायता देने की व्यवस्था की गई है । पिछले वर्षों के ऋणों का व्योरा इस प्रकार है :—

वर्ष	स्वीकृत ऋण
१९५५-५६	१५ लाख रुपये
१९५६-५७	६५ लाख रुपये
१९५७-५८	४५ लाख रुपये
१९५८-५९	३० लाख रुपये

बहूदा नदी[2] परियोजना

†३०७२. **श्री संगण्णा :** क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** २७ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक उड़ीसा सरकार से बहूदा नदी परियोजना के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ।

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) तथा (ख). राज्य सरकार ने केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को इस परियोजना की विस्तृत जांच करने और रिपोर्ट देने के लिये कहा है । आयोग इस जांच पर होने वाले व्यय का अनुमान तैयार कर रहा है । जब राज्य सरकार यह व्यय देना स्वीकार कर लेगी तब इसके बारे में जांच-कार्य शुरू किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Surface drainage Scheme.

[2] Bahuda.

_ाफ तथा तार कर्मचारियों को ड्यूटी भत्ता

†३०७३. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ७ मई, १९५० और १४ दिसम्बर, १९५२ के बीच जिन डाक तथा तार कर्मचारियों को इतवार को ड्यूटी पर बुलाया गया है उन्हें कोई ड्यूटी भत्ता नहीं दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल के सर्कल के पोस्ट मास्टर जनरल ने अपने कलकत्ता कार्यालय के ३ मई, १९५० के ज्ञापन संख्या ई० एस० ए० २-१८९ में यह आश्वासन दिया था कि ७ मई, १९५० से छुट्टी के दिन आने वाले कर्मचारियों को मुआवजे के रूप में भत्ता दिया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो फिर ७ मई, १९५० से १४ दिसम्बर, १९५२ तक ऐसा भत्ता न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी हां।

(ख) जिन लोगों को साप्ताहिक अवकाश देना सम्भव नहीं था उनको पोस्ट मास्टर जनरल ने नकद प्रतिकर देने की घोषणा की थी जिसकी दर बाद में सरकार द्वारा निश्चित की जानी थी।

(ग) क्योंकि नकद प्रतिकर देने वाले सरकारी आदेश १५-१२-१९५२ से लागू हुए थे, इसलिए पोस्ट मास्टर जनरल को यह आदेश जारी करने के लिए कहा गया है कि इससे पहले छुट्टियों पर काम करने वाले कर्मचारियों को उन दिनों के काम के बदले उतनी छुट्टियां दे दी जायें।

भारतीय सहकारी यूनियन

†३०७४. **श्री कुमारन** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय सहकारी यूनियन से सहकारी विधियों सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब्र० स० मूर्ति)** : (क) सरकार को भारतीय सहकारी यूनियन से सहकारी विधियों सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट के बारे में एक "**समीक्षा**" तथा "**सहकारी विधियां—उनकी आवश्यकता और रूपरेखा**" नामक एक अन्तरिम रिपोर्ट मिली है। यूनियन ने सरकार को यह सूचना भी दी है कि वह इस विषय पर शीघ्र ही सरकार को भेजने के लिये एक पूर्ण रिपोर्ट तैयार कर रही है। इस रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास राज्य में खाद्यान्नों का उत्पादन

†३०७५. **श्री इलयापेरुमाल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ में 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के अन्तर्गत मद्रास राज्य में खाद्यान्नों के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : उपलब्ध जानकारी के अनुसार "अधिक अन्न उपजाओ" योजना के अन्तर्गत १ लाख टन अधिक खाद्यान्न उत्पन्न हुआ है (इस में सिंचाई की मुख्य योजनाओं, सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के कारण बढ़ने वाले खाद्यान्न सम्मिलित नहीं है)।

रक्त बैंक[1]

†३०७६. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय सरकार की सहायता से कितने रक्त बैंक काम कर रहे हैं;

(ख) इनको कब से सरकारी सहायता मिल रही है; और

(ग) इनके प्रारम्भ से आज तक इनको कितनी सहायता दी गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार की सहायता से काम करने वाला कोई ऐसा बैंक नहीं है किन्तु दिल्ली में इरविन तथा सफदरजंग अस्पतालों में तथा शिमला के सनोडाउन अस्पताल में 'ब्लड बैंक' हैं।

उड़ीसा राज्य की रेड क्रास सोसाइटी की ब्रांच को कटक में 'ब्लड बैंक' चालू करने के लिए ३०,००० रुपये का एक अनुदान दिया गया है।

रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सुविधायें

†३०७७. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में मध्य रेलवे के बलहारशाह-काज़ीपेट सेक्शन के विभिन्न स्टेशनों पर यात्रियों को कौन-कौन सी सुविधाएं देने का विचार है;

(ख) इनके लिए १९५७-५८ और १९५८-५९ में कितनी राशि स्वीकृत की गई थी और उस में से कितनी खर्च की गई; और

(ग) इस कार्य को पूरा करने के लिए कुल कितना व्यय होने का अनुमान है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) १९५९-६० के प्रोग्राम में काज़ीपेट स्टेशन के प्लेटफार्म तथा तीसरे दर्जे के प्रतीक्षागृह का विस्तार करने का विचार है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Blood Banks.

(ख) १९५७–५८ . . . १८,००० रुपये
१९५८–५९ . . . . . १५० रुपये

अभी तक २००० रुपये व्यय हुए हैं।

(ग) कदाचित् माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि चालू वर्ष में दी जाने वाली सुविधाओं पर जिनका उपरोक्त भाग (क) में उल्लेख किया गया है, कुल कितना व्यय होने का अनुमान है। यदि उनका अभिप्राय इसी कार्य से है तो इस कार्य पर ९९,००० रुपये व्यय होने का अनुमान है।

डाक व तार कर्मचारियों के लिये मकान

†३०७८. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ और १९५७-५८ में डाक व तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने के लिए सर्कलवार कितनी-कितनी राशि निर्धारित की गई है ;

(ख) इस अवधि में प्रत्येक सर्कल में कितने क्वार्टर बने हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इस अवधि में कुछ सर्कलों में कोई क्वार्टर नहीं बने; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) तथा (ख). जानकारी नीचे दी जाती है :

सर्कल का नाम	स्वीकृत राशि		मकान संख्या	
	१९५६-५७	१९५७-५८	१९५६-५७	१९५७-५८
पश्चिमी बंगाल .	८९,४००	१,९९,५००	—	८
बिहार	३,७१,१००	४,३१,६००	३२	—
उत्तर प्रदेश	१,५०,२००	१,९३,८००	१८	३९
पूर्वी पंजाब	१,४४,०००	१,०२,१००	३०	१५
बम्बई	१,०३,७००	२,१३,५००	६	११
मद्रास	२,२७,१००	५,२३,७००	६	८
केन्द्रीय .	४,१२,५००	२,३७,८००	—	४०
आसाम .	४,८४,२००	१४,६९,७००	८८	६५
उड़ीसा .	—	—	—	—
राजस्थान .	४८,४००	३,५२,८००	—	—
हैदराबाद .	१,६६,०००	१,३४,०००	—	—
आन्ध्र . .	३,६०,६००	४,३९,६००	८	१२
दिल्ली . .	२,८९,५००	९,८७,०००	२३६	४०

†मूल अंग्रेजी में

सर्कल का नाम	स्वीकृत राशि		मकान संख्या	
	१९५६-५७	१९५७-५८	१९५६-५७	१९५७-५८
मद्रास टेलीफोन जिला .	३०,६००	३,३८,०००	५	—
कलकत्ता टेलीफोन जिला .	—	२०,०००	६	१४
बम्बई टेलीफोन जिला .	१,००,०००	२,००,०००	—	—
चीफ कण्ट्रोलर आफ टेली-ग्राफ स्टोर्स, कलकत्ता .	—	—	—	—
पी० एण्ड टी० वर्कशाप्स, कलकत्ता .	—	२४,३००	—	—
पी० एण्ड टी० सर्कल, जबलपुर . .	२,५६,७००	१६,८००	१६	—

(ग) जी हां ।

(घ) निर्माण सम्बन्धी कठिनाइयां, उपयुक्त स्थान का न मिलना और सरकार द्वारा नई इमारतों के निर्माण पर पाबन्दी आदि मुख्य कारण हैं ।

मद्रास-मदुरै विमान सेवा

†३०७९. **श्री तंगामणि** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मद्रास और मदुरै के बीच दैनिक विमान सेवा चलाना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से; और

(ग) क्या सरकार नया मार्ग बनाने के समय मद्रास-त्रिची-मदुरै को मिलाने का ध्यान रखेगी ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) से (ग). इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने यह घोषणा की है कि २०-४-१९५९ से मद्रास-बंगलौर-कोयम्बटूर-कोचीन-त्रिवेन्द्रम-मदुरै-त्रिची-मद्रास दैनिक सेवा नियमित रूप से चालू हो जायेगी और इस सेवा के विमान सप्ताह में तीन बार त्रिची जाया करेंगे ।

वन गवेषणा संस्था देहरादून

†३०८०. **श्री इलियापेरुमाल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देहरादून की वन गवेषणा संस्था कोई ऐसी रिपोर्ट या पत्रिका आदि प्रकाशित करती है जिसमें यह बताया गया हो कि वह कौन-कौन सी गवेषणाएं कर रही है और उस गवेषणा के परिणामों की कैसे कार्यान्विति हो रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : जी हां ।

†मूल अंग्रेजी में

इस इंस्टीच्यूट में होने वाली गवेषणा के परिणाम भारतीय वनों सम्बन्धी अभिलेखों, संस्मरणों, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में तथा भारत तथा विदेशी विज्ञान पत्रिकाओं में पृथक् लेखों के रूप में प्रकाशित होते रहते हैं। नये आविष्कारों के फलस्वरूप जो पेटन्ट बनाये जाते हैं वे राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम को दे दिये जाते हैं ताकि वह उन्हें इच्छुक व्यक्तियों को आगे विकास के लिये बेच सके।

चूंकि यह संस्था एक मात्र अनुसन्धान संस्था है इस लिये अनुसन्धानों के परिणामस्वरूप जो चीजें बनती हैं उनको यह व्यापार के लिये या बड़े पैमाने पर स्वयं तैयार नहीं करती किन्तु यह ऐसी वस्तुओं का उद्योगों, सहकारी विभागों, तथा जनता व इस प्रकार की वस्तुओं में रुचि रखने वाले लोगों में काफी प्रचार करती रहती है।

मद्रास राज्य में गन्ने का विकास

†३०८१. **श्री इलियापेरुमाल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में अब तक मद्रास राज्य में गन्ने के विकास के लिये कुल कितनी राज सहायता दी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : मद्रास राज्य को १९५७-५८ तक गन्ने के विकास की योजनाओं तथा चीनी मिलों में पक्की सड़कें बनाने के लिये १·०२ लाख रुपये के अनुदान दिये गये हैं। १९५८-५९ में गन्ने की विकास की योजना के नाम से कोई पृथक् राशि नहीं दी गई है किन्तु कृषि विकास योजनाओं के लिये, जिसमें गन्ने की विकास की योजना भी सम्मिलित है, ५४·६३ लाख रुपये के अनुदान दिये गये हैं।

डाकिये के पद पर एक महिला की नियुक्त

३०८३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिवेन्द्रम (केरल) में अभी हाल ही में एक डाकिये के पद पर एक महिला की नियुक्ति हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस पद पर नियुक्त होने वाली सारे भारत में यह सर्वप्रथम महिला है ; और

(ग) यदि नहीं, तो भारत में इस समय डाकिये के पद पर कितनी महिलायें काम कर रही हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) दो।

कुष्ठ का उन्मूलन

†३०८४. { **श्री विभूति मिश्र** :
श्री स० म० बनर्जी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एक निश्चित अवधि के उन्मूलन के लिये कोई योजना तैयार की है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस योजना का स्वरूप क्या है ; और

(ग) कुष्ठ का उन्मूलन कब तक हो जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) कुष्ठ के उन्मूलन के लिये कोई योजना नहीं है किन्तु उसके नियन्त्रण के लिये एक योजना चालू है ।

(ख) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

कुष्ठ नियन्त्रण योजना १९५४-५५ में शुरू की गई थी । प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह एक केन्द्रीय योजना रही । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस योजना को ४०९.४८ लाख रुपये के खर्च पर राज्य योजना में सम्मिलित कर दिया गया है ।

२. द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों में निम्नलिखित आधार पर केन्द्र स्वीकृत कर दिये गये हैं :—

(१) कुल अनावर्तक व्यय भारत सरकार वहन करेगी ।

(२) प्रथम वर्ष में ८० प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में ७० प्रतिशत, तृतीय वर्ष में ५० प्रतिशत, चतुर्थ वर्ष में ३० प्रतिशत और पंचम वर्ष में २० प्रतिशत आवर्तक व्यय भारत सरकार वहन करेगी ।

(३) अनुदान राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिया जाता है । प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आवर्तक व्यय में केन्द्रीय सरकार का हिस्सा इस प्रकार था :—

पहले छः महीने	सम्पूर्ण
अगले १२ महीनों के लिए	६६⅔ प्रतिशत
शेष छः महीने	५० प्रतिशत

उपरोक्त अवधि के पश्चात् आवर्तक व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था ।

३. कुष्ट नियन्त्रण योजना के अधीन राज्यों को प्रथम योजना अवधि के दौरान चार अध्ययन एवं उपचार केन्द्र तथा ३६ सहायक केन्द्र और द्वितीय योजना अवधि के दौरान अब तक ६२ सहायक केन्द्र स्वीकृत किये गये । अब तक स्वीकृत १०२ केन्द्रों में से ७२ केन्द्रों में कार्य शुरू हो गया है । द्वितीय योजना की शेष अवधि में ३८ और केन्द्रों को स्वीकृत करने का विचार है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

सेवान-छपरा लाइन

†३०८५. **श्री झूलन सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा २३ के अधीन इन वर्षों में पूर्वोत्तर रेलवे की मशरक होकर जाने वाली सेवान-छपरा लाइन की कभी कोई जांच हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस जांच के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार ने क्या आदेश जारी किये है ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ;

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग) .गवर्नमेंट इंस्पेक्टर आफ़ रेलवेज, लखनऊ (कलकत्ता) ने पूर्वोत्तर रेलवे की निरातकालिक जांच के दौरान यह कहा था कि छपरा थावे सेक्शन पर रेल की पटरी को सुरक्षा की दृष्टि से फिर से बिछाया जाना चाहिए। इसके अनुसार यह आदेश जारी किये गये हैं कि थावे होकर जानेवाली छपरा कचहरी से सेवान तक की सारी पटरी दोबारा बिछाई जाय। इसके लिए अपेक्षित अधिकांश सामग्री वहां पहुंच चुकी है और शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ होने की आशा है। इस बीच इस लाइन से जाने वाली गाड़ियों पर सुरक्षा की दृष्टि से रफ्तार की पाबन्दी लगा दी गई है।

भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा ७१-एच के अधीन अपराध

†३०८६. **श्री झूलन सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दस वर्षों में भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा ७१-एच के अधीन या इसके अधीन बनाये जाने वाले नियमों के अधीन क्या किसी व्यक्ति को कोई दंड दिया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: जी नहीं।

भारत सेवक समाज

†३०८७. **श्री पहाड़िया** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सेवक समाज को प्रारम्भ से ही केन्द्रीय सरकार द्वारा उसको बड़ा रुपया दिया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो किस कार्य के लिए ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)** : (क) तथा (ख) .इस प्रश्न का उत्तर किसी और दिन वित्त मंत्री द्वारा दिया जायेगा।

हिमाचल प्रदेश में वृक्षों को काटना

३०८८. **श्री पद्म देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने १९५४ में खाली भूमि पर लगे हुये वृक्षों को इन शर्तों पर काटने की इजाजत दे दी थी कि किसान को विभागीय वन अधिकारी द्वारा बताई गई भूमि में जितने वृक्ष काटेगा उससे तीन गुने वृक्ष लगाने पड़ेंगे;

(ख) क्या उस में यह भी एक शर्त थी कि वृक्षों को बेचने से प्राप्त हुई आधी धन राशि सरकार के पास जमानत के तौर पर रहेगी ग और उस धरती पर खेती करने और वृक्ष लगाने के पश्चात् जमानत का आधा भाग किसान को दे दिया जायेगा और आधा भाग सरकार कोष में एकस्व (रायल्टी) के रूप में जमा रहेगा ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह भी सच है कि वृक्ष नहीं लगाये गये और जमानत की राशि में से कइयों को पूरी राशि मिल गई जब कि दूसरों को केवल आधी मिली और कइयों को कुछ नहीं मिला ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी हां । किसानों को उस क्षेत्र में खेती करना या बगीचे लगाना था ।

(ख) शर्तें ये थीं कि वृक्षों की बिक्री का ५० प्रतिशत सरकार के पास जमा किया जावेगा जिस में से २५ प्रतिशत सरकार की फीस मान ली जायेगी । बाकी २५ प्रतिशत भूमि में खेती की जाने या बगीचे लगाये जाने के बाद पांच वर्षों की अवधि में रिफन्ड होना था ।

(ग) अधिकांश केसों में वृक्ष नहीं लगाये गये । फिर भी बिक्री के २५ प्रतिशत के रिफन्ड के लिये आज्ञायें दे दी गई हैं । किसी भी केस में ५० प्रतिशत की पूरी रकम रिफन्ड नहीं की गई है ।

रेलवे के प्लाटों के लिये खान स्वामियों के आवेदन

†३०८९. **श्री पाणिग्रही** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ से १९५८-५९ तक बन्सपानी स्टेशन पर रेलवे प्लाटों की एलाटमेन्ट के लिए छोटे खान मालिकों से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) उनमें से अब तक कितनों का निपटारा हो चुका है ; और

(ग) अब तक छोटे खान मालिकों को कितने प्लाट दिये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) १६ ।

(ख) सब ।

(ग) १५. एक प्रार्थनापत्र अस्वीकार किया गया है ।

महेन्द्रगढ़ जिले में डाक व तार की सुविधायें

†३०९०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में महेन्द्रगढ़ का पिछड़ा हुआ जिला डाक व तार संबंधी सुविधाएं देने की दृष्टि से पिछड़ा हुआ नहीं माना जाता ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) तथा (ख) . पंजाब के महेन्द्रगढ़ जिले में पहले से ही डाक तथा तार संबंधी पर्याप्त सुविधाएं हैं । इस जिले को ऐसी सुविधाओं के लिए विशेष रूप से पिछड़ा हुआ जिला नहीं घोषित किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे वर्कशाप, खड़गपुर

३०९१. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना की अवधि के लिए खड़गपुर स्थित रेलवे वर्कशाप के लिए कुल कितनी रकम निश्चित की गई है ; और

(ख) यह कार्यक्रम किन दौरों में पूरा होगा उनका विस्तृत विवरण ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी संबंधी एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १०६]**

लेटर बाक्स

†३०९२. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होशियारपुर जिले में कितने ऐसे गांव हैं जिनमें अभी तक कोई लेटर बक्स नहीं हैं ; और

(ख) वहां कब तक लेटर बक्स लग जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल):** (क) डाक तथा तार विभाग हर गांव में लेटर बक्स नहीं देता। इस संबंध में यह नियम है कि जिन गांवों या बस्तियों में प्रतिदिन दो या दो से अधिक पत्र डाले जाते हों और जो नज़दीक से नज़दीक के डाकघर या लेटर बक्स से एक मील से अधिक दूर हों उन्हीं में लेटर बक्स लगाये जाते हैं। होशियारपुर जिले में कुल २,१७२ गांव हैं। इनमें से १२८१ गांवों में लेटर बक्स लगाना आवश्यक है। १२६३ गांवों को लेटर बक्स दिये जा चुके हैं और १८ को देने बाकी हैं।

(ख) इन गांवों में शीघ्र ही लेटर बक्स दे दिये जायेंगे।

रेलवे सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

†३०९३. **श्री शिवनंजप्पा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-४९ के दौरान में भारत ने रेलवे सम्बन्धी किन-किन अंतराष्टीय सम्मेलनों में भाग लिया है ; और

(ख) भारत सरकार का इस पर कितना व्यय हुआ है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) १. इन्टरनेशनल रेलवे कांग्रेस एसोसिएशन के १७वें सत्र के एजेंडा सम्बन्धी प्रश्नावली के रिपोर्टरों की बैठक।

२. मेडरिड (स्पेन) में हुए अन्तर्राष्ट्रीय रेलवे काग्रेस एसोसिएशन का १७वां सत्र।

(ख) पहली मदपर	लगभग ४२६९ रुपये
दूसरी मद पर	लगभग १५,७६२ रुपये

स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

†३०९४. **श्री शिवनंजप्पा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ के दौरान में भारत ने स्वास्थ्य सम्बन्धी किन-किन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) भारत सरकार का इस पर कितना व्यय हुआ ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) तथा (ख) अपेक्षित जानकारी सम्बन्धी एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १०७]**

खाद्य तथा कृषि सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

†३०६५. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ के दौरान में भारत ने खाद्य तथा कृषि सम्बन्धी किन-किन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया; और

(ख) भारत सरकार का इन पर कितना व्यय हुआ है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) तथा (ख) अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

क्रमांक	अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का नाम	भारत सरकार द्वारा किया गया व्यय
		रुपये
१.	काष्ठ प्रोद्योगिकी सम्बन्धी चतुर्थ विश्व सम्मेलन, मेड्रिड (स्पेन) में . . .	५,१५६·१२
२.	सी० सी० पी० का ३०वां सत्र और एफ० ए० ओ० के ग्रेन ग्रुप का ३रा सत्र, रोम में . . .	२००·००
३.	मरुस्थल टिड्डी दल नियंत्रण सम्बन्धी शिल्पिक परामर्शदात्री समिति (टेक्नीकल एडवाइजरी कमेटी) का ८वां सत्र, रोम में . .	कुछ नहीं
४.	एफ० ए० ओ० (खाद्य तथा कृषि संगठन) का मरुस्थल टिड्डीदल नियंत्रण समिति का ५वां सत्र, रोम में .	४,५१४·८९
५.	पेन पेसिफिक तथा साउथ-ईस्ट एशिया वीमेन एसोसिएशन का ८वां त्रिवर्षीय सम्मेलन, टोकियो (जापान) में .	कुछ नहीं (इसका व्यय अखिल भारती महिला परिषद ने किया है)
६.	रेडियमधर्मी आइसोटोप्स के सम्बन्ध में १ से १३ सितम्बर, १९५८ तक जेनेवा में होने वाला दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन . .	६,३००·००
७.	विश्व मुर्गीपालन कांग्रेस, मेक्सिको . . .	कुछ नहीं
८.	चौथा एफ० ए० ओ० रीजनल सम्मेलन और अन्तर्राष्ट्रीय चावल आयोग का छठा सत्र, टोकियो (जापान) में	१८,६५८·००
९.	एफ० ए० ओ० परिषद का २९ वां सत्र, रोम में .	१,७००·००

†मूल अंग्रेजी में

क्रमांक	अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन का नाम	भारत सरकार द्वारा किया गया व्यय
१०.	भारत-प्रशान्त मत्स्यपालन परिषद् का ८वां सत्र, कोलम्बो में ६ से २२ दिसम्बर, १९५८ तक . . .	१,९००.००
११.	चावल के आर्थिक पहलुओं सम्बन्धी परामर्शदाता उपसमिति का तीसरा सत्र, कोलम्बो में, १६ से २४ फरवरी, १९५९ तक . .	१,३००.००

परिवहन तथा संचार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

३०९६. **श्री शिवनंजप्पा : क्या परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने १९५८-५९ के दौरान में परिवहन तथा संचार सम्बन्धी किन-किन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया है; और

(ख) भारत सरकार का इन पर कितना व्यय हुआ है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :**

क—परिवहन विभाग

(क) (१) प्रिस्ट्रेसड कंकरीट सम्बन्धी फेडरेशन दी ला प्रिकान्टरेंटी (एफ० आई० पी) का तीसरा सम्मेलन, बर्लिन में मई १९५८ में

२. अन्तर सरकारी नौवहन परामर्शदाता संगठन (इमको) की प्रेपरेटरी कमेटी की बैठक, न्यूयार्क में जून, १९५८ में

३. अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी यात्रा संगठनों के यूनियन (आई० यू० ओ० टी० ओ) की जनरल असेम्बली का १३वां सत्र, ब्रसल्स में अक्टूबर १९५८ में ।

४. अन्तर्देशीय परिवहन सम्बन्धी राज पथ उप-समिति तथा इकाफे की संचार समिति का चौथा सत्र, बैंगकाक में नवम्बर १९५८ में ।

५. अन्तर्देशीय परिवहन तथा इकाफे की संचार समिति की परिवहन के समन्वय सम्बन्धी कार्यकारी दल की बैठक, बैंगकाक में नवम्बर-दिसम्बर १९५८ में ।

इमको की एसेम्बली की लन्दन में जनवरी, १९५९ में हुई पहली बैठक ।

(ख) लगभग २२,५७० रुपये ।

ख—संचार तथा असैनिक उड्डयन विभाग

(क) तथा (ख). अभी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है । इस सम्बन्ध में बाद में लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रख दिया जायेगा ।

†मूल अंग्रेजी में

छपरा में डाक व तार कालोनी

†३०९७. **श्री राजेन्द्र सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना के पोस्ट मास्टर जनरल पोस्ट व टेलीग्राफ विभाग के महानिदेशक को छपरा में डाक व तार कर्मचारियों के लिय एक कालोनी बनाने के बारे में कोई योजना भेजी है; और

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) तथा (ख). पटना के पोस्ट मास्टर जनरल ने छपरा में डाक व तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने के लिये लगभग १½ एकड़ भूमि लेने का एक प्रस्ताव भेजा है। इसके लिये उन्हें स्वीकृति दे दी गयी है।

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय भांडागार

†३०९८. **श्री सरजू पांडे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९-६० में उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय भांडागारों की स्थापना के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय भांडागारों की स्थापना के लिये १९५९-६० में कोई विशेष राशि नहीं स्वीकृत की गई है।

कोटा बांध[1]

†३०९९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा बांध (चम्बल परियोजना) में दरारों में चूने की भराई का कार्य[2] शुरू हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कहां तक सफल हुआ है; और

(ग) क्या अन्य परियोजनाओं में भी यह नयी योजना लागू की जायेगी ?

†**सिचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां ।

(ख) अभी यह कार्य पूरा नहीं हुआ। अब तक पानी रिसने के बारे में जो परीक्षण किये गये हैं वे काफी सफल रहे हैं।

(ग) जहां कहीं आवश्यकता देखी जायेगी और जहां अन्य विकल्प जैसे खुली खुदाई आदि न हो सकती हों या बहुत मंहगी पड़ती हों वहां इस नयी विधि का नमूने के तौर पर प्रयोग किया जायेगा।

हिमाचल प्रदेश में भूमि का कटाव

३१००. **श्री पद्म देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में भूमि के कटाव को रोकने के लिये जो धन-राशि १९५८-५९ के लिये मंजूर की गई थी उसमें से कितना धन खर्च हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Kotah Barrage.

[2]Clay Grouting Operations.

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जन) : पंचायत वनों की योजनाओं को शामिल करके भूमि संरक्षण योजनाओं पर हिमाचल प्रदेश प्रशासन के द्वारा ९०,९०० रुपये का व्यय किये जाने की रिपोर्ट मिली है ।

एजुकेशनल ठेके

३१०१. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **रेलवे** मंत्री २८ मार्च, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक निजी फर्म को कितने-कितने मूल्य के एजुकेशनल रेलवे के ठेके दिये गये;

(ख) इन में से प्रत्येक ठेके का पुनर्नवीकरण किस तिथि को किया गया;

(ग) इन में से प्रत्येक ठेके के पुनर्नवीकरण का आधार क्या था; और

(घ) इन ठेकों में से प्रत्येक की अन्तिम तिथि क्या है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :(क) से (घ). एक बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १०८]**

रेल दुर्घटना

†३१०२. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ५ मार्च, १९५९ को अन्नाकापल्ली के नजदीक लेवल क्रासिंग पर एक बैल गाड़ी और माल गाड़ी के टकराने के कारण हुई रेल दुर्घटना की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें दो व्यक्तियों और दो जोड़ी बैलों की मृत्यु हो गई;

(ख) क्या यह सच है कि उस क्षेत्र की जनता सरकार को उस गेट पर एक चौकीदार तैनात करने के लिये बार-बार प्रार्थना भेज चुकी है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां । ५/६ मार्च १९५९ की रात को लगभग १.५० बजे १७७७ डाउन माल गाड़ी जबकि बयावरम और अन्नाकापल्ली स्टेशनों के बीच, दक्षिण रेलवे के राजामुन्दरी-वालटेयर सेक्शन पर, चल रही थी, मील संख्या ४६१/१३ पर एक लेवल क्रासिंग पर जिस पर कि कोई व्यक्ति नहीं रहता है, एक दो जोड़ी बैलों वाली बेलगाड़ी से टकरा गई। इसके फलस्वरूप गाड़ोवान और दो बैल उसी स्थल पर मर गये और बैल-गाड़ी में बैठे हुए चार अन्य व्यक्तियों को चोटें लगी हैं जिनमें से तीन की हालत बड़ी खराब है। बाद में अस्पताल में जाने पर तीन बुरी तरह घायल व्यक्तियों में से दो और व्यक्ति मर गये । इस प्रकार कुल ३ व्यक्ति मरे हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) राज्य सरकार से परामर्श करके इस स्थान पर गेट लगाने और चौकीदार नियुक्त करने की बातचीत रेलवे प्रशासन के विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गलगण्ड रोग नियंत्रण[1]

†३१०३. **श्री हेम राज** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों और क्षेत्रों के लोग गलगण्ड रोग से अधिकतर ग्रस्त हैं;

(ख) १९५८–५९ में इस रोग से प्रत्येक राज्य में कितने व्यक्ति पीड़ित थे ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) गलगण्ड रोग निम्नलिखित क्षेत्रों में व्याप्त है :

(क) **काश्मीर** ।

(ख) **पंजाब** : कांगड़ा, होशियारपुर, गुरदासपुर और अम्बाला जिलों में ।

(ग) **हिमाचल प्रदेश** : हमासू, मंड़ी, चम्बा, सिरमूर और बिलासपुर जिलों में ।

(घ) **उत्तर प्रदेश** : देहरादून, नैनीताल, अलमोड़ा, बस्ती, पीलीभीत, बहराइच, गढ़वाल, गोंडा और गोरखपुर जिलों में ।

(ङ) **बिहार** : सारन, चम्पारन, दरभंगा, मजफ्फरपुर, सहरसा, पूर्णिया जिलों और रांची के समीप आदिम जाति क्षेत्र में ।

(च) **पश्चिमी बंगाल** : दार्जिलिंग, कूच बिहार, जलयचगिरि, माल्दा जिलों में ।

(छ) **आसाम** : ग्वालपारा, शिवसागर, मिकीर, और उत्तरी कचार जिलों में ।

(ज) **नेफा** : कामंग, सुबंसारी, सियान्ग, लोहित और तिरप की सीमान्त डिवीनों में ।

(१) **मनिपुर** : तामेनलांग सब डिवीजन

(ख) निम्नलिखित राज्यों में गलगण्ड रोग के रोगियों की संख्या का व्योरा नोचे दिया जाता है :—

राज्य का नाम	गण्डमाला से पीड़ित लोगों की संख्या	प्रतिशत
१. पंजाब	९,६०,०००	४० प्रतिशत
२. हिमाचल प्रदेश	१२,१७८	३ प्रतिशत से १७ प्रतिशत
३. उत्तर प्रदेश	३६,२००	३२ प्रतिशत
४. बिहार	१,००,०००	५ प्रतिशत से ७० प्रतिशत
५. पश्चिमी बंगाल	२,८०,५१३	६० प्रतिशत
६. नेफा	१०,०००	२० प्रतिशत से ७० प्रतिशत
७. आसाम	३३,९९९	—

हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शनियां और मेले

†३१०४. **श्री बलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ और १९५८–५९ के दौरान में किसानों को नये ढंग की खेती के बारे में जानकारी कराने के लिये कितने मेले व प्रदर्शनियां की गईं ;

†मूल अंग्रेजी में

[1]Goitre control.

(ख) ये कहां-कहां किये गये; और

(ग) इन पर कितना व्यय हुआ ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (ग) आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होने पर लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

रोपड़ और नंगल बांध के बीच स्टेशनों पर बिजली लगाना

†३१०५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे में रोपड़ और नंगल बांध के बीच स्टेशनों पर बिजली लगाने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) रोपड़ :	१–५–५० को बिजली लगा दी गई है
(ख) नंगल बांध :	३–७–५४ को बिजली लगा दी गई है
(ग) अनन्दपुर साहब :	५–१२–५४ को बिजली लगा दी गई है ।
(घ) कीरतपुर साहब :	बिजली लगाने का काम जारी है । मई १९५९ के अन्त तक यह काम पूरा हो जायेगा ।

प्रकाशदीपों और प्रकाशपोतों में कर्मचारियों का प्रशिक्षण

†३१०६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रकाशदीप विभाग में कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) उस सम्बन्ध में प्रकाशदीप तथा प्रकाशपोत विभाग द्वारा जो योजना भेजी गई थी उसमें कितनी प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) तथा (ख) प्रकाशदीपों के चौकीदारों और मिस्त्रियों के प्रशिक्षण की एक व्यापक योजना तैयार की गई है । इसके अन्तर्गत उन्हें ३ महीने 'थ्योरी' में प्रशिक्षण दिया जायेगा और बाद में उपयुक्त प्रकाशदीप स्टेशनों पर ६ महीने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जायेगा इस योजना पर २,५२,५०० रुपये व्यय होने का अनुमान है। इसके लिये कलकत्ता के प्रस्तावित लाइटहाउस वर्कशाप में जो कि अब बन रही है, एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला जायेगा जिसमें एक साथ ३० प्रशिक्षणार्थियों को अथवा एक साल में १२० व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायगा । यह केन्द्र इस साल के अन्त तक चालू हो जायेगा ।

गांवों में सड़कों का विकास

†३१०७. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्य सरकारों ने गांवों में सड़कों के विकास की समस्या की जांच के लिये नियुक्त विशेष अधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये कुछ उपाय अपनाये हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उनका विस्तृत विवरण क्या है; और

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने अभी तक स्थानीय पंचायतों और अन्य स्थानीय अधिकारियों को सड़कों के रखरखाव के लिये देने के लिये कोई विशेष उपकर लगाया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री के सभा-सचिव (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). गांवों में सड़कों के विकास के बारे में विशेष अधिकारी की रिपोर्ट तथा उनकी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये किये गये उपायों के बारे में एक विवरण संलग्न किया जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १०६**]। इन सिफारिशों को जनवरी १९५९ में हैदराबाद में हुए चीफ इंजीनियरों के सम्मेलन द्वारा पूर्ण समर्थन किया गया है।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां

†३१०८. **श्री अय्याकण्णु** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हितों की रक्षा के लिये प्रत्येक क्षेत्र (जोन) में एक अधिकारी नियुक्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों को सुचारु ढंग से अपना कार्य करने के लिये क्या अधिकार दिये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) तथा (ख). प्रत्येक रेलवे में रेलवे सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और एगलो इंडियन लोगों के अनुपात का ध्यान रखने के लिये एक उच्च-वेतन-क्रम का अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह प्रत्येक स्तर पर भर्ती किये गये लोगों की जांच पड़ताल कर सकता है और किसी भी बेकार की त्रुटि को जनरल मैनेजर के ध्यान में लाकर उसको दूर करने के तरीकों का सुझाव रख सकता है।

चीनी का उत्पादन

†३१०९. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि चालू सीजन में १५ मार्च, १९५९ तक देश में कितनी चीनी का उत्पादन हुआ है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : १५.३१ लाख टन।

मनीपुर में सरकारी फार्म

†३११०. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में अब तक कितने सरकारी कृषि फार्म चालू किये गये हैं जिनका अब मनीपुर प्रशासन द्वारा प्रबन्ध हो रहा है; और

(ख) इन फार्मों का औसत वार्षिक उत्पादन ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) तथा (ख). मनीपुर प्रशासन से सूचना मांगी गई है, मिलने पर लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

सुरैमनपुर और रेवती के बीच रेल मार्ग

†३१११. **श्री राधा मोहन सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे में सुरैमनपुर और रेवती स्टेशनों के बीच रेल की पटरी की रक्षा के लिये जो 'स्पर्स' बनाये गये हैं वे पिछले महीने बह गये हैं या उनको घाघरा नदी से कोई भय है; और

(ख) यदि हां, तो इस खतरे को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) तथा (ख). इन दोनों स्टेशनों के बीच रेल की पटरी को घाघरा नदी के कारण होने वाले भूक्षरण से बचाने के लिये १९५८ के मानसून से पहले जो 'स्पर्स' बनाये गये थे वह अभी तक सही सलामत हैं। केवल कुछ 'स्पर्स' को थोड़ी सी हानि पहुंची थी और उनकी मरम्मत कर दी गई है और साथ ही कुछ और नये 'स्पर्स' लगाने का भी प्रबन्ध किया जा रहा है। राज्य सरकार यह कार्य प्रारम्भ करने से पहले राज्य के बाढ़ नियंत्रण बोर्ड से इस सम्बन्ध में स्वीकृति ले लेना चाहती है।

रेडियो ओपरेटर्स कोर्स

†३११२. **श्री सिदम्या** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार १९५९-६० के दौरान में केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के लोगों के लिये कोई रेडियो ओपरेटर्स कोर्स चालू करने जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह कोर्स किस संस्था में चालू किया जायेगा ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) सरकार का अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये रेडियो टेक्नीशियन कोर्स चालू करने का विचार है।

(ख) यह कोर्स असैनिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र कानपुर में चालू किया जायेगा।

रेलवे में चोरियां

†३११३. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि मोकामा और गरहारा के बीच रेलों में माल की बहुत अधिक छोटी-छोटी चोरियां होती रहती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसको रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : जुलाई १९५८ से मार्च १९५९ के बीच रेलवे प्रशासन के सामने वहां से ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। किन्तु जुलाई १९५७ से मार्च १९५८ के बीच वहां से ८ चोरियों के मामले आये थे जिनमें कोई ३३७० रुपये की हानि दिखाई गयी थी। इस में से चार मामलों का सुराग लगाने पर ९५० रुपये की सम्पत्ति वापिस मिल गई थी।

(ख) ठेकेदारों द्वारा लगाये मजदूरों की कड़ी निगरानी की जाने लगी है और इस से स्थिति में काफी सुधार हो गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया के निलम्बन काल के परिहार के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : सर्व श्री स० म० बनर्जी, यादव, वाजपेयी और रामजी वर्मा के नाम से एक प्रस्ताव है। केवल श्री वर्मा उसे प्रस्तुत करना चाहते थे, मैं ने कहा था कि मैं आज उसे लूंगा।

†**श्री रामजी वर्मा** (देवरिया) : माननीय सदस्य का निलम्बन आज खत्म हो रहा है। इसलिये मैं अब इसकी आवश्यकता नहीं समझता।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†**श्री दशरथ देव** (त्रिपुरा) : मैं ने अगरताला में शरणार्थियों द्वारा की जाने वाली भूख हड़ताल के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने उसकी अनुमति नहीं दी है।

†**श्री दशरथ देव** : अभी कुछ दिन हुए मंत्री महोदय ने कहा था कि उन्होंने चीफ कमिश्नर से उन्हें रुपया देने को कह दिया है। लेकिन चीफ कमिश्नर ने तो प्रतिनिधियों से मिलने से भी इन्कार कर दिया।

सभा पटल पर रखा गया पत्र

उर्वरक (नियंत्रण) आदेश में संशोधन के बारे में अधिसूचना

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २८ मार्च, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३५८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १३५१/५९]**।

प्राक्कलन समिति

सैंतालीसवां प्रतिवेदन

†**श्री ब० गो० मेहता** (गोहिलवाड़) : मैं वित्त मंत्रालय—(आर्थिक-कार्य विभाग)—राष्ट्रीय बचत संगठन के बारे में प्राक्कलन समिति का सैंतालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

अनुदानों की मांगें

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा होगी। माननीय मंत्री अपना भाषण जारी रखें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : अध्यक्ष महोदय आपको याद होगा कि मैं विदेशों में उत्पादन वृद्धि के आंकड़े देने के पश्चात् कुछ भारतीय सहकारी कृषि समितियों के उत्पादन में में वृद्धि के सम्बन्ध में बतला रहा था। इसके सम्बन्ध में मैंने बम्बई की कुछ सहकारी कृषि समितियों का उल्लेख किया था जिनका श्री बिमल शाह ने ९ विशेषज्ञों की एक संचालन समिति के अन्तर्गत अध्ययन किया था। इस अध्ययन का सूत्रपात योजना आयोग की गवेषणा कार्यक्रम समिति ने किया था और वह शीघ्र ही प्रकाशित किया जायेगा। उसका श्री शाह द्वारा कुछ संशोधन किया जा रहा है और हम आशा करते हैं कि अगले तीन महीनों में या इसके लगभग वह प्रकाशित हो जायेगा।

श्री शाह द्वारा किये गये अध्ययन से ज्ञात होता है कि बम्बई की कुछ सहकारी कृषि समितियों में उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है और उस से यह बात निश्चित हो गई है कि यद्यपि मौसम के परिवर्तनों के कारण उत्पादन प्रति वर्ष भिन्न-भिन्न रहा है परन्तु कुछ सहकारी समितियों में १९५२-५३ से १९५५-५६ तक के समय में धान के उत्पादन में मूल प्रवृत्ति पर्याप्त वृद्धि की ओर ही रही है। उदाहरण के लिये धान के प्रति एकड़ उत्पादन में महीसागर भाठा समिति में दुगनी, पाला समिति में तीन गुनी से अधिक और रसूलाबाद समिति में पांच गुनी से अधिक वृद्धि हुई है। रसूलाबाद समिति बडौदा जिले के वघोडिया तालुक स्थित बड़ौदा नामक स्थान के पास है। यह समिति न केवल कृषि उत्पादन बढ़ान में सफल रही है वरन् उसने सामाजिक सुख-सुविधाओं में भी पर्याप्त वृद्धि की है। समिति सुबह मुफ्त में चाय देती है और सदस्यों के बच्चों के लिये पुस्तकों और छात्रवृत्तियों की व्यवस्था भी करती है। इसी प्रकार कुछ और समितियों ने भी स्कूल, प्रथम उपचार औषधालय, धर्मशालायें और ऐसी अन्य संस्थायें स्थापित की हैं।

यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है जिसे सहकारी कृषि समितियों के कार्य का विचार करते समय माननीय सदस्यों को ध्यान रखना चाहिये। दो दिन पूर्व ही मैंने पूर्वी जर्मनी में सहकारी कृषि समितियों के कार्य के सम्बन्ध में पूर्वी जर्मन प्रतिनिधिमंडल से चर्चा की थी। उन्होंने मुझे बताया कि पूर्वी जर्मनी में उनकी एक सामाजिक निधि, एक रक्षित निधि और एक सांस्कृतिक निधि भी है। वे सहकारी कृषि समितियों के सदस्यों को वृद्धावस्था की पेन्शनें भी दे रहे हैं। इस प्रकार सहकारिता के विकास में सामाजिक सुरक्षा कार्यों और अन्य सामाजिक सुख-सुविधाओं की संभावनायें भी निहित हैं।

उत्पादन के सम्बन्ध में, जैसा मैं बता चुका हूं, इनमें से कुछ समितियां—रसूलाबाद, पाला और अन्य—अनेक प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीतने में सफल हुई हैं। रसूलाबाद समिति ने चार पुरस्कार जीते। एक जापानी कृषि पद्धति के अन्तर्गत अधिक अन्न उपजाओ योजना के सम्बन्ध में था और दूसरा प्राकृतिक खाद की अच्छी किस्म में। परन्तु इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू, जिसकी ओर मैं सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, भूमिहीन श्रमिकों के जीवन पर पड़ा प्रभाव है। एक समिति—कैरा जिले की महीसागर काठा सहकारी कृषि समिति—में भूमिहीन श्रमिकों के जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ा है। उन्हें आय के पर्याप्त साधन मिले और वे बहुत मूल्यवान संसाधनों के स्वामी बन गये जिनसे अवश्य ही उनकी आर्थिक स्थिति का सुधार होगा। १९५३-५४ में प्रति व्यक्ति आय २२९ रुपये थी; १९५५-५६ में वह ५२७ रुपये हो गई और १९५६-५७ में ५९६ रुपये हो गई। समिति ने १९५५-५६ में ११९ रुपये का बोनस भी वितरित किया। यदि समिति भूमिहीन श्रमिकों के जीवन में इतना सुधार कर सकती है तो मैं समझता हूं कि उसने अपना प्रयोजन भली प्रकार पूर्ण किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस प्रकार भारत का अनुभव इतना निराशाजनक नहीं रहा है जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने चित्रित करने का प्रयत्न किया है, यद्यपि इन उदाहरणों को रखकर मैं यह भावना नहीं उत्पन्न करना चाहता कि देश की अधिकांश सहकारी कृषि समितियों का कार्य अच्छा रहा है, ऐसा नहीं हुआ है। उन में से अधिकांश निश्चित रूप से खराब, दिखावटी और रद्दी हैं जो सहकारी कृषि समिति के नाम में स्वांग रच रहीं हैं। इसलिये मैं सबसे अधिक जोर इन बातों के उन्मूलन पर दूंगा जो सहकारिता को कलंकित करती हैं। यदि हम ऐसा कर सकें तो भावी प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा।

इसके बाद मैं सहकारी कृषि के आर्थिक लाभ के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं जिसका उल्लेख मैंने पहले किया था। मैं उसके सम्बन्ध में कुछ विस्तृत व्याख्या करना चाहता हूं। जैसा आप जानते हैं हमारी लगभग ५९ प्रतिशत खेती की जमीनें ० से ५ एकड़ के बीच की हैं, अर्थात् वे बहुत छोटी हैं और किसी-किसी भूमि में तो एक हल के घूमने में भी कठिनाई होती है। परिणाम-स्वरूप इन फार्मों में इतनी आय भी नहीं होती कि एक जोड़ी बैल रखे जा सकें, कुटुम्ब का पालन किया जा सके और अधिक विकास तथा कल्याण के लिये कुछ बचाया जा सके। उन में मेरा तात्पर्य ५९ प्रतिशत खेती की जमीनों से है—संसाधनों की बरबादी होती है। वे श्रम, पूंजी और प्रबन्धकीय योग्यता के पूर्णोपयोग के मार्ग में बाधक हैं।

आप निश्चय ही यह प्रश्न करेंगे कि फिर इन ५९ प्रतिशत जमीनों का इलाज क्या है? यह प्रश्न अत्यन्त उपयुक्त है। मेरे विचार से इसका एकमात्र इलाज कार्य-एकक के आकार को बड़ा कर देना है। कुछ माननीय सदस्यों का ऐसा विचार है कि कार्य-एककों के आकार को बड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है जैसा कि सहकारी कृषि में करने का प्रयत्न किया जा रहा है। उनका विचार है कि चकबन्दी से वह प्रयोजन पूर्ण हो जायेगा। चकबन्दी लागत कम करने और कार्यदक्षता बढ़ाने के लिये निस्सन्देह आवश्यक है, परन्तु चकबन्दी से जमीन का आकार नहीं बढ़ता है।

कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि सेवा सहकारिता समितियां बनाने से कृषि उत्पादन में वृद्धि हो जायेगी। सेवा सहकारिता समितियां वास्तव में बहुत आवश्यक हैं। परन्तु सेवा सहकारिता समितियों के प्रभावपूर्ण, दक्ष और सफल उपयोग के लिये भी यह बहुत आवश्यक है कि खेती की भूमि का आकार बड़ा हो। अन्यथा सेवा सहकारिता समितियां भी सेवा और सुविधाओं का वैसा संचालन नहीं कर सकेंगी जैसा कि उन्हें करना चाहिये। कुछ लोगों ने जापान के संबंध में कहा कि वहां भी तो खेती की जमीनें छोटी-छोटी हैं लेकिन वे तो अपने उत्पादन में काफी वृद्धि करने में सफल हुये हैं, फिर यहां वैसा क्यों नहीं किया जा सकता? यदि इस निकटतया देखें तो ज्ञात होगा कि जापान की परिस्थितियां सर्वथा भिन्न हैं। वहां की कृषि अर्थव्यवस्था का आधार लगभग १०० वर्षों का औद्योगीकरण हैं। दूसरी बात यह है कि वहां ९८ प्रतिशत भूमि को वर्षा और सिंचाई की पर्याप्त सुविधायें प्राप्त हैं। तीसरे, कृषि में अधिकांश पूंजीनिर्माण अनियंत्रित जमींदारी के समय में किया गया था। हमें इस बात का विचार करना होगा कि क्या कृषि में वैसा पूंजी निर्माण करने के लिये हमारे लिये वैसी अनियंत्रित जमींदारी वापस लाना संभव है। चौथे, जापान में प्रायः प्रत्येक गांव में बिजली है। मैंने एक चित्र में बीज़ों को बिजली द्वारा गर्मी पहुंचाया जाना देखा था। इसलिये जापान की परिस्थितियों की भारत की परिस्थितियों से तुलना नहीं की जा सकती और सेवा सहकारिता समितियां उतनी प्रभावी नहीं हो सकती। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि तद्यपि सेवा सहकारिता समितियां आवश्यक हैं। परन्तु वे कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये पर्याप्त साधन नहीं हैं। जिसकी भारत को आज बहुत आवश्यकता है। फिर आप प्रश्न करेंगे कि उसके स्थान में आपका क्या

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री श्या नं मिश्र]

सुझाव है ? वह सुझाव है सहकारी खेती का सहारा लेना। इसका कारण वही है जिसकी ओर कल आपने मेरा ध्यान आकर्षित किया था। उसका उल्लेख मैं तनिक आगे चल कर करूंगा। आप सोचते होंगे कि गांवों की अतिरिक्त जनशक्ति का उपयोग किस प्रकार होगा। इसका एकमात्र संगठन सहकारी खेती है। ऐसा क्यों है, इसकी व्याख्या मैं अभी करूंगा। परन्तु उसके पहले हमें सेवा सहकारिता समितियों के स्वरूप को भली प्रकार समझ लेना चाहिये। उसका काम क्या है ? वह समुदाय की धन की बचतों का संग्रह करती है और उसमें बाहर की धन की बचतों को मिला देती है। उसकी सहायता से वह सुविधाओं और संसाधनों का वितरण करती है। एक अविकसित देश में, जिसमें पूंजी की बहुत कमी हो, पर्याप्त पूंजी संसाधन नहीं होते हैं। फिर क्या किया जाय ? मेरा निवेदन है कि भारत की आज की परिस्थितियों में कृषि का विकास मनुष्य की विजय हो सकती है, सामग्री की नहीं। और मनुष्य की यह विजय सहकारी कृषि के संगठन द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। यह इस प्रकार होगी। एक औसत ग्रामीण परिवार में ५·५ व्यक्ति होते हैं। यदि आधा व्यक्ति बेकार हो और हमें कोई कुंआ बनाना हो तो हम उसे उस कार्य पर नहीं लगाते क्योंकि हम जानते हैं कि उसमें बहुत समय लगेगा। परन्तु यदि बीस परिवार सम्मिलित कर दिये जायें तो बीस के आधे अर्थात्, दस व्यक्ति हो जायेंगे और यदि उन्हें उस कार्य पर लगा दिया जाये तो वह कार्य १/१० समय में पूरा हो जायेगा। इस प्रकार अनेक प्रकार के कृषि उपयोगी कार्य किये जा सकेंगे जैसा कुओं, बांधों, नहरों आदि का निर्माण। मेरे विचार से सहकारी कृषि का सार यही है कि पूंजी संसाधनों की मांग कम हो जाती है और अपरिमित श्रम संसाधनों का उपयोग किया जाता है। कल आपने जिस बात पर जोर दिया था उसी पर महात्मा गांधी ने भी जोर दिया था। सहकारी कृषि से इस प्रकार के महत्वपूर्ण लाभ होंगे।

इतना कहने के पश्चात् मैं कुछ शब्द बेरोजगारी के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। यह आम तौर से कहा जाता है कि सहकारी कृषि के कारण रोजगार के अवसर कम हो जायेंगे। ऐसा कहते समय उसके मूल में यह धारणा होती है कि सहकारी कृषि और यंत्रीकरण परस्पर संबद्ध हैं। यंत्रीकरण औद्योगीकरण की देन है। यंत्रीकरण सहकारी कृषि का परिणाम नहीं है। भारत में अभी औद्योगीकरण की जो स्थिति है उसमें यंत्रीकरण चालू करना संभव ही नहीं है। इसके अतिरिक्त इसकाएक और पहलू भी है—बेरोजगारी का प्रश्न। सहकारी कृषि को यंत्रीकरण से जोड़ना आवश्यक नहीं है। लोग कहते हैं कि श्रम का वैज्ञानिकन होगा। निसन्देह कुछ कार्यों में श्रम का वैज्ञानिकन होगा ही। वह अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु रोजगार के अवसरों का बहुत विस्तार होगा। कल आपने कहा था कि यदि किसी गांव में हजार व्यक्ति हों जिनमें से पांच सौ के पास भूमि हो और पांच सौ के पास भूमि न हो तो उनमें कार्य का वितरण कैसे होगा ? यह प्रश्न स्वाभाविक है क्योंकि जिस व्यक्ति के पास भूमि नहीं होगी वह क्या कर सकता है। परन्तु मेरा निवेदन है कि भूमिहीन श्रमिकों को भी कार्य मिलेगा। यह धारणा सही नहीं है कि कार्य का स्तर समान रहेगा। अनेक प्रकार के सहायक कार्यों का विस्तार होगा जैसे मिश्र फार्म, पशुचिकित्सा का विकास, औद्यानिकी का विकास, कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग आदि। फिर, यदि उत्पादन में वृद्धि होगी तो उसमें भी अपनी गतिशीलता है जिसके कारण अनेक प्रकार के कार्य उत्पन्न होंगे। फिर, जैसा कि मैंने पहले संकेत किया था, बहुत से छोटे-छोटे निर्माण कार्य जो पहले अलग रहकर नहीं किये जा सकते थे अब किये जायेंगे क्योंकि बहुत से परिवार एक साथ मिल जायेंगे। ये कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। कल आपने पारिश्रमिक संबंधी प्रश्न भी उठाया था। उत्पादन का हिस्सा किस प्रकार बटाया जायेगा ? उसका विभाजन भूमि और नियोजित श्रम के आधार पर किया

†मूल अंग्रेजी में

जायेगा । इसका तात्पर्य यह है कि भूमि के मालिकों को स्वामित्व-लाभांश मिलेगा और श्रमिकों को अपने श्रम का पारिश्रमिक मिलेगा तथा उसके अतिरिक्त बोनस भी। फिर सामाजिक सुख-सुविधायें और अन्य लाभ भी हैं। श्रमिकों को उन लोगों का हिस्सा मिलेगा। भूमि के निर्धारण में भी आपको भूमि की किस्म और उत्पादिता को ध्यान में रखना होगा और फिर कार्य का निर्धारण भी होगा। जब मुझसे यह पूछा जाता है कि ये सब चीजें कैसे होंगी तो मैं केवल इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि हमें एक दृढ़ दृष्टिकोण अपनाना होगा जैसा कि एक अर्थशास्त्री ने कहा है। निर्णय समुदाय के स्तर पर किये जायेंगे। श्रम का भी मात्रा, किस्म और उत्पादिता के आधार पर निर्धारण करना होगा। फिर आयु, लिंग और ऐसी अन्य चीजों का ख्याल भी रखना होगा। संक्षेप में यह कार्य इस प्रकार किया जायेगा परन्तु उसका ब्यौरा देना इतने समय में संभव नहीं है।

फिर बहुत से लोग यह कहते हैं कि भूमि के प्रति लगाव के कारण किसान उसे छोड़ेंगे नहीं। भूमि को छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है। स्वामित्व सुरक्षित बना रहता है। यह कहना भी उचित नहीं है कि जब हदबन्दी की लाइन हटाई जायेगी तो किसान उसे पसन्द नहीं करेगा। चकबन्दी के समय भी यह आपत्ति उठाई गई थी। बहुत से लोगों ने कहा था किसान के पास जो भूमि है उसके बदले में वह दूसरी भूमि लेना पसन्द नहीं करेगा। परन्तु उसमें कोई कठिनाई नहीं हुई। यदि हम इतिहास पर दृष्टि डालें तो ज्ञात होगा कि नागरिक क्षेत्रों की जनसंख्या में वृद्धि का कारण यही है कि किसानों को वहां रहना अधिक लाभप्रद मालूम हुआ और वे वहीं बस गये। इसलिये इस प्रकार का तर्क इस संबंध में ठीक नहीं है।

इसके बाद मैं दो एक छोटी-छोटी बातों का उल्लेख करना चाहता हूं जो चर्चा के दौरान में उठाई गई थीं। श्री मसानी ने राष्ट्रसंघ के खांद्य तथा कृषि संगठन के एक प्रकाशन का निर्देश किया था। इसलिये हम उनके आभारी हैं। परन्तु उन्होंने जो उद्धरण दिया वह अधूरा था। यदि उस उद्धरण को पूरा प्रस्तुत किया जाये तो श्री मसानी की बात सर्वथा गलत सिद्ध होगी। उन्होंने जो अंश पढ़ कर सुनाया उसका तात्पर्य यह है कि गत आधी सदी में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक प्रगति के कारण उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वह उन देशों में अधिक तेजी से हुई है जिनमें वैयक्तिक आधार पर खेती होती है न कि सामूहिक कृषि प्रणाली के अन्तर्गत। परन्तु इसके आगे वाले वाक्य में यह भी कहा है कि जिन देशों में उत्पादिता, प्रविधिक ज्ञान और पूंजी संसाधनों का स्तर बहुत निम्न है उनमें वैयक्तिक प्रणाली की अपेक्षा सामूहिक कृषि प्रणाली द्वारा अधिक शीघ्रता से उत्पादन में वृद्धि का सूत्रपात किया जा सकता है।

इसके बाद जहां तक सेवा सहकारिता समितियों का प्रश्न है माननीय श्री वासुदेवन् नायर ने यह आशंका प्रकट की है कि उनमें समाज के समृद्ध व्यक्तियों का दबदबा रहेगा। यह धारण उन्होंने कार्यकारी दल के प्रतिवेदन के समाचारपत्रों में प्रकाशित संक्षेप के आधार पर बनाई मालूम होती है हो सकता है वह संक्षेप ठीक प्रकार तैयार न किया गया हो, प्रतिवेदन में संबंधित अंश पढ़ने से ज्ञात होगा कि तात्पर्य वह नहीं है। उसका तात्पर्य यह है कि इन समितियों में केवल ऋण लेने वाले व्यक्ति ही नहीं वरन् समाज के समृद्ध व्यक्ति भी हो चाहियें क्योंकि संसाधन तभी प्राप्त हो सकेंगे। माननीय सदस्य ने जो अर्थ लगाया है वैसा करने का हमारा उद्देश्य कदापि नहीं है।

यद्यपि अभी कुछ बातें और रहती हैं परन्तु समय बहुत हो जाने के कारण अब मैं केवल एक का ही उल्लेख करूंगा। इन सेवा सहकारिता समितियों का कार्यक्रम बहुत बड़ा होगा। गांव की १००० जनसंख्या के आधार पर समस्त भारत में लगभग ३,००,००० सेवा सहकारिता समितियों की आवश्यकता होगी। इस समय लगभग १६५,००० सेवा सहकारिता समितियां हैं। इसलिये बाह्यतः ऐसा लगता है कि हमें केवल १४०,००० समितियां और बनानी हैं। परन्तु यह समस्या

[श्री श्या नं० मिश्र]

इतनी सरल नहीं है जितनी मालूम होती है। वर्तमान सेवा सहकारिता समितियों में भी बहुत सी ऐसी हैं जो ठीक कार्य नहीं करती हैं। इसलिये हमें इन सेवा सहकारिता समितियों में नवजीवन एवं शक्ति का संचार करना होगा। इसके लिये शिक्षा और प्रशिक्षण का कार्यक्रम बनाना होगा। मोटे तौर से हमें इन गांवों में १५ लाख से २० लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना होगा। योजना आयोग के उप-सभापति का विचार है कि यह कार्यक्रम ५० लाख व्यक्तियों के प्रशिक्षण का होना चाहिये। इस दृष्टि से प्रत्येक गांव में १० व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना होगा।

यह कार्यक्रम तीन वर्षों में क्रियान्वित करना होगा क्योंकि न केवल नागपुर के संकल्प में वरन् इस सभा द्वारा डा० राम सुभग सिंह के संशोधन सहित पारित संकल्प में भी तीन वर्ष का समय रखा गया है। हम इस कार्य को यथासंभव कम समय में करने का प्रयत्न करेंगे।

उसके लिये हम ने निश्चय किया है कि एक ग्राम समिति को साचिविक सहायता प्राप्त करने के लिए पांच वर्ष तक ६०० रुपये राजसहायता के रूप में दिये जायेंगे। यह कार्यक्रम अत्यन्त आवश्यक है। सेवा सहकारिता समितियों के इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के पश्चात् हमें विश्वास है कि सहकारी कृषि को अगले स्वाभाविक कदम के रूप में स्वीकार कर लिया जायेगा। यदि हम सब कंधे से कंधा मिलाकर प्रयत्न करें तो सहकारी खेती के सम्बन्ध में जो आशंकायें व्यक्त की जा रही हैं वे गलत सिद्ध होंगी।

श्री मा० ला० वर्मा : (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस अवसर पर जो बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपको धन्यबाद देता हूं। मिनिस्टर साहब ने कल से आज तक जिस प्रकार की गलतफ़हमी को दूर किया और खास करके श्री मसानी का इन्तज़ार किया जा रहा था आज उनके दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वे आज यहां इस सदन में मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में मैं कहना चाहता हूं कि दरअसल हमारे सदस्यों में वे ही एक साहब ऐसे हैं जो कि एग्रिकलचरल क़ोआपरेटिव सोसाइटीज़ का विरोध कर रहे हैं . . . . .

श्री मी० रु० मसानी (रांची-पूर्व) : जी नहीं ज्वाएंट फार्मिंग का मैं विरोध कर रहा हूं। ज्वाएंट फार्मिंग के अलावा मैं हक में हूं।

श्री मा० ला० वर्मा : मैं मसानी साहब से कहना चाहता हूं कि बम्बई और शहरों की छतों के नीचे रह कर उनको इस देश के गांवों का कुछ भी अनुभव नहीं है और मैं समझता हूं कि उन्होंने देहातों की शक्ल भी नहीं देखी है।

श्री मी० रु० मसानी : काफी देखी है।

श्री मा० ला० वर्मा : देखी होगी मगर धूप में नहीं गये होंगे।

श्री मी० रु० मसानी : धूप में भी वहां गया हूं।

श्री मा० ला० वर्मा : धूप में अगर गये होते तो यह शक्ल नहीं होती, चेहरा सूख गया होता। जहां तक ज्वाएंट फार्मिंग का सवाल है मैं कहना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान में हजारों किसान ज्वाएंट फार्मिंग के ज़रिये अपना-अपना काम कर रहे हैं। सैकड़ों हजारों कुएं ऐसे हैं जिनको कि १०, १० और १५, १५ आदमियों ने मिलकर खोदा है, शामिल में पानी सींचते हैं और अपनी जमीन को शामिल में बोते हैं। अपनी हर चीज़ को शामिल में करते हैं। यह आपकी कोआपरेटिव सोसाइटियों का निर्णय तो अब लिया गया है लेकिन हमारा देश तो ज्वाएंट फार्मिंग की दृष्टि से

पहले से चल रहा है और आप आज हिचक रहे हैं। दरअसल एक ज़माने में आपने (मसानी) समाजवाद का चोला पहना था लेकिन न मालूम क्यों आज आपकी भाषा बदल गई है कुछ समझ में नहीं आता।

श्री मी० रु० मसानी : अनुभव से बदल गई है। अनुभव से होता है।

श्री मा० ला० वर्मा : मुझे मालूम पड़ता है कि यह आवाज आपकी आवाज़ नहीं है . . .

श्री मा० ला० वर्मा : मैं मसानी साहब के बारे में कहना चाहता हूं कि जो उनकी आवाज़ है वह हमारे देश के इने गिने मुट्ठी भर पूंजीपतियों की आवाज है। उन्होंने श्री राजगोपालाचारी की एक लाइन का क़ोटेशन यहां दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सन् १९४२ में श्री राजगोपालाचारी की हमारे खिलाफ राय थी, लेकिन हिन्दुस्तान ने उन की उस राय को नहीं माना और देश आगे बढ़ा और उसने अंग्रेजो क़ो हटा दिया। तो इस तरह से कभी कभी क़ोटेशन किसी पुराने ऋषि का देकर इस हाउस कों प्रभावित करना चाहें यह गलत बात है। देश उनके कहने से उनके प्रभाव से रुकेगा नहीं, देश तो आगे बढ़ेगा। इसके सिवा हमारे सामने आज और कोई चारा नहीं है।

जहां तक कोआपरेटिव फारमिंग का सवाल है, आप देहातों में जा कर देखें तो आपको मालूम होगा कि कुछ लोगों के पास इतनी छोटी-छोटी जमीनें हैं कि उनमें बैलों को मोड़ना कठिन है। अब ऐसे किसान की बैलों की जोडी दिन भर बंधी रह कर क्या करे। हिन्दुस्तान में ७० प्रतिशत किसानों के पास छोटी छोटी जमीनें हैं। ऐसे किसानों का समय फिजूल जा रहा है। इसलिए उनको केवल कोआपरेटिव फारमिंग ही लाभ दे सकता है। यह जरूर है कि इस प्रकार के फारमिंग में व्यक्ति का प्रभाव ज्यादा नहीं रहेगा, और इसीलिये शायद इसके खिलाफ आवाज उठायी जा रही है।

ग्राम उद्योगों के बारे में मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि वह लोगों से केवल चरखे में ही न उलझायें। उससे केवल पांच सात आना रोज पैदा किया जा सकता है। इतने कम पैसे में कौन जिन्दा रह सकता है। हो सकता है कि कोई बूढ़ी औरत जिसके पास और कोई काम नहीं वह चरखे से पांच सात आना रोज कमाना पसन्द करे, लेकिन जो मजदूर और काम करने वाली औरत है वह पांच सात आने में कैसे रह सकती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि गांवों में आप कुछ अच्छे उद्योग दीजिये।

जहां तक आपके बड़े उद्योगों जैसे रेलवे, हवाई जहाज या मोटर आदि का सवाल है उनके निर्माण का संगठन इस तरह किया जाना चाहिये कि सारे का सारे पुरजों का विकेन्द्रीकरण हो, यानी छोटे-छोटे पुरजों के लिये ठेके देहातों में सोसाइटियों को दें। जैसे रेल की पटरियों की कीलों का ठेका सोसाइटियां बना कर उनको दे दें। इस प्रकार के उद्योगों से गांव वालों को कुछ आमदनी हो सकती है और उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। मेरे खयाल में उनको चरखे या तेल की घानी के उद्योगों में नहीं उलझाना चाहिये जिससे केवल पांच छः आने रोज मिल सकते हैं। जैसा कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी ने कल कहा था छोटे-छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट गांवों में खोलने चाहियें जिनमें लोग चार चार पांच पांच रुपये रोज पैदा कर सकें। यदि आप ऐसी व्यवस्था करेंगे तो आपकी कोआपरेटिव सोसाइटियां सफल हो सकेंगी।

आज आप अन्न का उत्पादन बढ़ाने का नारा लगाते हैं। लेकिन जो लोग जुलूस निकाल सकते हैं, जो लोग सभायें कर सकते हैं और जो आपको धमकियां दे सकते हैं कि आइन्दा वोट नहीं देंगे, आप उनकी आवाज सुनते हैं और उनकी आवाज पर आप अनाज का भाव निश्चित करते हैं। यह नहीं होना चाहिये कि आप शहर के लोगों की आवाज से अनाज का भाव तै करें। अगर आप केवल शहर की जनता को खुश रखने के लिये उसकी आवाज के अनुसार अनाज के दाम निश्चित करेंगे तो उसका परिणाम यह होगा कि किसान अन्न का उत्पादन बढ़ाने की ओर आकर्षित नहीं

[श्री मा० ला० वर्मा]

होगा इसलिये यदि आपको अन्न का उत्पादन बढ़ाना है तो आपको किसान को प्रभावित करना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि वह मर्जी चाहे उस कीमत पर अपना अनाज बेचे लेकिन अनाज का भाव तै करने में आपको किसान की आवाज को अवश्य सुनना चाहिये। आप देखें कि आज जो किसान गन्ना, सरसों, कपास बोता है उसे उस किसान के मुकाबले ज्यादा पैसा मिलता है जो अनाज बोता है। इसलिये किसान अन्न का उत्पादन बढ़ाने की तरफ आकर्षित नहीं होता। इसलिये इस दृष्टि से यह जरूरी है कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि किसान को अपने अनाज का उचित मूल्य मिले ताकि वह अन्न पैदा करने की ओर आकर्षित हो।

इसके अलावा आपको किसान को उद्योग की तरफ भी आकर्षित करना चाहिये। जैसा कि चौधरी रणवीर सिंह जी ने कहा उनको इस काम के लिये लोन मिलना चाहिये और ३० करोड़ रुपये की सबसिडी भी मिलनी चाहिये। और उन्होंने इशारा किया था अर्थ मंत्री जी की तरफ। मैंने अर्थ मंत्री जी से पूछा कि अगर हम सोसाइटी बनावें तो क्या आप हमको लोन और सबसिडी दोगे, तो उन्होंने कहा कि लोन तो जरूर मिलेगा लेकिन सबसिडी नहीं मिलेगी। मैं यह नहीं चाहता कि दान के तौर पर हमको सबसिडी दी जाये। लेकिन अगर लोन भी समय पर मिल जाये तो भी बहुत काम हो सकता है और आपकी सोसाइटियां सफल हो सकती हैं।

सरविस कोआपरेटिव्स के बारे में तो मेरी विशेष राय है कि इसे जरूर चलाना चाहिये और ये सफल होंगी। लेकिन एक कमी है। आपने नारा तो लगा दिया लेकिन इनका प्रोसीज्योर अभी तक तै नहीं किया। यह हमारी कमी है। आपको इनके प्रोसीज्योर को देश के सामने लाने की आवश्यकता है। हमको मालूम तो होना चाहिये कि क्या रूल्स होंगे, कहीं हमको भटकना तो नहीं पड़ेगा, इनमें सरकारी अफसरों का तो अधिक हस्तक्षेप नहीं होगा। इसलिये यह बहुत जरूरी है कि इन सोसाइटियों के बारे में सारी स्थिति साफ की जाये।

इसके अलावा मैं आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के विषय में भी एक सुझाव देना चाहता हूं। वह यह है कि यह जो आपकी ग्राम सेविकायें हैं ये ज्यादातर जवान जवान लड़कियां हैं, वे लिप स्टिक लगा कर अकेली घूमती हैं, वे कहीं रहती हैं उनके शौहर कहीं रहते हैं। हमारे यहां देश में इस चीज को जनता पसन्द नहीं करती। लोग उनको देख कर यह अनुमान करते हैं कि या तो यह अपने शौहर से रूठी होगी या भगाई हुई होगी। तो आपको यह तरीका तबदील करना चाहिये। शौहर और औरत को साथ-साथ रखिये। हमारे देश में इस तरह से अकेली औरत का रहना पसन्द नहीं किया जाता। तो मेरा यह सुझाव है कि शौहर और औरत दोनों साथ रहें ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये।

आप बहुत से प्रोग्राम करते हैं। मेरा खयाल है कि और प्रोग्रामों के बजाय अगर आप ये सात प्रोग्राम पूरे कर दें तो बहुत लाभ हो सकता है। वे प्रोग्राम हैं, इर्रीगेशन, पावर, उद्योग, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्न उत्पादन। अगर आप इनको पूरा कर दें तो काफी है। मगर आप बीच-बीच में दूसरे प्रोग्राम कर के उन पर पैसा खर्च करते रहते हैं जैसे कि सांस्कृतिक प्रोग्राम हैं। अगर ब्लाकों में पांच सात बच्चों को न नचाया जाये तो इससे क्या हर्ज हो सकता है। इन कामों पर जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं उनको दूसरे उपयोगी कामों पर लगाइये जैसे तालाबों आदि की मरम्मत पर तो ज्यादा लाभ होगा।

इसी तरह से आप पुरातत्व विभाग द्वारा खंडहरों की खुदाई पर काफी पैसा व्यय कर रहे हैं। यह तो ठीक है कि जो पुरानी ऐतिहासिक महत्व की इमारतें हैं आप उनको ठीक से रखें, लेकिन क्या यह अच्छा नहीं होगा कि पांच सात साल तक खुदाई का काम बन्द रखें। अगर हम पांच सात साल अपने बुजुर्गों की हड्डियों को गड़ा रहने देंगे तो क्या हरज हो जायेगा। हम इस रुपये को इर्रीगेशन

पर लगावें जो कि बहुत जरूरी है। अगर आप हमारे देश के गांवों वालों से पूछें कि स्कूल, अस्पताल, रोड और जमीन पर पानी इन में से तुम सब से पहले क्या चाहते हो तो वे आपको कहेंगे कि हमको सबसे पहले जमीन पर पानी चाहिये, जब हमारे यहां माल पैदा होगा तो रोड बाद में भी बन सकती है, इसी तरह सम्पन्न होने पर ही हम अपने बच्चों को स्कूल में भेज सकेंगे, तो स्कूल भी बाद में बन सकते हैं। पर सबसे पहली चीज जो किसान चाहता है वह तो पानी है। आप हिन्दुस्तान में सब से पहले पानी का प्रोग्राम पूरा कीजिये।

मैंने प्लानिंग कमिशन को एक पत्र लिखा है जिसमें मैंने लिखा है कि ग्रो मोर फूड की योजना में सरकार ने यह शर्त लगा रखी है कि जहां पर ढाई या साढ़े चार परसेंट का रिटर्न हो वहां पर इर्रीगेशन का काम हो सकता है। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे यहां राजस्थान में तीन तरह की जमीन है, मैदानी, पहाड़ी और रेगिस्तान।

इन में पहाड़ी और रेगिस्तान ऐसे स्थान हैं जहां ढाई परसेंट से साढ़े चार परसेंट तक रिटर्न बैठ ही नहीं सकता है। रेगिस्तान में सात सौ फीट पर पानी होता है। अगर यह शर्त लगाई जाय, तो इस का अर्थ यह है कि वहां कुओं से पानी निकाल कर सिंचाई हो ही नहीं सकेगी। पहाड़ों की हालत यह है कि जगह-जगह पर जंगल हैं। एक माइल में बीस पहाड़ियां हैं और पहाड़ियों के बीच में पंद्रह, बीस, पच्चीस, पचास एकड़ ज़मीन होती है। अगर वहां पर ढाई परसेंट की शर्त लगाई जायेगी, तो वहां पर पानी नहीं पहुंच सकता है। मैं समझता हूं कि अगर रिटर्न की शर्त को हटा कर बांध बनाने की व्यवस्था की जाय और पानी उपलब्ध किया जाय, तो अमरीका से जो अन्न मंगाया जाता है, उस से सस्ता पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि इस बारे में परीक्षा की जाये।

जहां माइनर इर्रिगेशन का बांध बनाया जाता है, वहां यह शर्त होती है कि जिस ज़मीन पर सीधा इर्रिगेशन होगा, उसी का रिटर्न माना जायगा। मैं कहना चाहता हूं कि बांध बनाये जाने से तीन फायदे होते हैं। पानी भरने से कूओं के पानी की सतह ऊपर आ जाती है। अगर कभी-कभी रेन फेल हो जाय, तो एक सिंचाई के ज़रिये से उस ज़मीन पर पानी दिया जा सकता है। अगर एक बार पानी देने से सूख जायगा, तो भी वहां चना, गेहूं, जौ वगैरह अनाज पैदा हो सकता है। लेकिन सीधी सिंचाई नहीं हो सकती है। सीधी सिंचाई का मतलब तीन चार मर्तबा पानी देने का होता है। मैं कहना चाहता हूं कि एक बार पानी देने से वहां चना, गेहू, जौ वगैरह पैदा हो सकता है और कुओं के पानी की सतह ऊपर आ सकती है, उसी को रिटर्न माना जाय। प्लानिंग कमीशन ने अभी तक इस पर विचार नहीं किया है। इस को भी प्रोग्राम में रखा जाना चाहिए। अगर सीधी सिंचाई न हो और जहां तालाब के भीतर—पेटे के भीतर अनाज पैदा हो और उस के कारण पानी की सतह ऊपर आती हो, तो उस को भी रिटर्न मान लिया जाये।

अभी तक फ़ारेस्ट्स के मामले में कोई प्लान नहीं बनाया गया है। मैं हिन्दुस्तान के सब हिस्सों के बारे में दावे के साथ कह सकता हूं कि ठेकेदारों को फ़ारेस्ट्स का ठेका देने की नीति ने फ़ारेस्ट्स का विनाश किया है। किसी किसान या किसी आदिवासी ने उन का विनाश नहीं किया है। जिस जगह का ठेका दिया जाता है, उस के अलावा जंगल काट लिया जाता है। जिस लकड़ी का ठेका दिया जाता है, उस के अलावा लकड़ी काट ली जाती है। कोई सम्भाल नहीं है। अगर फ़ारेस्ट्स का विनाश हुआ है, तो ठेकेदारी प्रथा से हुआ है—सरकार की ठेका देने की नीति से हुआ है। इस लिए आम तौर पर यह नीति अपनाई जानी चाहिए कि जो जंगल में कुल्हाड़ी चलायें, जंगल में कोयला बनायें, जंगल से शहद लायें, लकड़ी काटें, जो मेहनत करें, उन की सोसायटियां बनें और उन्हीं को ठेका मिले। मुफ्तखोरे को और बीच-बिचौलिये को ठेका नहीं मिलना चाहिये। इसी तरह रोड्ज़ के बारे में भी यही नीति अपनाई जानी चाहिए। इर्रिगेशन का जितना प्लान

[श्री मा० ला० वर्मा]

चल रहा है, उस में सब मेहनत करने वालों को ठेका मिले । इंजीनियर गाइडेंस दें, रास्ता बनायें। मज़दूरों से जो अग्रिम रकम मांगी जाती है, वह न मांगी जाये और उन सोसायटियों को पनपाया जाये । इन बातों से लोगों में उत्साह पैदा होगा । कल एक भाई केरल के बारे में कह रहे थे कि वहां पर सड़कों पर काम करने वाले दस हज़ार आदमियों की लेबर सोसायटियां बनी हुई हैं । मैं कहता हूं कि ऐसा सारे हिन्दुस्तान में भी क्यों न किया जाये और सारे हिन्दुस्तान के लिए यह नीति क्यों न बनाई जाये । सब स्टेट्स को यह हिदायतनामा जाना चाहिए कि वे मज़दूरों के अलावा किसी को भी जंगल, बिल्डिंग और सड़क वगैरह का ठेका न दें । यह नीति स्पष्ट होनी चाहिए ।

शहरों में रहने वाले लोगों के लिए अभी तक सरकार श्रमदान की व्यवस्था नहीं कर पाई है । वहां मिडल स्कूल भवन तक बन जाता है और कोई भी छोटी चीज़ बन जाती है, लेकिन कोई श्रम नहीं लिया जाता है । मगर श्रमदान केवल गरीब किसान के लिये ही है । वह करता है, उस को गर्ज़ है । सरकार यह बहाना करती है कि अगर कोई विशेष तरह का, स्पेशल, वैज्ञानिक ढंग का कालेज खोलना है, तो शहरों में ही खोलना पड़ता है, इसलिए वहां श्रमदान नहीं हो सकता है । वहां के लोग श्रमदान करने को तैयार नहीं हैं, इस लिए मजबूरी से सरकार को करना पड़ता है । और क्या इस बात का ठेका है कि शहरों में ही कालेज चलें ? क्यों न देहातों में चलें ? यह नीति बदलनी पड़ेगी । जहां के लोग चाहें, जहां की तैयारी हो, वहां सरकार कालेज खोले । सरकार शहरों के मोह को छोड़े । देहातों को पता चलना चाहिए कि स्वराज्य आया है । डामर की सड़कें और बिजली की जगमगाहट अभी तक शहरों में है—अभी तक देहात में वह नहीं है । दूसरी पंच-वर्षीय योजना में पोज़ीशन यह है कि कारखानों को बिजली मिलेगी, लेकिन किसानों के घरों को बिजली देने का सवाल नहीं है । यह ज़रूरी है कि देहात में बिजली आये ।

लो इनकम हाउसिंग की व्यवस्था भी शहरों में ही की जाती है । वे जलूस निकालते हैं, हल्ला करते हैं, सरकार के खिलाफ़ बोलते हैं, सभायें करते हैं । इस लिये सरकार उन का ख्याल रखती है । मेहरबानी कर के तीसरी पंचवर्षीय योजना में गांवों के घरों के लिये भी सहायता दी जाये ।

अध्यक्ष जी ! आप ने मुझे जो अवसर दिया है, उस के लिए मैं धन्यवाद देता हूं । मुझे आशा है कि मेरे सुझावों पर विचार किया जायेगा । कलमसानी साहब के दर्शनों के लिए लोक-सभा के सदस्य बड़े उत्सुक थे । आज वह मौजूद रहे और उन्होंने अपने कानों से सुना, उस के लिए धन्यवाद । मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि एक आवाज़ की परवाह न कर के वह आगे बढ़ें, और इस मुल्क को आगे बढायें ।

†**श्री पाणिग्रही (पुरी):** इस मंत्रालय का मुख्य कार्य है हमारे देश के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में एक नवीन क्रान्ति पैदा करना । हम यह देखना है कि अब तक हमारा यह मंत्रालय अपने कार्य में कितना सफल हो पाया है । अभी हाल में उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास खण्ड में कुछ लोगों ने इस कार्य की प्रगति का अनुमान लगाया है । बहुत अच्छी तरह अध्ययन करने के बाद उन्होंने परिणामों को **भारत के बदलते हुये गांव (इण्डिया'ज चेंजिंग विलेजेज)** नामक पुस्तक में संकलित किया है । प्रश्न यह है कि सहकारिता के काम में जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सहकारी समितियों के बारे में इस पुस्तक में कहा गया है कि उसकी सदस्यता उच्च वर्ग के लोगों तक ही सीमित है। उसके बड़े-बड़े पद गांव के राजनीतिज्ञों के हाथों में हैं। इसके अतिरिक्त सहकारी समितियों से जो ऋण या बीज किसान लेते हैं उन्हें एक निश्चित तिथि तक लौटाना आवश्यक होता है। देर के मामलों में समितियों का रवैया बहुत कड़ा होता है। फिर अनेक कालेजों पर हस्ताक्षर आदि करने की कठिनाई से बचने के लिए किसान प्रायः इन समितियों का सदस्य बनना पसन्द नहीं करते।

फसल प्रतियोगिता के सम्बन्ध में इस पुस्तक में कहा गया है कि ये प्रतियोगितायें केवल खानापूरी के लिये की जाती हैं, इन से प्रतियोगिता की स्वस्थ भावना नहीं पैदा होती। सफाई व स्वच्छता के सम्बन्ध में कहा गया है कि किसी आने वाले राजनैतिक नेता या अतिथि के आने की तैयार के रूप में ही सफाई का काम किया जाता है अन्यथा नहीं। श्रमदान की स्थिति भी बड़ी विचित्र है। भूमिहीन किसानों का शोषण किया जाता है श्रमदान में। कृषि सम्बन्धी विस्तार के सम्बन्ध में इस पुस्तक में कहा गया है कि इसका ७०% भाग उच्च वर्ग के जेबों में जाता है। अतः आप विचार करें कि आप के खण्डों तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों की क्या दशा है।

सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के आय-व्ययक तैयार करने की प्रणाली में भी समुचित सुधार किये जाने की आवश्यकता है। आप इस बात पर भी ध्यान दें कि इन खण्डों में किसानों को ऋण किस दर से मिलता है। भारत का रक्षित बैंक १ या १½ % की दर से ऋण देता है पर किसान तक पहुंचते-पहुंचते व्याज की दर ६½ प्रतिशत तक हो जाती है। अतः मेरा निवेदन है कि मध्यवर्तियों को निकाल दिया जाये ताकि किसानों को सस्ता ऋण मिल सके। अन्यथा इससे कोई लाभ नहीं होता।

बीज फार्मों को खोलने के सम्बन्ध में योजना थी कि द्वितीय योजना काल में ४००० नये बीज फार्म खोले जायेंगे। पर अभी तक केवल ५०० बीज फार्म ही खोले जा सके हैं। अतः बीज फार्मों को खोलने के सम्बन्ध में जो लक्ष्य रखा गया था, उस में सरकार को बड़ी असफलता मिली है।

खण्ड विकास समितियों में भी प्रायः नामनिर्देशित व्यक्तियों की बहुतायत होती है, जिससे वातावरण अच्छा नहीं रहता। सरपंच को भी इसका सदस्य बनाया जाता है। वह ठेके लेकर काम कराता है और कमीशन लेता है। उसकी स्थिति काफी प्रभावशाली होती है। जमींदारों व महाजनों को इन समितियों में बड़े-बड़े अधिकार प्राप्त हैं। इस से कोई लाभ नहीं होता। अतः मेरा निवेदन है कि इन समितियों में निर्वाचित व्यक्तियों को स्थान दिया जाना चाहिये। तथा इस प्रकार सरकारी प्रभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए।

पहले प्रत्येक खण्ड में २ जीप गाड़ियां थीं। अब एक ही है। मेरा कहना है कि वहां जीप गाड़ियां बिल्कुल ही न दी जायें। कई महीने तक वर्षा के कारण वहां जीप गाड़ियों का इस्तेमाल होता ही नहीं। फिर जीप के मामलों को लेकर कई बार पदाधिकारियों में आपस में झगड़े पैदा हो जाते हैं। जब खण्ड के अन्य पदाधिकारी सायकिल से या पैदल आते जाते हैं तो बी० डी० ओ० भी क्यों न सायकिल से या पैदल जावे। ऐसा करने से गांव वाले देखेंगे कि वास्तव में ये पदाधिकारी जनता के सेवक हैं न कि अफसर।

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सं० मूर्ति)**: झे दुख है कि आज की चर्चा के समय हमारे मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं । जैसा कि प्रधान मन्त्री ने कहा है वे बीमार हैं और बीमारी का कारण उनमें कार्य के प्रति अटूट लगन तथा अदम्य उत्साह है । वस्तुतः कार्याधिक्य के कारण ही वे बीमार हो गये हैं ।

मैं प्रधान मन्त्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चर्चा आरम्भ की तथा नई सहकारी संस्थाओं की, जो कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन परिवर्तन करेंगी, उनके महत्व को बताया । श्री श्या० नं० मिश्र ने सहकारिता के सामान्य सिद्धान्तों तथा सहकारी खेती की जो व्याख्या की है उनके लिये मैं उनका आभारी हूं ।

अधिकांश सदस्यों ने स्वयं ही दूसरे सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों और सन्देहों का उत्तर दे दिया है । तथापि जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है, मैं उनका संक्षेप में उत्तर दूंगा । श्री वासुदेवन नायर ने चर्चा प्रारम्भ करते हुए मंत्रालय को धन्यवाद दिया और श्री मसानी तथा उनके अनुयायियों के प्रश्नों का उत्तर दिया । उन्होंने सहकारी नीति पर कार्यकर्त्ता दल के प्रतिवेदन का उल्लेख करते हुए कहा कि दूसरी योजना के अन्त तक सहकारी संस्थाओं के सदस्यों की संख्या २ करोड़ बनाने के लिये कार्यकर्त्ता दल की यह सिफारिश है कि अपेक्षाकृत सम्बद्ध व्यक्तियों को जिनके पास पूंजी लगाने के लिये अतिरिक्त रुपया हो, इस क्षेत्र में लाया जाय । विभिन्न सरकारी एजेन्सियों द्वारा उपलब्ध सुविधायें भी उन्हीं लोगों को प्राप्त होनी चाहिये जो लोग गांव समितियों के सदस्य हों ।

श्री वासुदेवन नायर यह स्वीकार करेंगे कि सहकारी संस्थाओं के पास अपनी पूंजी भी होगी तथापि रुपया गांव से भी आना चाहिये, जब गांवों में समृद्ध और धनी लोग हैं तो उन्हें सहकारी संस्थाओं का सदस्य बना कर उनके धन का उपयोग गांव के कल्याण के लिये क्यों न किया जाय ।

उन्होंने पृष्ठ २७ के पैराग्राफ ४ का उल्लेख नहीं किया । जिसमें लिखा गया है कि इस समय ग्रामीण समितियों की सदस्यता उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित है जिनके पास जमीन है । कई राज्यों में ऐसे व्यक्तियों को जिनका भूमि पर स्थायी अधिकार नहीं है, सदस्य नहीं बनाया जाता है या ऋण सम्बन्धी उचित सुविधायें प्रदान नहीं की जाती हैं । इसलिये हम चाहते हैं कि प्रत्येक गांव में एक सहकारी समिति हो और गांव का प्रत्येक परिवार उसका सदस्य हो ।

उक्त प्रकार की सहकारी समिति में तीन नई बातें होंगी । अर्थात् निकट सम्पर्क, सामाजिक एकता तथा पारस्परिक सहायता । मैं श्री नायर को यह आश्वासन देता हूं कि इस नये प्रकार के समाज में किसी प्रकार का शोषण नहीं होगा ।

श्री मसानी ने कहा कि "टाइम्स आफ इंडिया" ने गांवों में इस सम्बन्ध में लोकमत लिया । इस सम्बन्ध में २०० परिवारों से मत पूछा गया । उनमें से १०४ परिवार अपनी भूमियों को पुंज में शामिल करने के निश्चित रूप से विरोधी थे । ३६ को कोई विशेष आपत्ति नहीं थी । ४०० परिवार पक्ष में थे और २० परिवारों ने कोई मत नहीं दिया ।

मैं इस सम्बन्ध में कुछ न कह कर एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । पहिली बात यह है कि "टाइम्स आफ इंडिया" इस सम्बन्ध में जनमत जानने के लिये मद्रास ही क्यों गया । फिर यह लोकमत कहां लिया गया ? तंजौर में, जहां मितरासतदारों की संख्या अधिक है या रामनाथपुरम् में जहां किसानों की संख्या अधिक है । तथा जिन व्यक्तियों से यह मत लिया गया है वे शिक्षित थे या अशिक्षित । फिर यह बात भी महत्वपूर्ण है कि किसने, किस प्रकार के प्रश्न पूछे । क्योंकि एक ही प्रश्न को कई तरीके से

---

†मूल अंग्रेजी में

पूछा जा सकता है। मुझे आश्चर्य है कि श्री मसानी ने किस प्रकार इन २०० परिवारों के आधार पर अपना विश्वास बना लिया कि यदि भारत में संयुक्त खेती लागू की जायेगी तो देश में खून खराबी हो जायेगी। मैं उनकी धारणाओं पर सन्देह नहीं करता हूं तथापि तब भारत के आठ करोड़ से अधिक भूमिहीन किसानों की समस्या किस प्रकार हल होगी। वह गरीब किसान जो दिन भर काम करके भी अपना पेट नहीं भर सकता है। उन्होंने देश की खाद्य समस्या के हल तथा गांवों में आपसी फूट इत्यादि को दूर करने के सम्बन्ध में भी सोचा है? वे देशभक्त और विद्वान् हैं। वे लोकतन्त्र के पक्के समर्थक हैं तथा समाजवादी ढांचे के समाज में विश्वास करते हैं तो उन्हें ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करना चाहिये जो लोकतन्त्र की खिल्ली उड़ाते हैं। अपितु जनसाधारण का साथ देना चाहिये। जनता को उन पर गर्व तथा विश्वास है अन्यथा जो प्रचार श्री मसानी और उनके अनुयायी कर रहे हैं उनसे खून खराबी और गृह युद्ध फैलने की सम्भावना है।

इस समय लोग बेकार और भूखे हैं। क्या आप चाहते हैं कि लाखों लोग व्यक्तिगत सम्पत्ति के नाम पर जीवन शोषी गरीबी के शिकार बने रहें। श्री उमा नेहरू ने ठीक ही कहा है कि श्री भसानी ने खेतों में पसीना बहाते हुए किसानों को नहीं देखा होगा।

अन्यथा वे ऐसी बातें न करते। मैं चाहता हूं कि वे हमारा साथ दें और भारत के इस नये आन्दोलन को न केवल खाद्य समस्या, गरीबी, बेरोजगारी दूर करने में अपितु उनसे उत्पन्न सभी बुराइयों की जड़ उखाड़ने में हमारा सहयोग दें।

श्री रघुवीर सहाय सामुदायिक विकास के बारे में विशेषज्ञ हैं तथापि उन्हें सहकारिता के बारे में भी विशेषज्ञ नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने जो भी रचनात्मक सुझाव दिये हैं, मंत्रालय उनके लिये आभारी हैं। उन्होंने यह पूछा है कि हमने संयुक्त राष्ट्र दल को निमंत्रित क्यों किया? इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि परियोजना सम्बन्धी योजना समिति ने हमें यह सुझाव दिया था कि सामुदायिक कार्य का मूल्यांकन एक स्वतन्त्र दल द्वारा किया जाय। श्री पाणिग्रही तथा अन्य कई सदस्यों ने भी इस विषय में प्रश्न किये हैं कि सामुदायिक विकास कार्य की प्रगति का मूल्यांकन करवाया जाय। इसीलिये इस समय हमारे देश में कई मूल्यांकन दल काम कर रहे हैं। जब हमें यह पता लगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ इस दिशा में हमारी प्रगति जानना चाहता है तो हमने इस दल का स्वागत किया। तीन व्यक्तियों ने हमारे देश में तीन महीने बिताये। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य यह है कि इस दिशा में हमारे प्रयत्नों का अध्ययन किया जाय और यदि उसमें कुछ अच्छाइयां हों तो अन्य देशों को भी बताई जायें। वस्तुतः हमने उन्हें विशेषज्ञ के रूप में सलाह देने नहीं बुलाया है। वे केवल यह देखना चाह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं।

उन्होंने यह सुझाव दिया है कि खंड विकास अधिकारी को राजपत्रित अधिकारी बना दिया जाय। कई राज्यों में ऐसा किया जा रहा है। वस्तुतः खंड स्तर पर वह अपने दल का नेता है। पहिले हमें इस पद के लिये योग्य व्यक्ति नहीं मिले, लेकिन धीरे-धीरे हमें इस पद के योग्य व्यक्ति मिल रहे हैं, जो इस कठिन कार्य को ठीक तरह करने में समर्थ हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में और भी क्रान्तिकारी परिवर्तन किये जा रहे हैं। इसी वर्ष कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं। हमने यह निर्णय किया है कि प्रत्येक गांव या गांव-समूह में एक पंचायत हो। तथा खंड विकास समिति में इन पंचायतों को भी प्रतिनिधित्व मिले। यथा सम्भव खंण्ड विकास समिति का अध्यक्ष गैर-सरकारी व्यक्ति होना चाहिये। कई राज्य इन प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं। दूसरे प्रक्रम वाले कई खंडों में सभापति तथा उप-सभापति गैर-सरकारी व्यक्ति हैं आंध्र प्रदेश में एक पहिले प्रक्रम वाले खंड का उप-सभापति भी गैर-सरकारी

[श्री ब० सं० मूर्ति]

व्यक्ति हैं। हम खंड विकास समिति के सदस्यों को संगठन, आयोजन तथा संचालन सम्बन्धी अधिकाधिक कार्य देते जा रहे हैं।

खण्ड विकास समिति को पहिले परामर्शदात्री समिति कहते थे। हमने उसे अधिक शक्तियां और प्राधिकार देने के लिये उसका नाम बदल दिया और अब उसे खण्ड विकास समिति कहते हैं।

श्री द० अ० कट्टी ने इस उदार मन्त्रालय की जो कटु आलोचना की उसे सुन कर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। यदि किन्हीं क्षेत्रों में कुछ भी कार्य न हुआ है तो जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से उनका यह कर्त्तव्य है कि वह इस पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करें। यदि राज्य सरकार उस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही न करे तो वह केन्द्रीय सरकार का ध्यान उस ओर दिलायें। उन्होंने बहुत अनुदार शब्दों का प्रयोग किया है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये। जिससे भारत की दूसरी जातियों के सदस्यों के हृदयों में उनके प्रति कटुता न पैदा होने पावे। निस्सन्देह उनके समुदाय को शताब्दियों से शोषण और उत्पीड़न सहना पड़ा है। तथापि अब कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता है। आश्चर्य है कि वे लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण के विरोधी हैं। सामुदायिक विकास का उद्देश्य गांवों में नई रूपरेखा का विकास करना है, इस प्रयोजन के लिये हम पंचायतों को उत्तरोत्तर अधिक अधिकार दे रहेहैं। शायद उन्होंने ही यह भी कहा था कि भूमिहीन श्रमिक, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग गांवों की कुल जनसंख्या का आधे से अधिक भाग हैं। यदि आधे से अधिक जनसंख्या उनके साथ है तो वह लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण के विरोधी क्यों हैं। वस्तुतः उन्हें तथा उनके अनुयायियों को इस सिद्धान्त का स्वागत करना चाहिये। तथा उन्हें पंचायतों को सच्ची लोकतन्त्रात्मक संस्थायें बनाने में पूरा सहयोग देना चाहिये, जिनमें हरिजन तथा दरिद्र लोगों को अपनी बात कहने का पूरा अवसर दिया जायेगा। अब मैं छोटी सिंचाई योजनायें, ग्रामोद्योग और सामाजिक शिक्षा को लेता हूं। समाज शिक्षा संयोजक एक नये प्रकार का कार्य कर रहा है। सम्भव है कि कुछ गांवों में मतैक्य की भावना विद्यमान हो तथापि यह कहना भी गलत है कि गांवों में सामुदायिक भावना नहीं है। गांव के लोगों में एकता की अधिक भावना है। हमारा यह उद्देश्य है कि सामुदायिक विकास संगठन के सभी वैतनिक तथा अवैतनिक कार्यकर्त्ताओं गांव के लोगों में विभिन्न स्वेच्छा संगठनों के द्वारा एकता की भावना का प्रसार करें। हम गांव के लोगों के विचार और भावना में ही एकता नहीं लाना चाहते हैं अपितु यह चाहते हैं कि उनके कार्य और व्यापार में भी एकता पैदा हो। समाज शिक्षा संयोजक इसी भावना का प्रसार करता है।

हम समुदायिक विकास कार्यों का समय-समय पर मूल्यांकन करने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। इस समय हमें खंड स्तर की तिमाही रिपोर्ट प्राप्त होती है जिसमें गांव तथा ग्रामसेवक के कार्यों का द्विसप्ताहिक तथा तिमाही वर्णन होता है। जहां तक खंडों के वर्गीकरण का संबंध है कई राज्यों में खंडों को क, ख, ग वर्गों में बांटा गया है।

[उपाध्यक्ष महोदय पाठीसीन हुये]

श्री म० ला० वर्मा ने श्रम सहकारिताओं के संबंध में बोलते हुए यह कहा कि जब केरल में १००० सदस्यों वाली श्रमिक संस्था हो सकती है तो ऐसी संस्थायें अन्य राज्यों में क्यों नहीं हो सकती हैं। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि बम्बई में एक वन सहकारी संस्था है तथा पंजाब, आंध्र और मद्रास में श्रम तथा अन्य सहकारी प्रकार की संस्थायें हैं। उन सहकारी संस्थाओं को भी उसी प्रकार की सहायता दी जा रही है जो कि केरल राज्य उक्त सहकारी संस्था को दे रहा है। उन्हें २०,००० रु० तक का काम बिना टेंडर मांगे ही दे दिया जाता है। टेंडर मंगा लिये जाने पर

भी यदि श्रमिक समिति ५% छूट पर उस काम को करने के लिये तैयार हो तो उस पर विचार किया जाता है। पंजाब स कार भी इ न सहकारी संस्थाओं को यथासंभव सहायता दे रही है।

कई सदस्यों ने छोटी सिंचाई योजनाओं का उल्लेख किया। दूसरी योजना की अवधि में छोटी सिंचाई परियोजना के लिये ११० करोड़ रुपये की राशि रखी गई है जिसका आधा अंश खाद्य तथा कृषि मंत्रालय देगा तथा आधा अंश सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय देगा। यह निश्चय किया गया है कि स्थानीय छोटी सिंचाई योजनाओं का प्रचार पंचायतों समितियों तथा सहकारी संस्थाओं के द्वारा लाभ उठाने वाले व्यक्तियों को ही सौंप देना चाहिये। आंध्र, मैसूर, राजस्थान तथा केरल में ऐसा किया जा रहा है। यदि सहकारी संस्थायें तथा पंचायतें छोटी सिंचाई योजनाओं को अपने हाथों में लें तो दलालों या ठेकेदारों की आवश्यकता नहीं रहेगी और अपव्यय नहीं होने पायेगा।

छोटी सिंचाई योजनाओं में मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित तरीके पर व्यय किया जा रहा है।

वर्ष	कुल सामुदायिक योजना व्यय	छोटी सिंचाई योजनाओं में व्यय
	रुपये	रुपये
१९५६-५७ . .	२३०५ करोड़	४.७४ करोड़
१९५७-५८ . . .	३२.३६ करोड़	६.९७ करोड़
१९५८-५९ . . .	३५.४४ करोड़	१०.०० करोड़

उक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जायेगा कि छोटी सिंचाई योजनाओं की ओर उत्तरोत्तर अधिक ध्यान दिया जा रहा है और उसमें व्यय की राशि बढ़ाई जा रही है।

ग्रामोद्योगों के संबंध में श्री रघुबीर सहाय ने बलवंत राय मेहता समिति का उल्लेख किया है और कहा कि इस दिशा में बहुत कम प्रगति हुई है। यह बात पुरानी हो गई है तब से आज तक इस दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है। मंत्रालय के पास जो भी संसाधन हैं उनका वह यथासंभव उपयोग कर रही है। तथा राज्य सरकारों से भरसक प्रयत्न करने को कह रही है। सामुदायिक विकास को इस संबंध में थोड़ी ही राशि मिली हुई है और वस्तुत : इस राशि का उद्देश्य ग्रामोद्योग संबंधी पांच बोर्डों यथा हथकरघा बोर्ड, छोटे पैमाने के उद्योग बोर्ड, रेशम बोर्ड, दस्तकारी बोर्ड, इत्यादि के कार्य को सहायता देना है। खादी आयोग पिछले तीन वर्षों से सामुदायिक विकास खंडों में ग्रामोद्योग संबंधी कार्यों के लिये १ करोड़ रुपये प्रति वर्ष दे रहा है। जो विभिन्न राज्यों में खंडों की संख्या के अनुसार वितरित किया जाता है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने अन्य बोर्डों को भी २५% रकम राज्यों के खंड विकास क्षेत्रों ने व्यय करने के अनुदेश दिये हैं। राज्य सरकारों को योजनाओं की क्रियान्विति में सहायता देने के लिये, खादी आयोग इस बात पर सहमत हो गया है कि मंजूरी के दिन से तत्संबंधी राशि एक वर्ष तक उपलब्ध हो सकेगी तथा वित्तीय वर्ष के अंत में व्यपगत नहीं होगी। सरकार के लिये ग्रामोद्योग द्वारा बनी सारी वस्तुएं खरीदना असंभव है।

श्री बासप्पा ने यह शिकायत की है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में खंड के मुख्य कार्यालय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटा दिया गया जब कि पहिले स्थान में ८०००० रुपये व्यय किये जा चुके थे। मैं चाहूंगी कि वे इस संबंध में हमें विस्तृत विवरण भेज देवें जिससे हम इस मामले पर गौर कर सक वस्तुत : हमें इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति का पता नहीं है।

श्री सत्य नारायण सिंह ने यह शिकायत की है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में कुछ अधिकारी पंच तथा सरपंचों की बुराइया करते हैं, और कहा कि उनका आदर किया जाना चाहिये। ये बातें पहिले राज्य मंत्री तथा केन्द्रीय मंत्री के ध्यान में लाई जानी चाहिये। वस्तुत: यह आशा नहीं की जा सकती है कि सभी स्थानों के सभी अधिकारी यथोचित आदरपूर्ण व्यवहार करते होंगे। यदि कोई अधिकारी ऐसा करता है तो जनता के प्रतिनिधियों को चाहिये कि वे उसे समझा-बुझा कर सही रास्ते पर लायें। मैं माननीय सदस्यों से इस मामले में उनके सहयोग की प्रार्थना करता हूं जिससे वे अपने कार्य में सफल हो सकें।

यह हमारे मंत्रालय का तीसरा बजट है अत: मैं इस अवसर पर कुछ उत्साहवर्द्धक बातें बताना चाहता हूं। अब तक मंत्रालय का मुख्य कार्य यह था कि कुशल प्रशासन, उचित समन्वय, कर्मचारियों के प्रशिक्षण इत्यादि के लिये आवश्यक वातावरण पैदा किया जाय तथा स्थानीय योजनाओं और कार्यों को करने के लिये आवश्यक धन राशि उपलब्ध की जाय। अब हम गांवों में लोक प्रिय संस्थायें बना चुके हैं। गांवों में सहकारी संस्था, गांव पंचायत इत्यादि निर्वाचित संस्थायें तथा स्कूल है। खंड स्तर पर खंड समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद है। उक्त सभी समितियों को संयोजित करने का प्रयास किया जा रहा है।

अत: जनता के प्रतिनिधियों का यह कर्त्तव्य है कि वे इसका पूरा दायित्व ग्रहण करें तथा ग्रामों के निर्माण तथा ग्रामीणों के हृदय में स्वावलंबन की भावना पैदा करने में सहयोग दें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हमने हैदराबाद के पट्टनचेरू स्थान पर संसद सदस्यों के लिये एक शिविर कायम किया था। इस शिविर में २५ सदस्य विधान सभाओं के तथा २५ सदस्य संसद के सम्मिलित हुए थे। वे शिविर में एक सप्ताह तक साथ-साथ रहे और उन्होंने समुदायिक विकास संबंधी सभी मामलों पर चर्चा की। समुदायिक विकास तथा सहकारिता के कार्य को भविष्य में किस प्रकार किया जाय इस संबंध में कुछ अनौपचारिक निश्चय किये गये। इस शिविर की सफलता से प्रभावित होकर श्री म० दा० माथुर और श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने राजस्थान की सरकार से भी उसी प्रकार का शिविर खोलने का अनुरोध किया। राजस्थान की सरकार भी उसी प्रकार का एक शिविर आयोजित कर रही है।

हम वस्तुत : यह चाहते हैं कि इस आन्दोलन का संचालन जनता के प्रतिनिधि करें। इसीलिये हम केन्द्र तथा राज्य की परामर्शदाता समितियों में जनता के प्रतिनिधियों को यह सलाह दे रहे हैं कि वे गांवों की जनता तक लोक तंत्र के लाभ पहुंचायें तथा उन्हें यह बतायें कि उन्हें इससे लाभ उठाना चाहिये तथा बिना किसी की सहायता के स्वयं अपने बल पर अपनी स्वतंत्रता की रक्षा का प्रयत्न करना चाहिये।

माननीय सदस्यों ने जो उदारता दिखाई है तथा जो सहयोग दिया है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उनकी चर्चा करने की पद्धति से उनकी गाढ़ी दिलचस्पी का पता लगता है। मुझे उनके सहयोग का पूरा भरोसा है तथापि मैं उनसे यह आशा करूंगा कि वे स्वयं गांवों में जाकर उन्हें यह बतायें कि भविष्य में गांवों की योजना गांव वाले ही बनायेंगे। इसी प्रकार खंड, जिले तथा राज्य की योजना उनके स्तरों पर बनाई जायेंगी। इस प्रकार हमने एक ऐसे लोक तंत्र की स्थापना करनी है जिसका प्रशासन केन्द्र से गांवों की ओर नहीं अपितु गांवों से केन्द्र की ओर चलेगा। अन्त में मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस मंत्रालय की मांगों को स्वीकार करें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं अब कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६	सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय	२५,१२,०००
७	सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सहकारिता	१८,८६,९०,०००
१०८	सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय का पूंजी व्यय	३,४७,१५,०००

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेगी।

'वर्ष १९५९–६० के लिय, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	६७,७७,०००
२	उद्योग	२७,२२,३९,०००
३	नमक	६८,०७,०००
४	वाणिज्यिक सूचना और आंकड़े	७४,४६,०००
५	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग और व्यय	२,५५,९०,०००
१०७	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	१४,८९,९०,०००

†**श्री परुलकर :** (थाना) समयाभाव के कारण मैं सिर्फ उन बातों के ही सम्बन्ध में बोलूंगा जो माननीय मंत्री ने आध घंटे की चर्चा के समय कही थीं।

†मूल अंग्रेजी में

माननीय मंत्री ने कहा है कि "मैर्क्स्" फर्म के साथ 'हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स' के बीच जो करार हुआ था, उस से देश को फ़ायदा पहुंचा है । उन का कहना है कि उस के कारण ९७ लाख रुपये की बचत हुई है, क्योंकि आयात की जाने वाली स्ट्रैप्टोमाइसीन का मूल्य ४०० रुपये से गिर कर १६० रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है । लेकिन सचाई तो यह है कि १९५८ में स्ट्रैप्टोमाइसिन का मूल्य अमरीका में भी गिर गया था । वहां भी इस का मूल्य ४०० से घट कर १८० रुपये प्रति किलोग्राम रह गया था । दूसरा कारण यह था कि अमरीका में १९५७ में १४ टन स्ट्रैप्टोमाइसिन अतिरिक्त थी, वहां के बाजारों में नहीं खप पाई थी । इसलिये यह कहना गलत है कि ९७ लाख रुपये की बचत उस करार के कारण ही हुई है । उपभोक्ता को तो कोई लाभ हुआ ही नहीं, क्योंकि १९५६ की तरह आज भी उसे सवा रुपया प्रति ग्राम मूल्य देना पड़ता है । देश में स्ट्रैप्टोमाइसिन का सारा आयात 'हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स" के हाथों में ही है । वह ग्लैक्सो, अलेम्बिक, इत्यादि अन्य बड़ी-बड़ी फर्मों से ही स्ट्रैप्टोमाइसिन खरीद कर उस का सम्भरण करती है । इस तरह मूल्य के गिरने से सारा अतिरिक्त मुनाफा बड़ी-बड़ी फर्मों को ही हुआ है । भारत सरकार ने राज्य व्यापार निगम के जरिये जो जांच कराई थी, उस मे सोवियत यूनियन ने स्ट्रैप्टोमाइसिन का मूल्य उद्धरण ४२ नये पैसे प्रति ग्राम दिया था । उसका वास्तविक मूल्य हमारे यहां १२० रुपये प्रति किलोग्राम पड़ता । और उसे खरीदने से ३३ लाख रुपये की और भी बचत हो सकती थी । उस में दूसरा फायदा यह भी था कि सोवियत यूनियन से खरीदने में हमें विदेशी मुद्रा भी नहीं देनी पड़ती । वह रुपयों में ही मूल्य लेने के लिये तैयार था ।

माननीय मंत्री ने "मैर्क्स्" के साथ किये गये करार का एक और औचित्य यह बताया है कि "मैर्क्स्" के साथ सहयोग करने से स्ट्रैप्टोमाइसिन की उत्पादन-लागत सस्ती पड़ेगी, जब कि सोवियत के साथ सहयोग करने पर उत्पादन लागत उतनी सस्ती नहीं पड़ती ।

इस मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने 'हिन्दू' के सम्वाददाता को बताया है कि सोवियत के साथ सहयोग करने से उत्पादन-लागत ४५० रुपये प्रति किलोग्राम पड़ती, जब कि "मैर्क्स" ने उत्पादन-लागत का मूल्य--उद्धरण २६७ रुपये प्रति किलोग्राम बताया था । इसी लाभ को देख कर, 'मैर्क्स्" के साथ करार किया गया था ।

लेकिन यह सचाई नहीं है । मेजर-जनरल सोखे इस विषय के अधिकारी माने जाते हैं । उन्होंने 'हिन्दू" के नाम अपने एक पत्र में बताया है कि उस के सम्वाददाता को रिपोर्ट में सोवियत परियोजना द्वारा स्ट्रैप्टोमाइसिन की उत्पादन लागत के जो आंकड़े दिये गये थे, वे कहीं किसी भी दस्तावेज में नहीं मिलते । उन्होंने उस पत्र में बताया है कि सोवियत विशेषज्ञों के दूसरे दल ने अक्तूबर, १९५८ में अपनी जो रिपोर्ट पेश की थी उस में प्रति किलोग्राम स्ट्रैप्टोमाइसिन की उत्पादन-लागत १५७ रुपये रखी गई थी, जब कि "मैर्क्स्" ने उसे २६७ रुपये रखा था । इस लिये स्पष्ट है कि वह करार ऐसे किसी भी लाभ को देख कर नहीं किया गया था ।

मेजर-जनरल सोखे ने अपने पत्र में १५७ रुपये प्रति किलोग्राम उत्पादन-लागत का जिक्र किया है वह वास्तव में और भी कम बैठेगी । सोवियत विशेषज्ञों के पहले दल ने मई १९५६ में उत्पादन-लागत ५०० रुपये प्रति किलोग्राम बताई थी । लेकिन अक्तूबर १९५८ तक प्रौद्योगिक प्रगति के कारण उत्पादन लागत में काफी कमी करना सम्भव हो गया था। इसलिये दूसरे सोवियत विशेषज्ञ दल ने अक्तूबर, १९५८ में उत्पादन-लागत को १५७ रुपये प्रति किलोग्राम रखा था। इस में आश्चर्य की कोई बात नहीं । मेजर जनरल सोखे ने अपने उसी पत्र में बताया है कि इन्होंने १९५७ में भारत सरकार को पेनीसिलीन के निर्माण की परियोजना के संबंध में जो रिपोर्ट पेश की थी, उस में ६ फर्मेन्टर्स की क्षमता वाली परि-

योजना का उत्पादन १२ लाख मेगा यूनिट प्रति वर्ष दिखाया गया था, लेकिन बाद में १९५५ में जब परियोजना का काम चालू हुआ तो वैज्ञानिकों की विशेषज्ञ समिति ने उतनी क्षमता के उसी कारखाने का उत्पादन १८० मेगा यूनिट प्रति वर्ष रखा था। मतलब यह कि प्रौद्योगिक प्रगति के कारण उतनी क्षमता वाली परियोजना का उत्पादन १५ गुना बढ़ गया और उस के फलस्वरूप उस को उत्पादन लागत पहले के मुकाबले १/२० रह गई ।

करार का खण्ड ११क गोपनियता के सम्बन्ध में है ।

उस में व्यवस्था की गई है कि उत्पादन सम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान और उस की विधि गुप्त रखी जानी चाहिये। दूसरी व्यवस्था यह है कि उस के लिये हमारे वैज्ञानिकों पर "मैर्क्स्" द्वारा अनुमोदित प्रणाली से कड़ी नजर रखी जा सकती है। और उन से पूछ ताछ भी की जा सकती है। तीसरी यह कि उत्पादन की वह विधि, वह व्यावहारिक केवल उन्हीं कारखानों में प्रयुक्त किया जायेगा, जो करार के अन्तर्गत खड़े किये जायें। माननीय मंत्री ने इस खंड का औचित्य यह बताया है कि ऐसी शर्तें तो सामान्यतया सभी करारों में रखी जाती हैं। उन का कहना है कि यदि सोवियत यूनियन के साथ भी करार किया जाता, तो वह भी ऐसी व्ववस्थायें उस में जोड़ने पर अवश्य जोर देता ।

लेकिन मेजर जनरल सोखे ने स्पष्ट बताया है कि सोवियत विशेषज्ञ दल ने भारत सरकार को लिखित सूचना दी थी कि सोवियत यूनियन गोपनियता की ऐसी कोई भी शर्तें नहीं रखना चाहता। सोवियत यूनियन को ऐसी कोई भी आपत्ति नहीं थी कि उस का व्यावहारिक ज्ञान कहीं और प्रयुक्त न किया जाये। इतना ही नहीं, सोवियत यूनियन ने अपने राजदूत के जरिये पेनिसिलीन तैयार करने के लिए आवश्यक मिश्रणों की चार बोतलें भी हमारे पास भेजी थीं और आज कल 'हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स" वास्तव में उसी से पेनिसिलीन तैयार भी कर रहा है। फिर १९५७ में, सोवियत सरकार ने अल्बोमाइसीन, ओरियोमाइसिन, अक्रोमाइसीन, टेरामाइसिन, एथ्रोमाइसिन, स्ट्रैप्टोमाइसिन और पैनिसिलीन तैयार करने के लिये छः नये मिश्रण और भी भेजे थे और उन के तैयार करने की विधि भी साथ में लिखित रूप में भेजी थी। जब ये सभी तथ्य मेजर-जनरल सोखेने जुटाये, तो मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि सोवियत रूस में भी कई कारखाने "मैर्क्स्" इत्यादि अमरीकी फर्मों की विधि से औषधियां तैयार कर रहे हैं। उनका मतलब यह था कि उन में गुप्त रखने की कोई बात ही नहीं थी ।

यदि मंत्रालय के प्रवक्ता की यह बात सही है, तो फिर सरकार ने "मैर्क्स्" के साथ हुए करार में ऐसी शर्त रखना मंजूर क्यों किया ? क्या अब उस शर्त को रद्द करने का प्रश्न उठाया जायेगा ?

एक और प्रश्न यह है कि यदि यह मान भी लिया जाये कि भारत सरकार सोवियत के साथ करार नहीं करना चाहती थी, तब भी "मैर्क्स्" के साथ "स्ट्रैप्टोमाइसीन" के निर्माण के लिये ऐसा कोई करार करने की आवश्यकता नहीं थी, क्यों कि हमारे ही देश में मेजर-जनरल सोखे के पास उस के उत्पादन से सम्बन्धित व्यावहारिक ज्ञान मौजूद था। उन्हों ने १९५२ में तीन अन्य देशों को एन्टीबायोटिक्स के उत्पादन के कारखाने खड़े करने में मदद दी थी। तब सरकार ने अपने देश के वैज्ञानिक को छोड़ कर, "मैर्क्स्" की शरण क्यों ली ?

मेजर-जनरल सोखे के पास सभी एन्टीबायोटिक्स औषधियों के उत्पादन का व्यावहारिक ज्ञान भी मौजूद है। इस पुस्तक में वह सब दिया गया है। उस में कोई भी गोपनीयता नहीं है । मेजर-जनरल सोखे को यह पुस्तक सोवियत यूनियन से मिली है।

इस पुस्तक की सिर्फ एक ही प्रति है, इसलिये इसे सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता। इस की प्रतियां टाइप कराई जा सकती हैं ।

फिर अमरीका फर्म के साथ किये जाने वाले करार में रायल्टी का भी प्रश्न है। माननीय मंत्री का कथन था कि रायल्टी के रूप में तो बहुत बड़ी राशि देनी पड़ेगी, ३०–४० लाख रुपये ही। लेकिन, बुनियादी सवाल तो यह है कि क्या इस करार से देश को कोई ऐसी आर्थिक हानि हुई है जिस से बचा जा सकता था ? इस प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं दिया गया।

"मैर्क्स्" रायल्टी की दर इतनी कम—ढ़ाई प्रतिशत—रखने पर क्यों तैयार हो गई ? एक अमरीकी पत्रिका—कैमिकल एण्ड इंजीनियरिंग न्यूज—ने इस का कारण यह बताया है कि इस से "मैर्कस्" को निजी क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार मिल जायेगा।

यदि माननीय मंत्री हिसाब लगा कर देखें, तो रायल्टी की राशि भी १,१२,२५,००० रुपये बैठेगी, ३०–४० लाख रुपये नहीं।

देश के आर्थिक हित के विरुद्ध ऐसे करार करने का उद्देश्य क्या है ? अमरीकी पत्रिका के उसी लेख में इस का भी खुलासा किया गया है। "मैर्क्स्" इस करार के जरिये यह चाहती है कि भारत में औषध-निर्माण उद्योग, सोवियत के प्रस्ताव के अनुसार, भारत सरकार के हाथों में न जा सके, निजी क्षेत्र में ही बना रहे। और, उसी लेख में यह भी बताया गया है कि स करार के सम्बन्ध में हमारे वित्त मंत्री ने ही पहलकदमी की थी, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने नहीं। करार का उद्देश्य यह है कि भारतीय उद्योगों को सोवियत के प्रभाव से बचाया जाये।

†**श्री मुरारका** (झंझन्) : हमारे देश का सारा वैदेशिक व्यापार इसी मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। उद्योगों को ऋण भी इसी मंत्रालय द्वारा दिये जाते हैं। निजी क्षेत्र का नियंत्रण भी इसी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस मंत्रालय के अन्तर्गत बहुत से निगम, संविहित और सलाहकार समितियां, स्वतंत्र बोर्ड, परिषदें और आयोग हैं। इसलिये यह सब से महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से है। हम अभी जिस वर्ष का पुनरीक्षण कर रहे हैं, उस में इस मंत्रालय ने बड़ी-बड़ी सफलतायें प्राप्त की हैं। भारी इंजीनियरिंग निगम इसी वर्ष आरम्भ किया गया है। उस में कुल मिला कर ३०० करोड़ रुपये लगेंगे। और वह प्रति वर्ष ८० हजार टन उपकरण तैयार करेगा। वह हमारे इस्पात कारखानों, खान उद्योग, इत्यादि के लिये मशीनें जुटायेगा।

इस वर्ष भोपाल के हैवी इलैक्टिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड ने भी काफी तरक्की की है। उस से १०,००० व्यक्तियों को काम मिलेगा। लगता यह है कि उस में प्रति वर्ष १२ करोड़ रुपयों के मूल्य का उत्पादन होगा। क्या कुल मिला कर हमें उस से आगे चल कर मुनाफा होगा ?

इसी वर्ष में नंगल उर्वरक निगम का काम भी आगे बढ़ा है। इन सभी परियोजनाओं का उद्देश्य देश को आत्म-निर्भर बना कर विदेशी मुद्रा की बचत करना है। इसीलिये, मैं कहता हूं कि इस मंत्रालय ने बड़ी-बड़ी सफलतायें प्राप्त की हैं।

दूसरी चीज यह है कि इसी वर्ष में सरकारी क्षेत्र ने भी काफी प्रगति की है। पूर्व वक्ता ने हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स के बारे में बहुत कुछ कहा है। मैं उन सभी का उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं उसके वाणिज्यिक पहलू को ही लेना चाहता हूं। बड़ी उल्लेखनीय बात है कि उस कारखाने की संस्थापित क्षमता ९० लाख मेगा यूनिटस प्रति वर्ष थी, लेकिन अब वह ६ करोड़ मेगा युनिट्स प्रति वर्ष तैयार कर रहा है। उसकी उत्पादन-लागत भी १९५६-५७ में २७ आने से घट कर अब १९५८-५९ में ९ आने ही रह गई है। १९५६-५७ में उसे ५७,००० रुपये का ही मुनाफा हुआ था, जब कि १९५८-५९ में वह एक करोड़ रुपये से भी बढ़ गया है।

†मूल अंग्रेजी में

इसी तरह 'हिन्दुस्तान मशीन टूल्स' का उत्पादन भी १९५६-५७ में १३५ मशीनों से बढ़ कर १९५८-५९ में ५४२ मशीनें हो गया है। उसका मुनाफा भी ४३ लाख रुपया बढ़ गया है। और, १००० एम० एम० मशीन की उत्पादन-लागत अब २९,५०० रुपये ही रह गई है, जबकि विदेशों में भी वह ३२,७४० रुपये से कम नहीं पड़ती।

इसी तरह, सिन्दरी कारखाने की उत्पादन-क्षमता भी ६० प्रतिशत बढ़ गई है।

और सभी चीज़ों को हमें इसी पृष्ठ भूमि में देखना चाहिये। हम ने सिन्दरी कारखाने के विस्तार-कार्य का ठेका इटली के मेसर्स मौन्तेकातानी को दिया था। उसकी एक शर्त यह थी कि उस में विलम्ब होने पर वह फर्म हमें १०,००० रुपये प्रति दिन के हिसाब से हर्जाना देगी। उस में ग्यारह महीनों की देर हो गई है। इसलिये आशा है कि सरकार उससे ३०·३३ लाख रुपया हर्जाना वसूल करेगी।

दूसरी चीज़ यह कि वह कार्य अक्तूबर, १९५८ में पूरा बन चुका था, लेकिन अभी तक वहां कारखाना चालू नहीं हुआ है। माननीय मंत्री को इसका कारण बताना चाहिये।

सिन्दरी कारखाने के बारे में एक और बात यह है कि उस ने रूरकेला इस्पात कारखाने का एक ऐसा आर्डर स्वीकार कर लिया है, जिस में उसे ५० लाख रुपये का नुकसान होगा। दूसरी ओर सिन्दरी कारखाने में उत्पादन-लागत भी बढ़ती जा रही है। इसलिये हमें इस पर फिर से विचार करना चाहिये कि इस तरह सिन्दरी का पूरा कैसे पड़ेगा।

एक और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि सिन्दरी जैसा नया कारखाना भी मशानों की मरम्मत पर हर साल ७२ लाख रुपये खर्च करता है।

सिन्दरी में बहुत सा अनुत्पादक व्यय होता है। वहां एक रेलवे साइडिंग बनाया गया है। अब वहां एक डेढ़ मील लम्बी रेलवे लाइन डाली जा रही है, जिस पर २३ लाख रुपये व्यय किये जायेंगे। यह राशि बहुत अधिक है।

हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स, हिन्दुस्तान इन्स्ट्रूमैन्ट फैक्टरी और नेपा पेपर मिल्स ने भी संतोषजनक प्रगति की है। नेपा पेपर मिल्स प्रति दिन १०० टन कागज़ का निर्माण करती है। सरकार को कागज़ की किस्म के बारे में उठने वाली शिकायतों पर भी ध्यान देना चाहिये।

निजी क्षेत्र का औद्योगिक उत्पादन भी बड़ा संतोषजनक रहा है। मंत्रालय की ओर से हमें जो पुस्तिका दी गई है, उससे पता चलता है कि निजी क्षेत्र का कुल उत्पादन १९५१ में २३८ करोड़ रुपये का था, जो १९५८ में बढ़ कर ५६४ करोड़ रुपये का हो गया है। हल्के इंजीनियरिंग उद्योगों का उत्पादन भी १५ करोड़ रुपये के मूल्य से बढ़कर ५२ करोड़ रुपये के मूल्य का हो गया है। मंत्री ने बड़ी स्पष्टवादिता से स्वीकार किया है कि २२ उद्योगों का उत्पादन कुछ गिरा है। वे उद्योग वही हैं जो कच्चे माल के लिये विदेशों पर निर्भर रहते हैं।

सरकार उद्योग (विनियमन तथा विकास) अधिनियम और समवाय अधिनियम द्वारा ही निजी क्षेत्र का नियंत्रण करता है। लेकिन उद्योग (विनियमन तथा विकास) अधिनियम चन्द लोगों के हाथों में आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण होना नहीं रोक पाया है। दूसरे यह कि यह अधिनियम प्रादेशिक असमानताओं को भी कम नहीं कर पाया है।

यह अधिनियम आज से आठ साल पहले पारित किया गया था, इसलिये अब उस का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता पर विचार किया जाना चाहिये।

समवाय अधिनियम का प्रशासन कुछ मायनों में बड़ा संतोषजनक रहा है। उसमें भी कुछ त्रुटियां हैं। कुछ इन्स्पैक्टरों ने तो अपने प्रतिवेदन ही प्रस्तुत नहीं किये हैं, और जिन्होंने किये भी हैं उन पर सरकार ने विचार ही नहीं किया है। इसकी जांच की जानी चाहिये।

प्रबन्ध अभिकरणों सम्बन्धी प्रतिवेदन में बताया गया है कि इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के बाद से, अब तक कुल १८०९ समवाय बने हैं, जिन में से सिर्फ ३१ ने प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे और उनमें से केवल २१ समवायों को उसकी अनुमति मिली है। इसी काल में, प्रबन्ध अभिकरणों की प्रणाली अपनाने वाले २९ समवायों ने अपने प्रबन्ध अभिकरण समाप्त कर दि`हैं। इससे पता चलता है कि यह प्रणाली हमारे यहां लोकप्रिय नहीं बन सकी है। सरकार को इसकी जांच करा कर देखना चाहिये कि इस प्रणाली में क्या त्रुटियां हैं। पहले इसका आश्वासन भी दिया गया था।

समवाय अधिनियम के अन्तर्गत प्रबन्ध अभिकरणों की वर्तमान प्रणाली १५ अगस्त, १९६० को समाप्त हो जायेगी। इसीलिये सरकार को अभी से उस के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करनी चाहिये।

यह विधि सरकारी समवायों और निगमों पर सख्ती से लागू नहीं की जाती। इन कुछ निगमों के लेखा परीक्षकों ने बड़ी कटु आलोचनायें भी की हैं, लेकिन समवाय विधि विभाग ने उन पर कोई भी कार्यवाही नहीं की है।

हमारे निर्यात व्यापार का संकुचन देख कर मुझे बड़ी निराशा हुई है। मैं मानता हूं कि निर्यात व्यापार का संवर्धन करना केवल हमारी अपनी इच्छा पर ही निर्भर नहीं है। फिर भी सरकार के प्रयासों को अभी तक इस दिशा में कोई खास सफलता नहीं मिली है। सूती वस्त्रों और मैंगनीज के निर्यातब व्यापार में ही सब से ज्यादा गिरावट आई है। सूती वस्त्रों के निर्यात के क्षेत्र में हमें अन्य देशों से प्रतियोगिता करनी पड़ती है और मैंगनीज का निर्यात गिरने की वजह यह बताई गई है कि अन्य देशों के इस्पात उद्योग में मंदी आ गई थी। अमरीका वस्तुओं के आदान-प्रदान के आधार पर हमारे देश के साथ मैंगनीज का आदान-प्रदान करने के लिये १८ महीने का एक करार करने के लिये तैयार था। मैं जानना चाहता हूं कि उस करार को सम्पन्न करने में सरकार ने इतना विलम्ब क्यों किया है।

मैंगनीज के बारे में एक चीज़ और है। जब कि सारे संसार में मैंगनीज अयस्क की मांग बढ़ रही थी, तब ठीक उसी समय रेलवेज़ ने मैंगनीज पर ४० प्रतिशत वस्तु भाड़ा बढ़ा दिया था। अभी उसकी जांच की जा रही है। लेकिन सरकार को निर्णय करने में कुछ समय लगेगा, और उस समय तक मैंगनीज के निर्यात व्यापार को चोट पहुंचती रहेगी। निर्यात व्यापार में ऐसा विलम्ब नहीं होना चाहिये।

एक आम शिकायत यह है कि निर्यात और आयात की अनुज्ञप्तियां पाने वाले लोग निर्यात-आयात नहीं करते, बल्कि अपनी अनुज्ञप्तियां दूसरों को बेच देते हैं। इसे रोकने के लिये सरकार को एक यह शर्त रखनी चाहिये कि यदि ऐसा कोई मामला पकड़ा जायेगा तो सरकार उन वस्तुओं के मूल्य का कुछ प्रतिशत अदा करके, उनका अधिग्रहण कर सकती है। सरकार को इस सम्बन्ध में कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये। राज्य व्यापार निगम के बारे में भी कई शिकायतें की जा रही हैं कि वह निर्यात आयात व्यापार का उतना संवर्धन नहीं कर सका है, जितनी कि उससे उम्मीद

थी । जो भी उन शिकायतों को हमें इस पृष्ठ भूमि में देखना चाहिये कि उस ने २,८३,००,००० रुपयों का मुनाफा करके दिखाया है ।

†स्वामी रामानन्द तीर्थ (औरंगाबाद) : मैं कुछ नीति सम्बन्धी बातें कहना चाहता हूं । परन्तु इससे पूर्व देश के औद्योगीकरण के ढंग और आयोजन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । इतने महान और विस्तृत देश में जहां की जनसंख्या इतनी अधिक है, कुछ न कुछ कमियां रह जाना स्वभाविक है । हमें उन कमियों को दूर कर अपने लक्ष्य की ओर बराबर आगे बढ़ता रहना चाहिये । हमें कृषि-उद्योग अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करना है । प्रत्येक योजना का लक्ष्य यही होता है कि अधिक उत्पादन हो, लोगों को अधिक काम मिले और सामाजिक न्याय हो । इन लक्ष्यों को साथ ले कर देश में लोकतंत्रीय व्यवस्था का निर्माण करना कोई सरल कार्य नहीं है । यदि हम कार्य की व्यापकता पर दृष्टि डालें तो हमें सचमुच अपने देश की सफलता पर गौरव होगा । हमने इस मंत्रालय के अन्तर्गत आर्थिक विकास की दिशा में काफी कार्य किया है । छोटे बड़े जो भी उद्योग इस देश में विकसित हुए हैं, उनके निर्माता प्रशंसा के पात्र हैं ।

इस मार्ग की कठिनाइयां सचमुच बहुत हैं । विदेशी विनिमय की कठिनाई तो चली ही आ रही है । हमारे निर्यात में वृद्धि हो रही है और आयात कम किया गया है ता कि विदेशी विनिमय की स्थिति ठीक हो । कुछ मित्र देश भी हमारी आर्थिक प्रगति में रुचि रखते हैं और हमें आर्थिक सहायता दे रहे हैं । वे जानते हैं कि हमारा देश सब से बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्रीय व्यवस्था की सफलता हमारे देश की प्रगति में निहित है । इस प्रगति में उद्योगों में लगे कर्मचारियों का भी भाग है, उन्होंने भी अपने कर्त्तव्य का भली भांति पालन किया है ।

हम आजकल सहकारी संयुक्त कृषि की बातें कर रहे हैं । इस सिद्धान्त को औद्योगिक क्षेत्रों में क्यों नहीं लागू किया जाता । इस क्षेत्र में १५,३३३ सहकारी संस्थायें काम कर रही हैं और इसमें से ७८८३ हाथ करघा क्षेत्र में हैं । प्रधान मन्त्री का कहना है कि सहकारिता में कोई दोष नहीं, परन्तु सहकारिता सम्बन्धी विधि को जिस ढंग से कार्यान्वित किया जाता है उसमें दोष आ जाते हैं । सहकारिता के पूर्ण विकास के मार्ग में यही एक बात सबसे बड़ी बाधा है । अधिकारी वर्ग की मनोवृत्ति हुकूमत करने की होती है, न कि सहायता करने की ।

छोटे और बड़े उद्योगों के समन्वय सम्बन्धी जो नीति मंत्रालय ने अपना रखी है वह ठीक ही है । यह भी आशा है कि रोजगार की अधिक व्यवस्था करके अच्छी क्षमता का निर्माण किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में हमें "कौलेबरेशन विटविन हेवी इंडस्ट्रीज़ एण्ड स्माल इंडस्ट्रियल यूनिट्स" नामक पुस्तिका दी गई है जिसमें छोटे और बड़े उद्योगों के पारस्परिक सहयोग के फायदे बताये गये हैं । मेरा सुझाव है कि इस नीति को अन्य क्षेत्रों में भी कार्यान्वित किया जाना चाहिए । प्रतिवेदन में कहा गया है कि सूती कपड़े के मामले में तो कुछ कमी आई है परन्तु हथकरघा क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है । मेरे विचार में एक ही चीज का उत्पादन करने वाले विभिन्न उद्योगों में मुकाबले की नीति ठीक नहीं है । हमें उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य की ओर सभी बातों का ध्यान रखते हुए चलना है । ऐसा न हुआ तो हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी । और इसकी असफलता लोकतन्त्र की भी असफलता होगी। लोकतन्त्र का बहुत सा आधार विकेन्द्रीकृत अर्थ-व्यवस्था पर है । यदि आपने इस बात का ध्यान न रखा, तो उत्पादन का कुछ भी लाभ नहीं होगा ।

हथकरघा उद्योग में अच्छा कार्य हो रहा है, अच्छी चीजें बन रही हैं और काफी लोगों को काम मिला हुआ है । काफी संख्या में सहकारी संस्थायें इस दिशा में कार्य कर रही हैं । विद्युत करघों के चालू करने पर हथकरघा उद्योग को काफी हानि होगी ।

खादी और ग्रामोद्योग विभाग में २१४,६७१ परिवारों को १,८४,५३९ अम्बर चर्खे वितरित किये गये। खादी का काम काफी भारी काम है और खादी ग्रामोद्योग आयोग इस कार्य को बहुत अच्छी प्रकार से कर रहा है। अम्बर चर्खे से एक परिवार ३ रुपये प्रतिदिन कमा सकता है; यह ग्रामों में काफी ही समझा जाना चाहिये। मेरा कहना है कि मशीन और चर्खे का संघर्ष नहीं होना चाहिये और दोनों के अलग अलग क्षेत्र निर्धारित कर देने चाहियें। इससे खादी, हथकरघा और मिलों, तीनों को विकास के पर्याप्त अवसर प्राप्त होते रहेंगे। अतः इस दिशा में हमारा दृष्टिकोण एकीकृत होना चाहिए।

रोजगार-क्षमता और सामाजिक न्याय की दृष्टि से सूती कपड़ा उद्योग को थोड़ा आयोजित ढंग से चलाया जाना चाहिये।

अम्बर चर्खे के बारे में कोई मालिक मजदूर का भी झगड़ा नहीं है। इस प्रकार का वातावरण कपड़ा मिल द्वारा पैदा नहीं किया जा सकता। अतः आप खादी के लिये जो कुछ दे रहे हैं, वह कोई खैरात नहीं, बल्कि हमारी अर्थ व्यवस्था के लिये एक आवश्यक चीज़ है।

मुझे पता चला है कि बरार में चार मिलें बन्द हो गयी हैं और दस हजार कर्मचारी बेरोज़गार हो गये हैं। सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए,ऐसा न हो कि स्थिति गम्भीर हो जाये। अन्त में मेरा निवेदनहै कि मराठवाड़ा क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिये यह जरूरी है कि वहां शीघ्र ही लघु उद्योगों का विकास किया जाये। वाणिज्य तथा उद्योग को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

†**श्री जाधव** (मालेगांव) : अपने कटौती प्रस्ताव संख्या १९८६ और १९९९ को प्रस्तुत करते हुए मेरी इच्छा है कि वाणिज्य और उद्योग के सम्बन्ध में देश की अवस्था का चित्र प्रस्तुत करूं इस मन्त्रालय का कार्य संचालन बड़े योग्य व्यक्तियों के हाथ में है। मंत्रालय ने जो कुछ जानकारी की व्यवस्था की है उसके लिये हम उसके आभारी हैं। परन्तु वार्षिक प्रतिवेदन में कई महत्वपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रतिवेदन में स्वीकार किया गया है कि मंत्रालय के समक्ष देश की विदेशी विनिमय सम्बन्धी स्थिति के ह्रास के कारण काफी कठिनाइयां थीं। यद्यपि हमारा उत्पादन मांग के बराबर नहीं हुआ, तथापि इसमें शक नहीं कि उत्पादन बढ़ा है। सरकारी क्षेत्रों का उत्पादन भी काफी सन्तोषजनक है। परन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो औद्योगिक बस्तियां बसाने का कार्यक्रम निर्धारित था, उसे अपेक्षित प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हुआ। केवल १७ औद्योगिक बस्तियां ही काम कर रही हैं। इनकी समुचित सहायता नहीं की जा रही। न तो उन्हें कुछ कर्जा इत्यादि ही मिल रहा है और न ही इन लघु उद्योगों को कोई अन्य सहायता प्राप्त हो रही है।

सरकार की औद्योगिक नीति के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। भारत ३९८० लाख लोगों का देश है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से यह बहुत गरीब देश है। राष्ट्रीय आय के मुकाबले में हमारा विदेशी व्यापार भी बहुत कम है। हमारी राष्ट्रीय आय का केवल ६ प्रतिशत है, आयात लगभग ८ से ९ प्रतिशत तक है। हमारी आबादी के ८५ प्रतिशत लोग देहातों में रहते हैं। आर्थिक तौर पर हम पिछड़े हुये हैं। अतः स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से यही प्रयत्न रहा है कि देश का सन्तुलित आर्थिक विकास किया जाय। परन्तु इस दिशा में हुआ कुछ भी नहीं। गैर सरकारी क्षेत्र का हमेशा यही प्रयत्न रहा कि सरकारी क्षेत्र अफसल रहे। चीनी के कारखाने गन्ने के उत्पादन का उपयोग करने में असमर्थ रहे हैं। उन्होंने गन्ने के मूल्य की अदायगी करते समय किसानों को काफी परेशान किया। सरकार ने गन्ना उत्पादकों को कोई संरक्षण नहीं दिया। सूती कपड़ा उद्योग ने भी कोई सहयोग नहीं दिया। विभिन्न यूनिटों का उत्पादन कम करके कई बहाने बना

†मूल अंग्रेजी में

कर उन्हें बन्द कर दिया गया । मैं तो यह कहूंगा कि सरकार को उन्हें स्वयं चलाना चाहिए । आशा थी कि द्वितीय योजना सन्तुलित योजना होगी तथा सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र परस्पर सहयोग से काम करेंगे । परन्तु ऐसा हो नहीं पाया । १९४८ के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में, जिसे कि १९५६ में संसद् द्वारा पुनरीक्षित किया गया था, राष्ट्रीय हित में औद्योगिक विकास की जो जिम्मेदारियां सरकार ने ली थीं उन्हें नहीं पूरा किया जा सका । उद्योगों की स्थापना में जिन अपेक्षित क्षेत्रीय विषमताओं का ध्यान रखा जाना था उसकी नितान्त उपेक्षा की गयी ।

हमारे देश में काफी जनक्षित है । कहा गया था कि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में काफी रोजगार की व्यवस्था की जायेगी परन्तु अवस्था यह है कि लोगों को बिना किसी कारण काम से निकाला जा रहा है; विभिन्न उद्योगों में रोजगार क्षमता के निर्माण की दिशा में कोई पग नहीं उठाया गया ।

हमारे विभिन्न मंत्रालयों में भी परस्पर समन्वय का अभाव है । मेरा कहना है कि औद्योगिक आय और धन की विषमताओं को दूर किया जाना चाहिये और गैर-सरकारी एकाधिकार बन्द किये जाने चाहियें जोन की सीमा निर्धारित करने का निश्चय करके सरकार ने अच्छा काम किया है सरकार को शहरी आय पर भी कोई नियन्त्रण रखना चाहिये । इसके लिये प्रमुख उद्योगों का समाजीकरण किया जा सकता है और इस दिशा में सहकारिता को प्रोत्साहन दिया जा सकता है । यह प्रसन्नता का विषय है कि इस दिशा में काम आरम्भ कर दिया गया है और मंत्री महोदय ने भी यह विचार व्यक्त किये हैं कि देश में बड़े उद्योगों के साथ-साथ लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है ।

द्वितीय योजना के अन्तर्गत यदि हमने अपनी सभी परियोजनायें पूरी कर लीं तो आशा है कि विद्युत् पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने लगेगी । परन्तु इसका प्रयोग विकेन्द्रीकरण द्वारा ही हो सकेगा; अतः मंत्री महोदय को इस दिशा की ओर समुचित ध्यान देना चाहिये । गैर-सरकारी क्षेत्र को देश की प्रगति में रुकावट डालने से रोका जाना चाहिये ।

सूती कपड़े के बारे में विभिन्न अंगों और विभिन्न क्षेत्रों के जो लक्ष्य निर्धारित किये थे, वे भी पूरे नहीं किये जा सके । मिलें बन्द की जा रही हैं, कहा जा रहा है कि इससे कोई आर्थिक लाभ नहीं हो रहा । सरकार को इन मिलों पर कब्जा कर इन्हें सरकारी तौर पर चलाना चाहिये । परन्तु कहा जा रहा है कि इसके लिए योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो रहे । मेरे विचार में जो लोग इन मिलों को चला रहे हैं सरकार को उन्हें ही इस काम में लगा देना चाहिये । आखिर ये भी तो योजना को कार्यान्वित करने में योग देने की बात कहते ही हैं । यदि इन मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाता, तो इनका कोटा हथकरघा अथवा विद्युत करघों पर कार्य करने वालों को दे देना चाहिये ।

उर्वरकों के सम्बन्ध में बताया गया है कि वर्ष १९५९-६० में लगभग २०,१८,००० टन की आवश्यकता होगी और ७,७८,००० टन देश में ही उपलब्ध हो जायेगा । १९५७-५८ में ४,५१,९४० टन का आयात हुआ था ८ से ९ लाख टन तक की कमी रहेगी । ऐसे प्रयत्न किये जाने चाहियें कि इसके और कारखाने खुलें और उत्पादन बढ़े ।

याचिकायें

लकड़ी के कोल्हू से तैयार किये गये तेल पर उत्पादन शुल्क

†**श्री रा० चं० माझी** (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं लकड़ी के कोल्हू से तैयार किये गये तेल पर उत्पादन शुल्क के बारे में तीन याचिकारों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वनस्पति असारीय निर्गन्ध तेलों पर उत्पादन शुल्क

†**श्री रा० चं० माझी** : मैं वनस्पति असारीय निगन्ध तेलों पर उत्पादन शुल्क के बारे में एक याचिका कार द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं ।

अनुदानों की मांगें—जारी

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय—जारी

†**श्रीमती मफ़ीदा अहमद** (जोरहाट) : मैं मंत्रालय के कार्यों के बारे में कुछ कहना चाहती हूं । वार्षिक प्रतिवेदन से पता लगता है कि विदेशी विनिमय इत्यादि की कई एक कठिनाइयों के बावजूद वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने काफी काम किया है । आज सारे भारत में औद्योकीकरण का विकास हो रहा है । नगरों को छोड़ ग्रामों में भी उद्योगों की उन्नति हो रही है और इस दिशा में हमें काफी सफलता मिली है । इस के लिए मैं मंत्रालय को मुबारकबाद देती हूं ।

सबसे पूर्व मैं परम्परा से चले आ रहे हथकरघे उद्योग की बात करूंगी ।इसका हमारी देहाती अर्थ-व्यवस्था में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है । इस उद्योग में सारे देश भर में ७५ लाख व्यक्ति कार्य कर रहे हैं । हथ-करघों द्वारा उत्पादित कपड़ा विदेशों में भी काफी मात्रा में जा रहा है । परन्तु यहां मैं एक बात कहना चाहती हूं और वह यह कि देशों में हम यह कपड़ा भेजते हैं वहां के फ़ैशन-विशेषज्ञों का ख़्याल है कि इन कपड़ों की क़िस्म, डिज़ाइन और रंग ऐसे नहीं कि वे ज्यादा लोक-प्रिय हो सकें । मेरी माननीय मंत्री से प्रार्थना है कि वे इस ओर समुचित ध्यान दें । हमें उनकी पसन्द के रंग इत्यादि तैयार करने चाहिए । आसाम की दस्तकारियों का दूर तक अच्छा नाम हो रहा है । विदेशों में स्थापित औद्योगिक केन्द्रों में भी यह माल काफी अच्छी प्रकार प्रदर्शित किया जाता है । बांस की बनी हुई चीजों के काफी लोक प्रिय होने की गुंजाइश है ।

लघु उद्योगों के बारे में सरकार ने १२७ योजनाओं की सूची दी है । उनमें से बहुत सी तो कार्यान्वित हो चुकी हैं और बाकी आरम्भ की जाने वाली हैं । इस सूची में विभिन्न प्रकार के औजार, सामान तथा उपभोक्ता सामग्री का उल्लेख है । इस सूची में चाय बागान में प्रयोग किये जाने वाले औजारों को नहीं रखा गया है । यदि इनको इस सूची में न रखा गया जो उन्हें विदेशों से आयात करना होगा । इससे विदेशी विनियम पर भार पड़ेगा । आसाम के सहकारी उद्योग यह काम कर रहे हैं परन्तु न तो उनका उत्पादन ही अधिक है और न ही वहां से विभिन्न प्रकार के औज़ार उपलब्ध हो सकते हैं । इसके अतिरिक्त विद्युत और धन के अभाव में भी उनका विकास नहीं हो और माल बेचने की सुविधायें भी उन्हें उपलब्ध नहीं । इसी प्रकार आसाम के अन्य लघु उद्योग भी हैं जिन्हें समुचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ।

साइकिल उद्योग ने भी देश में काफी प्रगति की है । भारत सरकार को साइकिलों के पुर्जे बनाने के कार्य को प्रोत्साहन देना चाहिए । इससे लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा और मध्यवर्ग की जनता को आने-जाने वालों का सस्ता साधन भी उपलब्ध हो जायेगा ।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहती हूं कि सरकार को आवश्यक औषधियों के आयात लाइ-सैंस नहीं रोकने चाहिए । जो औषधियां भारत में स्थानीय तौर पर बन रही हैं उनमें बहुत से दोष देखने को मिले हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत में जिन उद्योगों में उन्नति हुई है, उनका व्यापक प्रचार करने के लिए समय-समय पर स्मारक डाक टिकट निकाले जाने चाहिए, इससे हमारा निर्यात बढ़ेगा। साथ ही मैं इस बात पर भी जोर दूंगी कि आसाम के प्राकृतिक संसाधनों का कुछ लाभ नहीं उठाया जा रहा। औद्योगिक विकास में वह राज्य काफी उपेक्षित रहा है। सरकार को इस राज्य के संसाधनों से लाभ उठाने का तुरन्त कार्यक्रम बनाना चाहिए।

†**श्री कुट्टिकृष्णन् नायर** (कोज़ीकोड) : मैं इस मंत्रालय से सम्बंधित मांगों का समर्थन करता हूं। इस मंत्रालय की सफलता का श्रेय हमारी नीति को ही है।

हमारी नीति निजी और सरकारी क्षेत्रों को उचित महत्व देती है। देश के औद्योगीककरण का कोई और रास्ता ही नहीं है।

अब हम तृतीय योजना बनाने की बात पर विचार कर रहे हैं। मैं अपने राज्य केरल के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। केरल राज्य की आरम्भ से ही बड़ी उपेक्षा की गई है।

केरल देश के सब से घने बसे प्रदेशों में से है। वहां जनसंख्या का घनत्व ९०७ है, जब कि समूचे भारत का घनत्व ३१२ है। वहां बेरोजगारी और शिक्षित लोगों की बेरोजगारी भी बहुत व्यापक है। पूरे भारत में खेतिहर मजदूरों का अनुपात १३ प्रतिशत है, जब कि केरल में वह २१ प्रतिशत है। केरल के कुल १३४९ कारखाने ऐसे हैं जो कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं, और उनमें कुल मिलाकर १,२१,७४७ मज़दूर काम करते हैं। उनमें से ३४·२ प्रतिशत काजू के कारखानों में, सिर्फ १४·९ प्रतिशत सूती कपड़ा उद्योग में, ११·८ प्रतिशत नारियल जटा उद्योग में, और ८·८ प्रतिशत ईंटों इत्यादि के उद्योग में काम करते हैं। इस प्रकार, केरल औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ है।

केरल के उत्तरी भाग की हमेशा से उपेक्षा होती रही है, इसलिये तृतीय योजना में उसकी ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये।

द्वितीय योजना के काल में, केरल में साइकिल निर्माण के चार कारखाने स्थापित करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन केरल सरकार ने उन सभी को मिलाकर एक कर दिया और उसे त्रिवेन्त्रम में रखा है, जो पहले भी औद्योगिक दृष्टि से उन्नत था। इस प्रकार राज्य सरकार भी उत्तरी भाग की उपेक्षा कर रही है।

मेरा सुझाव है निलम्बूर में कागज़ तैयार करने का एक कारख़ाना खड़ा किया जाये। वहां बड़े-बड़े जंगल हैं और जल तथा विद्युत की भी प्रचुरता है।

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : निलम्बूर के वनीय संसाधनों के उपयोग से कागज तैयार करने का एक बड़ा कारखाना और कागज़ की लुगदी का एक कारखाना खड़ा करने की योजना बनाई गई है।

†**श्री कुट्टिकृष्णन् नायर** : वह तो एक निजी फर्म की योजना है, लेकिन मजदूरों की मांगों को लेकर उसका कुछ झगड़ा चल रहा है और शायद उसे कार्यान्वित नहीं किया जायेगा। वहां सरकार को एक कारखाना खड़ा करना चाहिये।

देश की ९९ प्रतिशत रबर केरल से ही मिलती है। यदि उचित सुविधायें दी जायें, तो रबर उद्योग की काफ़ी वृद्धि की जा सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कुट्टिकृष्णन् नायर]

नीब् घास तेल केरल के अलावा और कहीं नहीं मिलता। यदि उस उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाये, तो देश को उसके निर्यात से काफी विदेशी मुद्रा मिल सकती है।

विशेषज्ञ समिति ने कोचीन में दूसरा पत्तन बनाने की बात स्वीकार कर ली है। अफवाह यह है कि भारत सरकार उसे कहीं और रखने की बात सोच रही है। मुझे विश्वास है कि सरकार उस पर उचित विचार करेगी।

केरल को काली मिर्च के निर्यात से काफी विदेशी मुद्रा मिलती थी। लेकिन अब उसके मूल्य गिर रहे हैं। काली मिर्च का निर्यात बढ़ाने की अभी भी काफी गुंजाइश है। अब हम सोवियत संघ और इटली को भी उसका निर्यात कर सकते हैं। हमें इन नये बाज़ारों का लाभ उठाना चाहिये।

इलायची और अदरख के निर्यात संवर्धन के लिये एक मसाला बोर्ड नियुक्त किया जाना चाहिये। नारियल जटा बोर्ड की स्थापना से उसके निर्यात में काफी संवर्धन हुआ है। इसी तरह मसाला बोर्ड की स्थापना से भी हमें अधिक विदेशी मुद्रा मिल सकती है।

दूसरी बात यह है कि केरल कृषीय संबंध विधेयक के अन्तर्गत, काली मिर्च और काजू के बगीचों को भी साधारण बगीचों की श्रेणी में रखा गया है और उनकी सीमा निर्धारित कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि सीमा से अधिक क्षेत्र को भू-स्वामी से ले लिया जायेगा। माननीय मंत्री को काली मिर्च और काजू के बगीचों को छोटे-छोटे टुकड़ों में नहीं बटने देना चाहिये, क्योंकि उससे उनकी पैदावार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और उससे मिलने वाली विदेशी मुद्रा की मात्रा भी घट जायेगी।

माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि विदेशी मुद्रा कमाने वाले राज्य के रूप में केरल राज्य का महत्व समझा जाये। उसके लिये तृतीय योजना में उचित व्यवस्था की जानी चाहिये।

†**डा० कृष्ण स्वामी** (चिंगलपेट) : हम सभी को देश की यथार्थ परिस्थिति को देखना चाहिये और उसे स्वीकार करना चाहिये। आज निर्यात के क्षेत्र में परिस्थिति बड़ी गम्भीर है।

इसे सुधारने के लिये यथेष्ट उपाय भी नहीं किये गये हैं। अगस्त १९५८ के बाद से दो सौ वस्तुओं पर से निर्यात-प्रतिबन्ध हटाया गया है और कई वस्तुओं पर उत्पादन-शुल्क भी लगाया गया है। लेकिन फिर भी हमारे निर्यात व्यापार में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। उत्पादन-शुल्क घटाने से ही निर्यात-व्यापार की स्थिति में सुधार नहीं होगा। असल में चीज़ यह है कि हमारे उद्योगों की मशीनें बहुत ही पुराने ढंग की पड़ गई हैं, और प्रतियोगिता करने योग्य नहीं रह गई हैं। इसलिये जब तक हम आधुनिकतम मशीनें लगा कर उत्पादन, खरीद और रोजगार के तरीकों का वैज्ञानिकन नहीं करते, तब हम दूसरे देशों के साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकते। आज से सात साल पहले सूती वस्त्र उद्योग सम्बन्धी समिति में ऐसे सुधार करने के सुझाव रखे थे। लेकिन अभी तक उस समिति की बहुत सी सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया जा सका है। असल में हमारे अन्दर इच्छा शक्ति की कमी है। हम उचित नीतियों को लागू ही नहीं करते। हम अपने आपको देश की नई आवश्यकताओं के अनुसार नहीं ढाल पाये हैं।

निर्यात-संवर्धन की समस्या एक दीर्घकालीन समस्या है। हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये कि हम ने विदेशों से जो ऋण लिये हैं उनकी अदायगी १९६०-६१ से शुरू हो जायेगी, और तब हमें आवश्यकता पड़ेगी कि हमारे निर्यातों म २४ प्रतिशत वृद्धि हो। अभी इस समय

†मूल अंग्रेज़ी में

हम लगभग ५५० करोड़ रुपयों के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात करते हैं। साथ ही, अधिक बड़ी विकास योजना के लिये, हमें अधिक आयात भी करना पड़ेगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने इस सम्बन्ध में कुछ उपाय तो किये हैं, लेकिन उन्हें अपने सामने पूरी तस्वीर रखनी चाहिये। हो सकता है कि यदि परिस्थिति अनुकूल रही, तो हमें अब कुछ चीज़ों के आयात की आवश्यकता न रह जायेगी, और तब हम १३०-१४० करोड़ रुपयों की बचत कर सकेंगे। अधिक बड़ी योजना के लिये अधिक आयात की आवश्यकताओं की पूर्ति या तो अधिक विदेशी सहायता से की जा सकती है या निर्यात संवर्धन से। हमारे कुछ अर्थ-शास्त्री, यहां तक कि योजना आयोग के प्रोफसर महालानोबिस तक, यह ग़लत धारणा बनाये हुए हैं कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि होने पर हमारे निर्यात में भी अपने-आप वृद्धि हो जायेगी। पहले का अनुभव इससे मेल नहीं खाता।

वनस्पति या साबुन का उत्पादन बढ़ने से, वनस्पति तेल का निर्यात घटेगा ही। इसलिये जरूरत इस बात की है कि हमारी नीति निर्यात करने वाले उद्योगों पर ही जोर दे और उन उद्योगों को कच्चा माल तथा पुर्जे आयात करने की अनुमति यह देखकर दे कि वे कितना निर्यात कर सकते हैं। युद्ध के हाल ही बाद, इंगलैण्ड में भी यही किया गया था। लेकिन इसके अलावा और भी बड़ी-बड़ी कठिनाइयां हैं।

यदि यूरोप के बाजारों का एकीकरण हो जायेगा, सब का एक सामान्य बाजार बन जायेगा, तो पश्चिमी यूरोप के साथ हमारे व्यापार को अधिक प्रशुल्कों की बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिये हमारे देश को उन देशों से अनुरोध करना चाहिये कि वे अपने यहां का प्रशुल्क कम कर दें।

यदि हम इन देशों के साथ अधिक व्यापार करें और अधिक निर्यात करें, तो हमें विदेशी सहायता की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जायेगी। उन्नत देशों में आयात-शुल्क जितने बढ़ा दिये जाते हैं, कच्चा माल पैदा करने वाले देशों के लिये सहायता की आवश्यकता उतनी ही बढ़ जाती है। इस सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण और भी स्पष्ट करने के लिये, सभा को इस पर काफी विस्तार से चर्चा करने का अवसर दिया जाना चाहिये। यदि पश्चिमी यूरोप के देश भारत से आयात किये जाने वाले माल पर आयात-शुल्क घटा दें तो हमारे लिये बड़ा अच्छा रहेगा।

दक्षिण-पूर्व एशिया के बाजारों में चीन अपना माल पाटता जा रहा है। इसलिये यह और भी जरूरी है कि हम निर्यात की अत्यावश्यकता को पूरी तौर पर समझ लें। हमें नये बाजार ढूंढने हैं और इसलिये यह काम और भी दुःसाध्य है।

लेकिन हमारे यहां तो निर्यात संवर्धन की नीति का एक पहलू भर समझा जाता है। यदि हम निर्यात को सर्वाधिक महत्व नहीं देंगे तो अगले तीन-चार सालों में हमारी प्रगति बिलकुल ठप्प हो जायेगी। या फिर हम पूरी तौर से विदेशों के आश्रित बन जायेंग।

मैं निर्यात संवर्धन के लिय कुछ सुझाव देना चाहता हूं। यदि निर्यात ही हमारा सब से बड़ा उद्देश्य है, तो हमें यह चिन्ता नहीं करनी चाहिये कि देश के अन्दर की वस्तुओं के मूल्यों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उसकी चिन्ता तो हमें तभी करनी चाहिए जब कि आन्तरिक मूल्य इतने अधिक बढ़ जायें कि निर्यात में कोई अधिक लाभ ही न दिखाई दे।

दूसरा सुझाव यह है कि हमें कुछ घाटा सहकर भी निर्यात करना चाहिए। उस घाटे की पूर्ति आन्तरिक मूल्यों को बढ़ाकर की जानी चाहिये। निर्यात के लिये आन्तरिक मूल्यों पर कुछ उपकर लगाने चाहियें। तभी हम प्रतियोगिता में ठहर सकेंगे।

[डा० कृष्ण स्वामी]

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि कृषि के क्षेत्र में हमें यथार्थवादी नीति अपनानी चाहिये । द्वितीय योजना में हम ने लगभग ७० लाख टन तिलहन के उत्पादन का लक्ष्य रखा है । यह आन्तरिक मांग को देखकर ही निर्धारित किया गया था । अच्छा तो यह होता कि यह लक्ष्य निर्यात की आवश्यकताओं को देखकर ही निर्धारित किया जाता ।

निर्यात संवर्धन के लिये कुछ और भी उपाय किय जा सकते हैं । लेकिन कभी-कभी हम इतनी देर से कोई कदम उठाते हैं कि उसकी सार्थकता ही नहीं रहती । ज्यादा जरूरी तो यह है कि हम बड़े-बड़े नारे न लगाकर, वर्तमान परिस्थिति में ही निर्यात संवर्धन के लिये लोगों को प्रोत्साहित करें । उसके लिये हमें वर्तमान सामाजिक ढांचे का पूरा-पूरा उपयोग करना चाहिये ।

श्री मुरारका ने राज्य व्यापार निगम के बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं निगम के दूसरे प्रतिवेदन की राह देख रहा हूं । तभी हम उसकी नीति पर अधिक विस्तार से चर्चा कर सकेंगे । अभी मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अब निगम की नीति के पुनरीक्षण का समय आ गया है । कभी-कभी हमारे लिये संस्थायें देश के हित से भी अधिक महत्वपूर्ण बन जाती हैं ।

प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में, माननीय मंत्री अक्सर कार्य-क्षमता की दलील पेश करते हैं । यदि माननीय मंत्री जानना चाहें कि विभिन्न स्थानों में विभिन्न उद्योगों को फैलाने का औचित्य क्या है, तो उन्हें यूरोप के आर्थिक आयोग का १९५४ का प्रतिवेदन देखना चाहिये । उसमें प्रादेशिक विकास की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया गया है ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२०१८	श्री प्रभात कार	आयात लाइसेंस देने की दोषपूर्ण नीति	राशि घटा कर १ रु० कर दी जाये
१	२०१९	श्री प्रभात कार	पिछड़े राज्यों का औद्योगीकरण करने में असफलता	राशि घटा कर १ रु० कर दी जाये
१	२०२०	श्री प्रभात कार	राज्य व्यापार निगम के कार्यों का विस्तार करने में असफलता	राशि घटा कर १ रु० कर दी जाये
१	२०२१	श्री प्रभात कार	चाय के निर्यात के लिए बाज़ार ढूंढने में असफलता	राशि घटा कर १ रु० कर दी जाये

†मूल अंग्रेजी में

१	२	३	४	५
१	१९८६	श्री जाधव	देश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास स्तरों में असमानता दूर करने में असफलता	१०० रुपये
१	१९८७	श्री जाधव	आर्थिक क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों के एकाधिकार को रोकने में असफलता	१०० रुपये
१	१९८८	श्री जाधव	सूती कपड़ा क्षेत्र के लिए प्रबन्धक कर्मचारियों का प्रशिक्षण करने में असफलता	१०० रुपये
१	२०००	श्री आसर	दशमिक प्रणाली के बाटों का प्रादेशिक भाषा में प्रचार करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१	२००१	श्री आसर	दशमिक बाटों के लिए अंग्रेज़ी शब्दों के स्थान पर हिन्दी के आसान नाम रखने की आवश्यकता	१०० रुपये
१	२००२	श्री आसर	राज्य व्यापार निगम का प्रशासन	१०० रुपये
१	२००३	श्री आसर	निर्यातकों को पर्याप्त तथा शीघ्र सुविधायें देने की आवश्यकता	१०० रुपये
१	२०२८	श्री प्रभातकार	रेडियो वाल्व बनाने के लिये भारत इलैक्ट्रौनिक्स लिमिटेड को लाइसेंस देने में विलम्ब	१०० रुपये
१	२०२९	श्री प्रभात कार	अधिकृत लेखापालों की संख्या का कार्यवहन	१०० रुपये
१	२०३०	श्री प्रभात कार	लागत तथा निर्माण लेखापालों की संस्था का कार्यवहन	१०० रुपये
१	२०३४	श्री प्रभात कार	राज्य व्यापार निगम का कार्यवहन	१०० रुपये
१	२०३५	श्री प्रभात कार	चाय के निर्यात के लिये पुराने बाजारों के अतिरिक्त अन्य बाजारों की खोज करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१	२०३६	श्री प्रभात कार	छोटे पैमाने के उद्योग बोर्ड का कार्यवहन	१०० रुपये

१	२	३	४	५
१	२०३७	श्री प्रभात कार	समवाय अधिनियम के प्रशासन में खराबियां	१०० रुपये
१	२०३८	श्री प्रभात कार	अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का प्रबन्ध	१०० रुपये
१	२०३९	श्री प्रभात कार	अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड का कार्यवहन	१०० रुपये
१	२०४०	श्री प्रभात कार	घड़ियों के आयात पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाने का असर	१०० रुपये
१	२०४१	श्री प्रभात कार	भूमि सीमा शुल्क नीति	१०० रुपये
२	१९६४	श्री बि० दास गुप्त	भारत के छोटे पैमाने के तथा कुटीर उद्योगों के सम्बन्ध में पूरे आंकड़े इकट्ठा करने में असफलता	१०० रुपये
२	१९६५	श्री बि० दास गुप्त	ग्राम्योद्योगों के लिये आवंटन में कमी	१०० रुपये
२	१९६६	श्री बि० दास गुप्त	गांव के कारीगरों की उत्पादन क्षमता	१०० रुपये
२	१९६७	श्री बि० दास गुप्त	कुटीर उद्योगों के विकास में प्राथमिकता देने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१९६८	श्री बि० दास गुप्त	औद्योगिक कच्चे माल तथा निर्मित वस्तुओं के मूल्य में समायोजन करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१९६९	श्री बि० दास गुप्त	सिंदरी उर्वरक तथा रसायन कारखाने का उत्पादन तथा प्रबन्ध	१०० रुपये
२	१९७०	श्री बि० दास गुप्त	भारत के सभी महत्वपूर्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१९७१	श्री बि० दास गुप्त	सरकारी क्षेत्र के वर्तमान उद्योगों का मजदूरों के सहयोग से पुनर्गठन करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१९७२	श्री बि० दास गुप्त	प्रत्येक जिले में छोटे तथा कुटीर उद्योग सर्विस इंस्टीट्यूटों की स्थापना की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
२	१९७३	श्री बि० दास गुप्त	. कुटीर उद्योगों के उत्पादों के लिये बाजार बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१९७४	श्री बि० दास गुप्त	. गांव के कारीगरों के लिये आसान ऋण की व्यवस्था करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१९७५	श्री बि० दास गुप्त	. चमड़ा तथा कांटा छुरी उद्योगों को पर्याप्त प्रोत्साहन देने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१९७६	श्री बि० दास गुप्त	भारत की निर्यात स्थिति	१०० रुपये
२	१९८९	श्री जाधव	. अम्बर चरखे के कार्यक्रम को लागू करने में असफलता	१०० रुपये
२	१९९०	श्री जाधव	. बम्बई के नासिक जिले में मालेगांव में औद्योगिक बस्ती बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१९९१	श्री जाधव	. जुलाहों को जारतार बनाने तथा उन पर सोना चढ़ाने के तरीकों को सिखाने की सुविधायें देने में असफलता	१०० रुपये
२	१९९२	श्री जाधव	. विभिन्न मिलों द्वारा कपड़े के उत्पादन पर रोक लगाने के लिये उचित व्यवस्था बनाने में असफलता	१०० रुपये
२	१९९३	श्री जाधव	. दूसरी योजनावधि में बिजली के पर्याप्त करघों की व्यवस्था करने में असफलता	१०० रुपये
२	१९९४	श्री जाधव	. कपड़ा उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	१९९५	श्री जाधव	. सूती कपड़ा उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में कपड़े के उत्पादन के कोटे का पुनः समायोजन करने में असफलता	१०० रुपये
२	१९९६	श्री जाधव	उर्वरक कारखानों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	२००४	श्री आसर	कुटीर उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने में असफलता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
२	२००५	श्री आसर	. पिंपरी पैनिसलीन कारखाने का प्रबन्ध	१०० रुपये
२	२००६	श्री आसर	. प्रत्येक जिले में छोटे पैमाने तथा कुटीर उद्योगों के सर्विस इंस्टीट्यूट बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	२००७	श्री आसर	. कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पादों के लिये बाजार बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	२००८	श्री आसर	. छोटे पैमाने के उद्योगों की सहकारी समितियों को ऋण तथा मशीन देने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	२००९	श्री आसर	. बम्बई राज्य के रत्नागिरि जिले में औद्योगिक बस्ती बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	२०१०	श्री आसर	. बम्बई राज्य के रत्नागिरि जिले में कागज मिल बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	२०११	श्री आसर	रत्नागिरि जिले में जुलाहों को पुराने हथकरघों के स्थान पर नये हथकरघे लगाने के लिये ऋण देने में असफलता	१०० रुपये
२	२०१२	श्री आसर	. रत्नागिरि ज़िले में जुलाहों क़ी सहकारी समितियों क़ो बिजली के करघे देने में असफलता	१०० रुपये
२	२०१३	श्री आसर	. उद्योगों का विकेन्द्रीकरण करने क़ी आवश्यकता	१०० रुपये
२	२०१४	श्री आसर	. बम्बई राज्य के रत्नागिरि ज़िले में छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करने क़ी आवश्यकता	१०० रुपये
२	२०२२	श्री नागी रेड्डी	. मोटर गाड़ी उद्योग क़ी प्रगति का निर्धारण करने के लिए नियुक्त समिति में एक गैर-	१०० रुपये

१	२	३	४	५
			सरकारी सदस्य शामिल करने में असफलता	
२	२०२३	श्री नागी रेड्डी	. मोटरगाड़ी उद्योग की समिति के निर्देश पदों में मोटर गाड़ियों के मूल्य बढ़ाने तथा समवायों के कार्यवहन के प्रश्न शामिल करने में असफलता	१०० रुपये
२	२०२४	श्री नागी रेड्डी	. राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशो के अनुसार औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों के विकास के लिए योजना बनाने में असफलता	१०० रुपये
२	२०२५	श्री नागी रेड्डी	. सहकारी क्षेत्र से बाहर के हथकरघा जुलाहों की सहायता करने में असफलता	१०० रुपये
२	२०२६	श्री नागी रेड्डी	. हथकरघा जुलाहों के लिए कृत्रिम रेशम के सूत तथा रंग के मूल्य कम करने में असफलता	१०० रुपये
२	२०२७	श्री नागी रेड्डी	. एकाधिकार प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों को भारत में सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं के उत्पादन के लिये लाइसेंस देने की अवांछनीयता	१०० रुपये
२	२०३१	श्री प्रभात कार	. पश्चिमी बंगाल में छोटे पैमाने के उद्योगों को अधिक सहायता देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
३	२०३२	श्री प्रभात कार	. हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाना बंगलौर में फाउन्ड्री बनाने में असफलता	१०० रुपये
२	२०३३	श्री प्रभात कार	. हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स (प्राइवेट) लिमिटेड का कार्यवाहन	१०० रुपये
२	२०४२	श्री प्रभात कार	. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा आशा के अनुसार काम न किया जाना	१०० रुपये

१	२	३	४	५
२	२०४३	श्री प्रभात कार	. नेशनल इस्ट्रूमेन्ट (प्राइवेट) लि० कलकत्ता का कार्यवहन	१०० रुपये
२	२०४४	श्री प्रभात कार	हिन्दुस्तान केबल्स (प्राइवेट) लि० पश्चिमी बंगाल का कार्यवहन	१०० रुपये
२	२०४५	श्री प्रभात कार	. अल्प-विकसित राज्यों में औद्योगिक एकक बनाने में असफलता	१०० रुपये
५	१९७७	श्री बि० दास गुप्त	. भारत—१९५८ प्रदर्शिनी पर व्यय	१०० रुपये
५	१९९७	श्री जाधव .	मूंगफली की खली का निर्यात करते समय स्थानीय आवश्यकताओं का ध्यान रखने में असफलता	१०० रुपये
५	१९९८	श्री जाधव	प्याज़ का निर्यात करने के लिए किसानों की सहकारी समितियों को अधिक महत्व देने की आवश्यकता	१०० रुपये
५	२०१५	श्री आसर .	. मूंगफली की खली के निर्यात में वृद्धि करने की आवश्यकता	१०० रुपये
५	२०१६	श्री आसर .	. मसालों तथा अन्य खाद्य पदार्थों का निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
५	२०१७	श्री आसर .	. भारत–१९५८ प्रदर्शनी में निर्माण कार्य पर भारी व्यय	१०० रुपये

†**श्री रामेश्वर टांटिया** (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं केवल चाय और जूट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि इन्हीं दो वस्तुओं से हमें अधिक विदेशी मुद्रा की आय होती है। निर्यात के द्वारा जो ५६० करोड़ रुपये जो हमें मिलते हैं उस में से १३७ करोड़ रुपये चाय से तथा १०८ करोड़ रुपये जूट से मिलते हैं।

लगभग दो वर्ष पहले कछार, तराई तथा दुआर क्षेत्रों में उगाई जाने वाली साधारण चाय नष्ट होने लगी थी परन्तु समय पर उपयुक्त कार्यवाही की जाने के कारण इसको कुछ सीमा तक बचाया जा सका, इसकी मुझे प्रसन्नता है। आज साधारण चाय के निर्यात में हमें पूर्वी अफ्रीका,

†मूल अंग्रेजी में

इन्डोनेशिया तथा चीन की प्रतिद्वन्द्विता का भी ध्यान रखना है । इन देशों की साधारण चाय विदेशी बाज़ार में हमारी साधारण चाय की तुलना में सस्ती है और इस कारण यदि हमारे हाथ से चाय का विदेशी बाजार चला गया तो बड़ी हानि होने की संभावना हो जायेगी । हाल में ही कछार में ११ बागानों में काम बन्द रहा । इसलिये हमें इस पर विचार करना चाहिये तथा राज्य और केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि इस प्रकार का कोई विधान बनाये जिससे बागानों में कुप्रबन्ध होने पर कोई कार्यवाही की जा सके तथा साधारण चाय सस्ती तथा अधिक मात्रा में उगाई जा सके ।

दूसरी वस्तु जिससे अधिक विदेशी मुद्रा मिलती है वह जूट है । विभाजन से पूर्व हम जूट की ३० लाख गांठें तैयार कर रहे थे और द्वितीय योजना का हमारा लक्ष्य ६० लाख गांठें बनाने का था । हमें प्रसन्नता है कि हम ने पहले ही वर्ष में ७० लाख गांठें बना लीं । परन्तु इसका बड़ा खेद है कि सरकार ने इसके निर्यात का समुचित प्रबन्ध नहीं किया । जिससे देश में आधिक्य के कारण मूल्य बहुत गिर गये । सभा में घोषणा की गई थी कि जूट के निर्यात की अनुमति दी जायगी ! परन्तु अनुमति मिलने पर भी तीन महीनों तक हम अपने वायदे पर जूट नहीं भेज सके । इस सम्बन्ध में मुझे विदेशों से दो पत्र मिले हैं जिन में बताया गया है कि जूट में हमारी प्रतिस्पर्धा पाकिस्तान से है और जब कि पाकिस्तान जूट के भेजने में शीघ्रता करता है, हमारे यहां निर्यात शुल्क तथा अन्य निर्यात प्रक्रियाओं के कारण विलम्ब हो जाता है इसलिए भारतीय प्राधिकारियों को इस बात को समझना चाहिए । मेरा एक यह भी सुझाव है कि जूट पर निर्यात शुल्क उस समय लगाया गया था जब भारत पाकिस्तान दोनों एक थे । अब परिस्थितियां बदल गई हैं इसलिए उनके अनुकूल ही हमें भी परिवर्तन करने चाहिएं और १५ रुपये का निर्यात शुल्क जूट पर से हटा देना चाहिए ।

बिहार के लगभग २०० विधायकों तथा संसद् सदस्यों ने माननीय प्रधान मंत्री को जूट संकट के बारे में एक अभ्यावेदन भेजा था परन्तु अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं किया गया । माननीय मंत्री ने कहा था कि राज्य व्यापार निगम जूट खरीदेगा । जनता ने उनके इस वक्तव्य का स्वागत किया । परन्तु जब कि जूट का ३,५०,००,००० मन उत्पादन हुआ था, केवल ५०,००० मन जूट राज्य व्यापार निगम ने २० रुपये ८ आने मन के भाव से खरीदा और विदेशों में निर्यात करने वाले ठेकेदारों से कहा कि उन को सरकार २३ रुपये ८ आने मन में देगी । परन्तु जैसा कि मैंने अभी बताया निर्यात नहीं किया जा सका और बेचारे किसान की कठिनाई में कोई अन्तर नहीं पड़ा । मेरा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री से अनुरोध है कि वह जूट के मामले पर ध्यान दें जिससे जूट के उत्पादकों तथा व्यापारियों के साथ न्याय किया जा सके ।

मेरा यही कहना है कि चाय तथा जूट के बारे में कुछ किया जाना चाहिए क्योंकि इन दोनों वस्तुओं से ही हमें विदेशी मुद्रा की आय होती है । जूट के बारे में जून से पहले ही कुछ किया जाना चाहिए क्योंकि जून में अगली फसल तैयार हो जायेगी और यदि आवश्यक कार्यवाही नहीं हुई तो इसके मूल्य और गिर जायेंगे ।

†**श्री पी० रा० रामकृष्णन्** (पोल्लाची) : प्रारम्भ में मैं मद्रास सरकार की ओर से माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मद्रास के मुख्य मंत्री के सुझाव को मान कर हथकरघा उद्योग को दो आने की छूट दे दी, जिससे मद्रास में हथकरघा उद्योग पर जो संकट आया वह दूर हो गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पी० रा० रामकृष्णन्]

अब मैं देश के औद्योगिक ढांचे के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हमारा औद्योगिक राष्ट्रीय करण कुछ सिद्धान्तों पर आधारित होना चाहिए । मेरे विचार से वह सिद्धान्त यह है कि हमारे उद्योगों में जनता की आवश्यकता पूरा करने के लिये सभी संसाधनों का पूरा उपयोग किया जाये, अर्थ-व्यवस्था का इस प्रकार विकास हो जिससे विकास में किसी प्रकार की कठिनाई न पड़े, और व्यापार तथा रोजगार में समानता हो । प्राथमिकता भी विभिन्न औद्योगिक वर्गों में समान रूप से दी जाये । संघ के विभिन्न राज्यों की अर्थ-व्यवस्था के विकास में तथा राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकास में समानता हो ।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि औद्योगीकरण का मूल आधार यह है कि उद्योग को प्रतिद्वन्द्वी होना चाहिए तथा प्रतिद्वन्द्विता उस में बनी रहनी चाहिए । यह बताया जा चुका है तथा माननीय मंत्री जानते हैं कि कपड़ा उद्योग में प्रतिद्वन्द्विता प्रायः समाप्त हो गई है । हमें प्रयत्न करने चाहिएं जिससे इस उद्योग का आधुनिकीकरण शीघ्रता से हो । और उसके लिये आवश्यक है कि जन शक्ति के स्थान पर मशीनों का उपयोग हो । मेरा तो अपना मत है कि यदि ऐसा हो गया तो कपड़े का उत्पादन भी बढ़ जायेगा और अधिक व्यक्तियों को रोजगार भी मिल जायेगा ।

आज चीनी उद्योग में बड़ी कठिनाई है । यह कठिनाई मेरे विचार से इस कारण से है क्योंकि चीनी मिलें उचित स्थानों पर नहीं लगाई गई हैं । हमें चीनी मिलें स्थापित करते समय इसको ध्यान में रखना चाहिए ।

मेरे विचार से गंगा के मैदानों में बहुत चावल उगाया जा सकता है । सीमेन्ट का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है क्योंकि अब 'हीट एक्सचेंजर' तथा 'फ्लुर कूलर' लागू करने से ईंधन की बचत हो जाती है । इसलिये मेरा सुझाव है कि सीमेंट उत्पादन में वर्तमान मशीनों के स्थान पर आधुनिक यंत्र लगाये जान चाहिएं ।

दो वर्ष पूर्व मैंने दो सुझाव दिये थे तथा मुझे प्रसन्नता है कि मंत्रालय ने उनको लागू कर दिया है । एक तो मैं ने यह सुझाव दिया था कि खली का निर्यात किया जाये । मुझे पता लगा है कि २००,००० टन खली का निर्यात करने के बारे में बातचीत हो रही है । मैं चाहता हूं कि खली के निर्यात से जो आय हो उसका उपयोग उर्वरक का आयात करने के लिये किया जाना चाहिए ।

चीनी उद्योग से हम कितने ही उपोत्पाद बना सकते हैं । जैसे गन्ने की खोई* से कागज, हार्डबोर्ड आदि तथा फेरफेरोल, जिससे नाइलोन बनता है, बनाये जा सकते हैं । शीरे से 'पावर अलकोहल' बनाया जा सकता है जिसको पैट्रोल के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता है ।

मैंने उस समय दूसरा सुझाव दिया था कि बिनौले का तेल निकाल कर विदेशों में भेज सकते हैं और लगभग २० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं । इसके अतिरिक्त इस के तेल में चर्बी बहुत होती है इसलिए इसको खाकर देशवासी अन्य खाद्यान्नों की चर्बी की कमी को पूरा कर सकते हैं ।

अब आप मशीन बनाने के उद्योग को लीजिये । मेरा विचार है कि यदि दूसरी योजनावधि में हम मशीन बनाने के उद्योग का विकास कर पाते तो संभवतया तीसरी योजना के लिए आवश्यक मशीनों का हमें कम आयात करना पड़ता । मेरा विचार है कि विकास ऋण निधि तथा टी० सी० एम० निधि तथा अन्य निधियां भी मशीन बनाने के उद्योग में लगाई जानी चाहिएं ।

*Bagasse.

माननीय मंत्री ने चीनी उद्योग में मशीन बनाने वालों की दो संस्थायें बनाई हैं जो दूसरी योजनावधि में ५० लाख रुपये की बचत से ११ चीनी मिलें बनायेंगी । इस सम्बन्ध में मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं कि संभवतया यह संस्थायें अपनी मनमानी मूल्य-व्यवस्था लागू कर दें । इसलिए मेरा सुझाव है कि एक संस्था के स्थान पर कई संस्थायें प्रादेशिक आधार पर इस प्रकार बनायें जिससे मूल्यों में प्रतिद्वन्द्विता रहे और एक प्रदेश से दूसरे में ले जाने के परिवहन के व्यय में भी मित-व्ययता की जा सके । इसके अतिरिक्त ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिए जिससे विदेशी सार्थ अपनी निधि मशीन बनाने में लगायें । मुझे पूरा विश्वास है कि इस विदेशी सहयोग से देश में मशीन बनाने के उद्योग का शीघ्र विकास हो जायेगा ।

†**श्री कमल सिंह** (बक्सर) : वाणिज्य और उद्योग दोनों ही के क्षेत्र में हम काफी पीछे हैं । जापान और चीन हम से कहीं आगे बढ़ गये हैं । वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने इसके लिये काफी-कुछ किया है । उद्योग के क्षेत्र में हम ने यथेष्ट प्रगति तो की है, लेकिन हमें अपने माल की किस्म पर अधिक जोर देना चाहिये ।

मंत्रालय के प्रतिवेदन में छोटे पैमाने के उद्योगों से सम्बन्धित प्रादेशिक संगठनों को हटा कर, उनके स्थान पर हर राज्य में एक बड़ी संस्था बनाने की बात कही गई है । वे सभी विकास आयुक्त के अन्तर्गत कार्य करेंगी । इससे बहुत सी गड़बड़ी भी मिट जायेगी और छोटे-छोटे उद्योगपतियो की सहायता भी अच्छे ढंग से की जा सकेगी । बम्बई और पटना के छोटे पैमाने के उद्योगों के प्रतिष्ठान उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं, जितनी कि दिल्ली के ओखला स्थित प्रतिष्ठान ने की है । अब इस पुनर्गठन से सभी स्थानों के प्रतिष्ठानों का कार्य ठीक किया जा सकेगा । इन प्रतिष्ठानों में मैंने कुछ चलती-फिरती गाड़ियां भी देखी हैं जो गांवों में जा-जा कर लोगों को बढ़ईगिरी और लोहारगीरी के काम सिखाती हैं । लेकिन, अभी हमें प्रतिष्ठान में ही किये जाने वाले कामों पर जोर देना चाहिये ।

दूसरी चीज़ मैंने यह देखी है कि ये सेवा प्रतिष्ठान अपनी औद्योगिक बस्तियों को सहायता तो देते हैं, पर वे कारखाना संस्थापित करने में सहायक नहीं होते । यदि औद्योगिक बस्तियों में एक बड़ा कारखाना भी रहे,तो उससे उन बस्तियों की छोटी-छोटी फैक्टरियों को बड़ी मदद मिलेगी । तब हर छोटी फैक्टरी को लेथ और अन्य मशीनें और उनके चालक रखना जरूरी नहीं होगा ।

हमारे देश में औजार और ठप्पे बनाने वाली कुछ गिनी-चुनी व्यवसायिक संस्थायें ही हैं । हर छोटी फैक्टरी में ऐसी व्यवस्था करना मुश्किल है । इसलिये मंत्रालय को इसके लिये कुछ बड़ी-बड़ी व्यावसायिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करना चाहिये ।

ओखला जैसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों से छोटे-छोटे उद्योगों को बड़ा लाभ होता है । वहां संचार के साधन, सस्ती बिजली, पानी, इत्यादि सभी उनके लिये सुलभ रहते हैं । वे एक-दूसरे की सेवाओं और औजारों, इत्यादि का भी उपयोग कर सकते हैं । द्वितीय योजना में जिन बड़ी-बड़ी औद्योगिक बस्तियों की योजना रखी गई है, शायद उन में से प्रत्येक की लागत ४०-५० लाख रुपये है । और छोटी बस्तियों पर २०-२५ लाख रुपये ही खर्च होंगे । औद्योगिक बस्तियां बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, लेकिन इसकी लागत ऋण के रूप में केन्द्र द्वारा ही जुटाई जायेगी ।

मंत्रालय के प्रतिवेदनों में बताया गया है कि द्वितीय योजना-काल में ११० औद्योगिक बस्तियों की योजना बनाई गई थी, लेकिन अभी तक कुल १७ पूरी बन पाई हैं । बाद के प्रतिवेदन में

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कमल सिंह]

बताया गया है कि २० पूरी बन चुकी हैं। योजना का लक्ष्य पूरा करने के लिये हमें और अधिक प्रयास करने पड़ेंगे।

इन बस्तियों के लिये भूमि का अर्जन करने और इमारतें खड़ी करने की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार को अपने ऊपर लेनी चाहिये।

हमारी कृषि में भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। भूमि पर इतने अधिक लोग निर्भर रहते हैं, कि उत्पादन उनके लिये पूरा नहीं पड़ता। इसलिये कृषि क्षेत्रों में, नये-नये उद्योग खोलने चाहियें। बिहार के दक्षिणी भाग में औद्योगिक बस्तियों की संस्थापना की जानी चाहिये, क्योंकि बड़े-बड़े उद्योग उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में ही सकेन्द्रित हैं।

उत्तर बिहार के उद्योगों के लिये विद्युत् की बड़ी आवश्यकता है। बरौनी के तापीय संयंत्र को पूरा बनने में अभी कई साल लग जायेंगे। इसलिये मंत्रालय को उसके काम में तेजी लाने पर जोर देना चाहिये।

दामोदर घाटी निगम भी दक्षिण बिहार को आवश्यकतानुसार विद्युत् नहीं जुटा पाया है। इसी कमी के कारण वहां एक प्रस्तावित शीत कोठार संयंत्र नहीं लगाया जा सका है।

कुछ लोगों का विचार है कि देश की हर १० या १५ लाख जनसंख्या के लिये, बहुप्रयोजनीय योजनाओं के अतिरिक्त एक तापीय संयंत्र भी होना चाहिये। शायद माननीय मंत्री का भी यही विचार है। लेकिन इस में वर्षों लग जायेंगे। लेकिन यदि दक्षिण बिहार की सोन बांध योजना की मंजूरी मिल जाये, तो हम १३,००० किलोवाट विद्युत अपने कृषीय क्षेत्रों के लिये जुटा सकते हैं। उससे छोटे पैमाने के उद्योगों को बड़ा लाभ होगा।

माननीय मंत्री को उस योजना को मंजूर कराने और कार्यान्वित कराने का प्रयास करना चाहिये।

†**श्री राजेश्वर पटेल** (हाजीपुर) : देश के औद्योगिक विकास की दृष्टि से इस मंत्रालय का भारी महत्व है। देश के सीमित संसाधनों को देखते हुए, इस मंत्रालय ने काफी सफलता प्राप्त की है।

इस मंत्रालय ने निजी और सरकारी क्षेत्रों के बारे में बड़ा संतुलित दृष्टिकोण बनाये रखा है। मंत्रालय ने १९४८ और १९५६ की औद्योगिक नीति को कार्यान्वित करने का यथाशक्ति प्रयास किया है। मैं अभी केवल मोटर उद्योग के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि मोटरों का मूल्य बढ़ जाने का कारण यह है कि मोटर खरीदने वाले लोग उन्हें अधिक मूल्य पर बेचते हैं। जब कि दूसरी ओर मोटरों की सब से अधिक खरीद करने वाले प्रतिरक्षा मंत्रालय का कहना है कि मोटरों के उद्योगपति ही गड़बड़ी करते हैं और इसीलिये उस मंत्रालय ने अपने युद्ध-सामग्री कारखानों में ही मोटरें तैयार करने की योजना बनाई है। ये दोनों एक-दूसरे की विरोधी दलीलें हैं। इन दोनों का मेल कैसे बैठाया जाये ?

मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस उद्योग की सहायता करने के उपायों की बात सोचें। १९४२ से पहले हमारे देश में कोई भी उद्योगपति मोटर-निर्माण का कारखाना खोलने के लिये तैयार नहीं था।

---

†मूल अंग्रेजी में

सब से पहले 'हिन्दुस्तान मोटर्स' ने ही इस उद्योग की संभावनायें समझी थीं । उस ने ही १९४२ में शत प्रतिशत भारतीय मोटरें बनाने का कार्यक्रम रखा था । लेकिन उसकी योजना में एक बड़ी त्रुटि यह थी कि वह एक ही कारखाने में सभी तरह की मोटरें तैयार करने की बात लेकर चली थी । 'हिन्दुस्तान मोटर्स' ने छोटी ही नहीं, बड़ी-बड़ी कारें और ट्रेक भी बनाने चाहे थे । अमरीका में भी एक मोटर उद्योग में केवल कुछ ही तरह की मोटरें तैयार की जाती हैं । वहां एक कारखाने में दो से ज्यादा प्रकार की मोटरें तैयार नहीं की जातीं । अमरीका बड़ी-बड़ी कारें तैयार करता है, और इंगलैण्ड छोटी-छोटी । जर्मनी में भी ज्यादातर एक ही किस्म की मोटरें तैयार होती हैं ।

यह एक बड़ा पेचीदा सा उद्योग है । इस उद्योग की सफलता की एक शर्त यह है कि मोटरों का निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर होना चाहिये, यानी मोटरों की मांग बहुत ज्यादा होनी चाहिये । लेकिन हमारे देश में १९४२ से पहले कभी भी २०,००० से ज्यादा मोटरों का आयात नहीं हुआ था । १९५१ तक मोटर-निर्माण के दो समवाय चलने लगे थे । सरकार ने उनकी सहायता के लिये ही १९५० या १९५१ से पूरी कारों का आयात बिलकुल बन्द कर दिया था ।

दूसरी बार, १९५३ में, सरकार ने मोटर उद्योग का पूरा मामला प्रशुल्क आयोग को सौंपा था । लेकिन इस आयोग ने, अन्य समस्याओं की भांति, मोटर उद्योग की समस्याओं पर भी ऊपरी ढंग से विचार किया । आयोग ने यह कभी सोचा ही नहीं कि हमारे देश में मोटरों की मांग बड़ी सीमित है और इसीलिये हमारे यहां आधे दर्जन किस्म की मोटरें बनाने वाले कारखाने खड़े नहीं किये जा सकते ।

आयोग ने बड़ी उदारता से एक सुझाव यह भी दिया था कि ७,००० तक की लागत की बेबीकारों का भी निर्माण होना चाहिये । लेकिन आयोग ने इस किस्म की आयात होने वाली कारों का मूल्य पता लगाने की चेष्टा तक नहीं की ।

आयात की जाने वाली ऐसी कारें हमारे यहां ४,००० रुपये से अधिक की नहीं पड़तीं । हमारे यहां के समवाय बहुत ही सीमित संख्या में कारें तैयार करते हैं, और अपने कारखानों का सारा अवक्षयण उन से ही वसूल लेना चाहते हैं । इसीलिये उपभोक्ता को उनका मूल्य ९,००० १०,००० रुपयों तक देना पड़ता है । इतना ही नहीं, 'हिन्दुस्तान मोटर्स' अपनी १७ साल की जिन्दगी में भी शत प्रतिशत भारतीय कार नहीं बना पाया है । और, मंत्रालय भी इन उद्योगों को यह नहीं बता पाया है कि भारत में उपयोगी कारों की, ऐसी कारों की जरूरत है जो हमारी ऊबड़-खाबड़ सड़कों के लिये उपयुक्त हों । हमारे देश में बहुत ही बढ़िया किस्म की कारों की जरूरत नहीं हैं ।

सरकार तो प्रशुल्क आयोग को पूरा मामला सौंपकर अलग बैठ गई । अभी-अभी एक चौथी समिति नियुक्त की गई है । लेकिन समिति की सिफारिशों से किसी में भी उत्साह पैदा नहीं हुआ है । उन सिफारिशों का परिणाम सिर्फ इतना हुआ है कि देशी कारों के मूल्य और चढ़ गये हैं ।

हमारे देश में रेलवेज़ इतनी विकसित नहीं हैं कि देश की आवश्यकतायें पूरी कर सकें । इसलिये मोटर उद्योग का महत्व बहुत ज्यादा है । लेकिन यदि सरकार वास्तव में इस उद्योग की सहायता करना चाहती है, तो उसे यहां निर्मित होने वाली कारों की किस्मों के बारे में एक निश्चित नीति अपनानी चाहिये ।

[श्री राजेश्वर पटेल]

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

हमारे देश में मोटर-निर्माण के समवाय आयात किये हुए हिस्सों और पुर्जों को संयोजित भर करते हैं। इन में से कुछ को बन्द करना जरूरी है; और एक समवाय को एक से अधिक किस्म की कार तैयार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। वह एक किस्म की कार भी एक निर्धारित मूल्य पर तैयार होनी चाहिये ।

†**श्री न० रं० घोष** (कूच बिहार) : चाय उद्योग की कुछ विशेषताएं हैं। पिछली तीन वर्ष की बिक्री को देखने से पता चलता है कि इसकी बिक्री बहुत कम रही है। इसका औसत मूल्य केवल १.४४ नया पैसा रहा है जो कि चाय के आर्थिक मूल्य से एक रुपया कम है।

मुझे मालूम है कि चाय उद्योग के प्रतिनिधियों के अभ्यावेदन के आधार पर माननीय मन्त्री महोदय ने कुछ सहायता दी थी किन्तु उससे तो समस्या का समाधान नहीं होता। अतः जब तक हम इसकी ओर अधिक ध्यान नहीं देंगे तब तक इस उद्योग को नहीं बचा सकेंगे। चाय उत्पादन के आंकड़ों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम विश्व में उत्पादित कुल चाय का ४० प्रतिशत उत्पादन करते हैं। विदेशी विनिमय को सबसे अधिक आय इसी चाय से होती है। पिछले साल हमने चाय से १०० करोड़ रुपये से भी अधिक विदेशी विनिमय की आय की थी।

चाय के इतने अधिक उत्पादन में से ६० प्रतिशत चाय साधारण चाय है। अपर (ऊपरी) आसाम तथा दार्जिलिंग में उत्पादित होने वाली जैसी चाय कहीं और नहीं पैदा होती। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई तो साधारण चाय के बारे में ही है क्योंकि इसमें बड़ी प्रतियोगिता होती है। सुना है कि चाय के उत्पादन को बढ़ाने के लिये चीनी बड़ा सक्रिय है। १९६० के अन्त तक वह ८६०० पौंड चाय उत्पादन करने लगेगा। इस प्रकार शीघ्र ही इस क्षेत्र में उसका महत्वपूर्ण स्थान हो जायेगा। चाय मंडल के अध्यक्ष ने अभी हाल में अपने भाषण में कहा था कि चीन किसी भी मूल्य पर अपनी चाय बेच सकेगा। ऐसी स्थिति में हमारे निर्यात को धक्का लगेगा। और चीन पूर्वी अफ्रीका, अर्जेन्टाइना तथा अन्य देश प्रतिस्पर्धा में हमें पीछे छोड़ देंगे। पूर्वी अफ्रीका भी चाय बागानों को बढ़ाने के लिये काफी प्रयत्न कर रहा है।

यदि इस उद्योग को बचाना है तो न केवल इसे शुल्क से मुक्त करना है बल्कि अन्य सुविधाएं भी देनी होंगी। इस पर इतना भारी कर है कि इसका प्रतियोगिता में ठहरना कठिन हो गया है। अतः इस पर भी बिचार करना है।

चाय उद्योग सारे साल नहीं चलता बल्कि साल के कुछ महीने में ही यहां कार्य होता है। छः महीने तक फसल के लिये तैयारी की जाती है और छः महीने फसल होती है। फसल करते समय प्रायः इस उद्योग में हड़ताल होती है जिससे छोटे-छोटे चाय बागानों पर इसका काफी प्रभाव पड़ता है। इन हड़तालों को गैर-कानूनी ठहराये जाने के बाद भी नियोजक श्रमिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। सरकार ही उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है क्योंकि हमारे यहां का कानून ही ऐसा है। श्रमिकों द्वारा आजकल मांग की जाती है कि काम के घंटे कम किये जायें तथा वेतन में वृद्धि की जाये और इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार की भी सुविधाएं दी जायें। अब यह देखना है कि क्या ऐसी स्थिति में यह उद्योग चल सकता है। हम देखते हैं कि जहां तक कि श्रमिकों के व्यवहार की बात है सरकार उसके लिये कुछ नहीं कर सकती। पहले ये लोग जाड़ों में ८ घंटे काम किया करते थे किन्तु अब काम के अनुसार मजदूरी की व्यवस्था लागू होने के पश्चात् काम खत्म हो जाने पर वे मजदूरी की मांग कर

---

†मूल अंग्रेजी में

सकते हैं। अतः जाड़े के दिनों में वहां काफी कठिनाई होती है, वहां अनुशासन की कमी है, काम की गुणिता भी कम हो गई है। मैं यह नहीं कहता कि आप श्रमिकों की मजदूरी कम करें बल्कि मेरा तो यह कहना है कि कम से कम आप इतना अवश्य देखें कि ये लोग अधिक से अधिक काम करें तथा काम की मात्रा व उसकी गुणिता को बढ़ावें। क्योंकि जब तक श्रमिक तथा नियोजक दोनों मिल कर काम नहीं करेंगे तब तक काम होना सम्भव नहीं है। और कोई भी उद्योग उन्नति नहीं कर सकता। जब हम विदेशों की ओर दृष्टिपात करते हैं तो हम देखते हैं कि वहां का उत्पादन मूल्य हमारे यहां की अपेक्षा बहुत कम है। मेरा निवेदन है कि वाणिज्य मन्त्री तथा श्रम मन्त्री दोनों मिल कर बैठें और नियोजकों तथा श्रमिकों के कामों को देखते हुए इस उद्योग के बारे में विचार करें। क्योंकि यह वह उद्योग है जो सबसे अधिक विदेशी विनिमय कमाता है तथा हजारों व्यक्तियों को काम देता है और यदि एक बार यह निर्यात क्षेत्र से पिछड़ गया तो यह देश के हित में नहीं होगा।

अतः मेरा निवेदन है कि कोई ऐसी समिति बनाई जाये जो यह प्रयत्न करे कि हड़तालों तथा तालाबन्दी के मामलों की संख्या को कम से कम कर दे। और धीरे-धीरे काम करो प्रणाली पर एक प्रकार से प्रतिबन्ध लगा दे। जाड़ों के दिनों में काम के घंटे निश्चित कर दिये जायें। और इस प्रकार वेतन कम किये बिना ही काम की गुणिता बढ़ जायेगी।

चाय उद्योग की लगभग ४० प्रतिशत लाभ सरकार को जाता है। चाय बागान मालिकों को कोई विशेष लाभ नहीं होता पिछले दो तीन वर्षों से ये उद्योग हानि में चल रहे हैं।

मन्त्रालय को चाहिये कि वह विदेशों में अधिक से अधिक मात्रा में चाय का प्रचार करे। अमरीका में चाय की काफी खपत होती है किन्तु वह भारतीय चाय का आयात अधिक नहीं करता। पश्चिम जर्मनी तथा मिश्र में भी चाय की खपत काफी होती है। अतः उपरोक्त देशों में चाय की खपत बढ़ाने के लिये हमें वहां अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिये। इससे इस उद्योग को कुछ लाभ होगा। अतः मेरा निवेदन है कि जब तक हम इस उद्योग की ओर ध्यान नहीं देंगे तब तक इसका भला नहीं होगा और इस उद्योग की हानि से न तो देश का ही भला होगा और न किसी अन्य व्यक्ति का ही।

†**श्री मनुभाई शाह** : हमें इस बात पर गर्व है कि हम इस मंत्रालय की नीति को कुशलतापूर्वक चलाने में गत वर्ष सफल हुए हैं। किन्तु साथ ही हम एक क्षण को यह नहीं भूलते कि इस मंत्रालय के ऊपर भारी उत्तरदायित्व है। राष्ट्रीय जीवन का आर्थिक तत्व उतना ही विशाल है जितना कि माननीय सदस्यों ने बताया है। विभिन्न विषयों के कारण यह विशालता और भी बढ़ जाती है। अतः ऐसी स्थिति में जबकि हमें इस महान् देश के औद्योगिक ढांचे का निर्माण करना है हमारे साथ देश की तथा इस सदन के सदस्यों की सद्भावनाएं होनी अत्यन्त आवश्यक हैं। यह सद्भावना हमारे बोझ को कम करेगी। जहां तक कि गत वर्ष का सम्बन्ध है इस मंत्रालय ने उससे बहुत कुछ सीखा है। विदेशी मुद्रा की स्थिति जो १९५७ के आरम्भ में पैदा हुई उससे हमें इतनी घबराहट पैदा नहीं हुई जितनी कि १९५८ में उस समय हुई जबकि विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था की सारी कमजोरियां हमें पूर्णतया नजर आने लगीं और जिन्हें देख कर हमें अपने देश की पहले की नीतियों की त्रुटियां स्पष्ट हो गईं क्योंकि उस समय विदेशी मुद्रा स्थिति का हमें पूरा ज्ञान नहीं था। वित्त मंत्री भूतकाल में कहते रहे हैं कि विदेशी मुद्रा की कठिनाई ने हमें सावधान कर दिया है। इस कठिनाई ने केवल देश की मूल नीति राष्ट्रीय महत्व को मजबूत बनाने में सहायता पहुंचाई है बल्कि सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में इस चुनौती का सामना करने के लिये छोटे-बड़े और मध्य वर्ग के संस्थान खोलने में सहायता दी है। हम भी उन देशों की भांति जिन्होंने भूतकाल में अपना विकास किया है यह बात भली भांति जान गये हैं कि प्रत्येक अविकसित देश के औद्योगीकरण के लय विदेशी विनिमय अत्यन्त आवश्यक है।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

विदेशी विनिमय के मामले में दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि निर्यात बढ़ा कर अधिक से अधिक विदेशी विनिमय कमाया जाये। श्री कृष्ण स्वामी ने निर्यात बढ़ाने के सभी पहलुओं पर अच्छा प्रकाश डाला है। मैं जानता हूं कि मेरे साथी श्री शास्त्री जी तथा श्री कानूनगो इस निर्यात समस्या के बारे में प्रकाश डालेंगे अतः मैं इसके लिये सदन का समय नहीं लूंगा।

निर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिये जो प्रयत्न किये गये हैं उनके बारे में सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं साथ ही मैं यह भी कह सकता हूं कि इन उद्योग निर्मित वस्तुओं का उत्पादन मूल्य घटाने के लिये जो सुझाव दिये गये हैं उन पर पूरा-पूरा विचार किया गया है जिससे कि विदेशी बाजारों में इनकी अधिक से अधिक बिक्री हो सके।

देश में उद्योग की लागत काफी अधिक है। विदेशी बाजारों में हमारे माल का मूल्य अधिक होता है। हमारे अपने देश में भी चीजों का मूल्य अधिक होता है क्योंकि उत्पादन की कमी के कारण लागत मूल्य काफी अधिक होता है। अतः मैं यह कहूंगा कि इसके लिये यह आवश्यक है कि हम अपना आयात बढ़ायें।

अगर सभा ७०० करोड़ अथवा ८०० करोड़ रुपये के आयात का विश्लेषण करें तो आपको इस बात का पता चल जायेगा कि यह राशि कच्चे माल के खरीदने में खर्च की जाती है। अभी दस वर्ष पहले तक हमारा देश परतन्त्र था। उस समय हमारा देश एक ऐसा बाजार बना हुआ था जहां कि सभी देश हमारे यहां अपनी-अपनी चीजें बेचा करते थे। हमारे यहां के व्यापारी निर्माता अथवा निर्यातक न होकर आयातक थे। अतः ऐसी स्थिति में हमारी औद्योगिक नीति तिहरी होनी चाहिये। पहली बात तो यह है कि हमें अपने देश को जल्दी से जल्दी कच्चे माल के मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाहिये।

कच्चे माल में सबसे पहले इस्पात का नम्बर आता है जैसा कि सभा को अच्छी तरह ज्ञात है कि इस क्षेत्र में काफी प्रगति की जा रही है। आशा है कि १९६२ के अन्त तक हम ४५ से ४८ लाख टन तक तैयार इस्पात बनाने लगेंगे। कुछ सदस्यों का विचार है कि हमारे पास कुछ बच भी जायेगा। किन्तु मेरा विचार ऐसा नहीं है। क्योंकि देश में उद्योगों के महत्व को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारा उत्पादन इतना ही होगा जिससे कि देश की मांग की पूर्ति की जा सके। हो सकता है देश की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए आगामी कुछ वर्षों में इसकी कमी भी हो जाये। लेकिन यह कमी दूर हो सकती है बशर्तेकि हमारे उत्पादन की प्रगति बढ़ती रहे।

इसके बाद औजार आदि बनाने के इस्पात का नम्बर आता है। इसके आयात पर काफी धन व्यय होता है। अतः हम एक ऐसे संस्थान की स्थापना करने के बारे में सोच रहे हैं जो इस प्रकार के इस्पात तथा अलाय बनायेगा। मैं आशा करता हूं कि हमारे देश के उद्योगपति इस क्षेत्र में शीघ्र ही कदम बढ़ायेंगे। एक सन्यन्त्र से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह सभी प्रकार के इस्पातों का निर्माण करने लगेगा। मैंने स्वीडन में एक ऐसा कारखाना देखा जहां ५०–६० तरह का इस्पात तैयार किया जाता है। इसलिये हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे देश के उद्योगपति विभिन्न प्रकार के इस्पातों के उत्पादन के महत्व को समझें और ऐसा उद्योग डालने के प्रति अपनी रुचि दिखायें। सरकार इस सम्बन्ध में उनकी यथा सम्भव सहायता करेगी।

इसके बाद अलौह धातुओं का प्रश्न है। काफी मात्रा में हम तांबा अल्यूमीनियम, सीसा आदि का आयात करते हैं। इस सम्बन्ध में सरकार जेवर संयंत्र के पूरा होने की राह देख रही है जहां से १०,००० टन जिंक तैयार हुआ करेगी। किन्तु यह बहुत कम है क्योंकि हमारे यहां कम से कम ७५,०००

टन जिंक की आवश्यकता है। हो सकता है कि तीसरी योजना के अन्त तक इसकी मांग बढ़ कर १ लाख टन तक हो जाये।

तांबे के लिये खेतड़ी खदान का सर्वेक्षण किया गया है। अतः मैं उद्योग पतियों से अपील करूंगा कि वे इस बात की प्रतीक्षा किये बिना कि हमारा देश अलौह धातु के मामले में जब तक आत्मनिर्भर नहीं हो जायेगा तब तक कुछ नहीं करेंगे, ठीक नहीं है उन्हें अपने काम के लिये आयातित अयस्क पर निर्भर रहना चाहिये। विदेशों में भी ऐसा ही हुआ है। कनाडा, जर्मनी और जापान इसके उदाहरण हैं। उन्होंने विदेशों से अयस्क का आयात किया है। फिर क्यों न तीसरी योजना में इन अलौह धातु की पूर्ति सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में—आयातित अयस्क के द्वारा की जाये।

भारी रासायनिकों की प्रगति के बारे में उस पुस्तिका में जिसका कि उल्लेख कुछ सदस्यों ने किया है, अच्छी तरह दिया गया है। पिछले सात वर्षों में १८० करोड़ रुपये का उत्पादन बढ़ा है। कास्टिक सोडा, सोडाएश, और सलफ्यूरिक एसिड तथा अन्य भारी रासायनिकों के मामलों में हम करीब-करीब आत्मनिर्भर हो चुके हैं। साथ ही मैं यह भी आश्वासन देता हूं कि हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि आगामी सात वर्षों में भारी रासायनिकों के मामले में हम देश को आत्मनिर्भर बना देंगे और यदि सम्भव हुआ तो निर्यात भी करने लगेंगे।

इसी प्रसंग में मैं बुनियादी तात्विक मध्यवर्ती वस्तुओं (बेसिक आर्गेनिक इन्टरमीजियरीज़) के निर्माण के सम्बन्ध में एक दूसरी बात कहूंगा। हम रंग और अन्य औषधियां बाहर से मंगाते रहे हैं। प्रतिवर्ष हम बाहर से ३० करोड़ से अधिक रुपये के सामान का आयात करते रहे हैं। जर्मनी की सहायता से जो कि शीघ्र ही फलीभूत हो जायगी—हम सरकारी क्षेत्र में ६१ बुनियादी रंगों के निर्माण के एकक लगाने में समर्थ हो जायेंगे। जब एक बार यह हो जायगा तो हम तृतीय योजना के दूसरे वर्ष में इन सब वस्तुओं में लगभग आत्म-निर्भर हो जायेंगे।

औषधियों के बारे में, मैंने सारा कार्यक्रम सभा के सम्मुख रखा था। गत वर्ष हमारा उत्पादन लगभग ४५ करोड़ रुपये का था। इस वर्ष इनके उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होगी। यह ५५ से ६० करोड़ रुपये तक हो सकता है। इसी के साथ मैं साथी पारुलकर की बात का उत्तर भी दूंगा जो कि उन्होंने "मर्कस" के साथ समझौते के बारे में कहा है। इस सम्बन्ध में मैं अनेक प्रश्नों के उत्तर दे चुका हूं। हमने इसका पूरा चित्र यहां उपस्थित किया है। वह दिन दूर नहीं जब दोनों संयंत्र अर्थात् "मर्कस" के साथ मिल कर और रूस की सहायता से स्ट्रेप्टोमाइसिन के दो कारखाने यहां लग जायेंगे। उसी समय पता लगेगा कि किस कारखाने में किस लागत पर कितना माल तैयार होता है। यह बात मैं सभा में अनेक बार कहता रहा हूं कि परियोजना सम्बन्धी बातों को उत्पादन की लागत पर ही आधारित न समझना चाहिये। हमें "पेंसिलिन" के बारे में तो पता है ही। प्राक्कलन तैयार करने के बाद भी बहुत सी बातें आज उपस्थित होती हैं और लागत में परिवर्तन आ जाते हैं। रूसी औषधि परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन को हम अन्तिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। यह बड़ी व्यापक योजना है। अलकली पदार्थ, एण्टीबायोटिक्स, सल्फा तथा अन्य शल्य-चिकित्सा सम्बन्धी उपकरणों का उत्पादन देश में लगभग ३५ से ४० करोड़ रुपये तक का हो जायेगा। शेष बातें तो श्रीमान्, राजनैतिक हैं। यदि माननीय मित्र चाहें कि वे अमुक प्रकार की शीशी की दवाई का ही प्रयोग करेंगे तो उनके लिए ऐसा कर दिया जायगा। किन्तु हम राजनीति में नहीं पड़ते। जो देश हमारी सहायता करना चाहे हम उसे स्वीकार करते हैं। हम दुनिया के प्रत्येक देश के साथ दोस्ती रखते हैं। हमने सोवियत रूस की सहायता भी प्राप्त की है और उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं।

दूसरी बात यह है कि आधारभूत कच्चे माल के अतिरिक्त जो हमारे आयात के मूल्य का ६० प्रतिशत है—विदेशी मुद्रा के क्षेत्र में दूसरी मुख्य वस्तु है मशीनें और संयंत्र। हम गत पांच सात वर्षों

[श्री मनुभाई शाह]

से इस दिशा में पूरा ध्यान नहीं दे सके। अब हमें विदेशी मुद्रा के क्षेत्र में जो अभाव की अनुभूति हुई है उससे हम पर्याप्त सजग हो गये हैं और हमने देश के भीतर ही मशीनों आदि के निर्माण की ओर ज्यादा ज़ोर दे रहे हैं।

सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि गत वर्ष हम ८० करोड़ तक के उत्पादन लक्ष्य पर पहुंच गये थे जबकि १९५१ में यह लक्ष्य केवल १०/११ करोड़ रुपये तक का ही था। इसके लिये मैं देश के उद्योगपतियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कार्य में हमारी सहायता की है। सरकारी क्षेत्र में भी यन्त्र निर्माण करने वाले कारखानें अभी स्थापित होंगे।

जहां तक भारी मशीनों के निर्माण का सम्बन्ध है, सभा उनकी स्थिति से पहले से ही अवगत है। रांची का संयंत्र तैयार हो रहा है। हमारा दल जेकोस्लावेकिया और मास्को में परियोजना के प्रतिवेदनों का अध्ययन करने के लिये गया है। यह कारखाना हमारे देश का गौरव होगा क्योंकि यहां पर कुछ बहुत भारी मशीनें बनेंगी जो कि एशिया के अन्य सुविकसित देशों में भी नहीं बनती हैं। यह कारखाना एक सम्पूर्ण संयंत्र बनायेगा जिस में रॉलिंग मिल, मरचेंट मिल, ब्लूचिंग मिल, भट्टियां, तेल और खनन उद्योग के विभिन्न उपकरण और भारी मशीनों के अन्य औजार भी बना करेंगे।

श्री मुरारका ने कहा कि क्या पूंजीगत उत्पादन के अनुपात को भी बनाये रखा जायगा। मैं उन्हें आश्वासन दिलाता हूं कि ४५ करोड़ रुपये के निवेश से २५ से ३० करोड़ तक के उत्पादन का अनुपात कायम रहेगा और शनै शनै यह ८० करोड़ होता हुआ १६० करोड़ तक हो जायगा। यह अनुपात पर्याप्त रूपेण आर्थिक होगा।

मैं श्री मुरारका का ध्यान भोपाल भारी इलैक्ट्रिकल्स परियोजना की ओर भी दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि ४०/५० करोड़ के निवेश के बावजूद भी १२ करोड़ का पुनरावरण होगा। जैसा कि सभा जानती है हमें परियोजना में क्रमिक कटौती करनी पड़ी। पहले दौर में निवेश की राशि भी कम कर दी गयी है। अभी कुछ दिन पहले मैं ने कहा था कि हम सारे कार्यक्रम का पुनरीक्षण करने जा रहे हैं और दो पालियां लागू कर रहे हैं। इससे निवेश राशि और उत्पादन के अनुपात में पर्याप्त सामंजस्य स्थापित हो जायगा।

यह सच है कि विद्युत् संयंत्र, विशेषकर टर्बो आलटरनेटर्स में, ट्रांसफार्मरों तथा अन्य रेक्टीफायर यंत्रों में यह अनुपात उतना संतुलित नहीं हो सकता जितना कि उपभोक्ता सामग्री में संभव है। मशीन निर्माण यंत्र के अतिरिक्त मैं कहना चाहूंगा कि गैर-सरकारी क्षेत्र में भी हम ने इस दिशा में काफी प्रगति की है। श्री रामकृष्ण ने चीनी संघ के बारे में कुछ कहा। मैं उन्हें आश्वासन दिलाता हूं कि आरम्भ ही से यह एक अस्थायी सा मामला रहा है। यह कोई एकाधिकारपूर्ण संघ नहीं है और न ही यह समवाय अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध कोई संस्था है। दो संघ बने हुए हैं जिन में तीन तीन कारखाने सम्मिलित हैं और इनका उद्देश्य चीनी का प्रेषण करना मात्र है। मैं माननीय मित्र को विश्वास दिलाता हूं कि ये संघ एकाधिपत्य का रूप कदापि धारण न करेंगे। जब उनका अस्थायी मंतव्य पूरा हो जायगा तब उनमें से प्रत्येक अलग से चीनी का उत्पादन करन लगेगा।

जहां तक तालात्ज खींचने का सम्बन्ध है, उस क्षेत्र में भी हम ने पर्याप्त प्रगति की है। इस की सारी मशीनों का निर्माण भी देश में हुआ करेगा। आगामी दो वर्षों में ६६ प्रतिशत दैनिक उत्पादन से आरम्भ करके हम शीघ्र ही इस दिशा में आत्मनिर्भर हो जायेंगे।

खैर इस समय मैं यंत्र निर्माण करने वाले विभिन्न प्रक्रमों के बारे में कुछ न कहूंगा । मैं इस समय केवल सभा को यह आश्वासन दिला देना चाहता हूं कि तीसरी योजना के अन्त तक हमें देश में ३०० से ३५० करोड़ तक की मशीनरी की आवश्यकता होगी और हम ८० से ८५ प्रतिशत का निर्माण देश में ही दोनों क्षेत्रों में कर लिया करेंगे । जब तक हम भारी मशीनों का निर्माण देश में ही न करने लग जायें तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता ।

इससे पश्चात् छोटे उद्योगों की बारी आती है । सभा में छोटे उद्योगों के बारे में जो संतोष प्रकट किया गया है उसके लिये मैं संसत्सदस्यों को धन्यवाद देता हूं । छोटे उद्योगों से मेरा तात्पर्य खादी, अम्बर चर्खा, रेशम, नारियल जटा उद्योग आदि से है । द्वितीय योजना की २०० करोड़ रुपये की व्यवस्था इसके लिए अपर्याप्त है । हम उसे व्यय कर चुके हैं और योजना आयोग इत्यादि से कहते रहे हैं कि यदि देश का सामूहिक औद्योगिकरण करना है तो निश्चित रूप से हमें देश के कोने-कोने में छोटे उद्योगों की स्थापना करनी होगी । इस कारण तृतीय योजना में अधिक धन की व्यवस्था करनी होगी । जब तक ५००/६०० करोड़ रुपये की व्यवस्था इस सम्बन्ध में नहीं की जाती तब तक सामूहिक देश की औद्योगिक प्रगति करना संभव नहीं दीखता । मैं यह आश्वासन भी दिलाता हूं कि हम यहां हरेक पाई को भी बड़े सोच समझ कर व्यय करेंगे ताकि उससे अधिक से अधिक रोजगार की व्यवस्था हो सके और रोजगार भी लाभदायक ही हो । यह तभी हो सकता है जब कि पर्याप्त धन-राशि उपलब्ध हो । लाभप्रद रोजगार की व्यवस्था के लिए इससे अधिक कोई भी साधन नहीं कि हम लघु उद्योगों को देश में उन्नत करें ।

इस प्रश्न पर भी मैं अब अधिक कुछ न कहूंगा क्योंकि मैं दूसरे विषय की ओर भी जाना चाहूंगा जिस का उल्लेख श्री मुरारका ने किया है अर्थात् उद्योग (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५१ । योजना क्रम के पश्चात् इस अधिनियम में अनेक परिवर्तन हो चुके हैं । प्रथम योजना में भी कुछ सीमा तक उद्योग सम्बन्धी तत्व का समावेश था । दूसरी योजना में तो उद्योगों पर ज़ोर दिया ही गया । इसी के साथ खेती बाड़ी पर भी काफ़ी ज़ोर दिया गया है । यदि हम इस देश की जनता का जीवन-स्तर बढ़ाना चाहते हैं तो देश में अधिक कारखाने लगाने से ही यह समस्या हल की जा सकती है । जहां तक अधिनियम के पुनरीक्षण का संम्बन्ध है सदैव उस पर विचार किया जाता है । हम सदैव उसकी त्रुटियों को दूर करने के लिये आतुर रहते हैं । प्रधान मंत्री द्वारा १९५६ में दिया गया उद्योग नीति सम्बन्धी वक्तव्य एक बड़ा व्यापक वक्तव्य है । अतः अभी उस अधिनियम के पुनरीक्षण का कोई विशेष आवश्यकता नहीं है । इससे देश की पर्याप्त आर्थिक उन्नति हो रही है ।

इस अधिनियम में, श्री मरारका ने बताया हमें दो चीज़ों से सावधान रहना चाहिए । एक तो यह कि कुछ लोगों के हाथों में आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण न हो । यदि आप इस सम्बन्ध में दी जाने वाली अनुज्ञप्तियों की ओर ध्यान से देखेंगे तो ज्ञात होगा कि इस क्षेत्र में बहुत से नये उपक्रमी आ रहे हैं और आर्थिक स्थिति के ढांचे की बुनियाद अधिक व्यापक और विशाल बनाई जा रही है । हम ने इस बात से बचना है कि कुछेक लोगों के हाथों में ही उद्योगों का एकाधिपत्य न आने पावे । मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि हम ने इस ओर पूरी सावधानी से निगाह रखी है । किन्तु दुख तो इस बात का है कि बहुत बार नये लोग मैदान में नहीं आते । यह स्वभाविक ही है कि उनकी प्रतीक्षा नहीं की जा सकती । हमें तो यह देखना है कि चाहे किसी भी प्रकार हो उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए । किन्तु तब भी हम यह ध्यान रखते हैं कि एक हाथ में आधक सत्ता न आन पावे ।

दूसरा प्रश्न क्षेत्रीय पिछड़ेपन से सम्बन्धित है । इस सम्बन्ध में मुझे सभा के साथ पूरी सहानुभूति है । मैं भी उस क्षेत्र का निवासी हूं जोकि १९४७ तक दोहरी दासता की जंजीरों से जकड़ा

[श्री पनुभाई शाह]

हुआ था। इस कारण मुझे इस क्षेत्रीय पिछड़ेपन का पूरा-पूरा भान है। यों तो समूचे देश की औद्योगिक प्रगति ही अत्यन्त साधारण है इस कारण जब तक देश के औद्योगीकरण की गति को तेज और गहन नहीं बनाया जाता तब तक इस प्रकार की असमानताओं को दूर करना कठिन हो जायगा, यद्यपि इन्हें कम तो धीरे-धीरे किया ही जायेगा।

यदि हम अनुज्ञप्तियों का विश्लेषण करें तो उन से भी ठीक-ठीक नक्शा हमारे सामने प्रस्तुत नहीं होता। बहुत से प्रसार करने वाले उद्योग वर्तमान उद्योग ही हैं और इन अनुज्ञप्तियों को नये एककों के साथ ही मिश्रित किया जाता है। मैं ने स्वयं इसका विश्लेषण किया था। बहुत सी अनुज्ञप्तियां तो प्रसार के लिये थीं। जब नयी अनुज्ञप्तियां दी जाती हैं तो सब से पहले उन क्षेत्रों या जिलों को प्राथमिकता दी जाती है जिन में बहुत कम कारखाने लगे हुए हैं।

जहां तक प्रसार का सम्बन्ध है, यह आवश्यक नहीं कि एक कारखाने का प्रसार उसी स्थान पर हो जहां वह लगा हुआ है। किन्तु हम तब भी पिछड़े क्षेत्रों का ध्यान रख रहे हैं। दूसरे पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये हम ने लघु स्तरीय उद्योगों के प्रतिष्ठान बनाये हैं। हम ने प्रतिवेदन में इनका विशेष उल्लेख भी किया है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को निरन्तर हिदायतें दी जा रही हैं कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाये।

कल एक ऐसे राज्य के मुख्य मंत्री ने, जहां काफी उद्योग हैं, कहा कि उनका राज्य भी पिछड़ा हुआ है। इसी प्रकार बम्बई के एक मित्र ने कहा कि बम्बई नगर को छोड़कर शेष सारा राज्य भी औद्योगिक दृष्टि से अविकसित है। यही शिकायत हमें देश के प्रत्येक भाग से मिल रही है। अब यदि हम इस सारे चित्र को आसाम, राजस्थान, उत्तर बिहार, आदि राज्यों के संदर्भ से देखें तो हमें विदित हो जायगा कि देश का कल्याण तभी हो सकता है जब सारे देश में उद्योगधंधों का जाल बिछा दिया जाय। हम उसी ध्येय को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरी योजना बनाते समय भी हम समझते हैं यह ध्यान रखा जायगा कि अधिकाधिक उद्योग उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किये जायें जहां अब ज्यादा औद्योगिक प्रगति नहीं है।

चीनी, वस्त्रोद्योग तथा सीमेंट के मामले में हम नये कारखानों की अनुज्ञप्तियां उन क्षेत्रों के लिए नहीं दे रहे जहां यह पहले से ही हैं। उत्तर प्रदेश में जहां १२ चीनी कारखाने लगाने की अनुज्ञप्तियां दी गयी हैं वहां ६० कारखाने अन्य स्थानों पर लगाने की अनुज्ञप्तियां दी गयी हैं। हम उद्योगों के ठीक वितरण का यथेष्ठ प्रयास करते हैं। जिन क्षेत्रों में सीमेंट का अभाव है हम उन्हीं में नये कारखाने लगाने की अनुमति प्रदान कर रहे हैं।

सारांश यह है कि जो बातें श्री मुरारका ने कहीं उन सब को ध्यान में रख कर पहले से ही सरकार उचित कार्यवाही कर रही है।

अन्ततः मैं सभा का ध्यान वस्त्रोद्योग के कारखानों के आधुनिकीकरण के लिये बनी राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की योजना की ओर भी दिलाना चाहता हूं। यह योजना पांच वर्ष की लघु कालावधि के लिये ऋण देकर चलायी जाने वाली योजना है और इसका उद्देश्य यह है कि वस्त्रों के कारखाने सर्वेक्षणों तथा लम्बी जांच पड़तालों के चक्कर में फंसने की बजाय नवीन मशीनों को भारतीय निर्माताओं से खरीद सकें और इस योजना से फायदा उठा सकें। मुझे आशा है कि वस्त्रोद्योग, जो देश के उद्योग का आधार है, इस योजना से पूरा फायदा उठायेगा और पटसन के कारखानों की भांति शीघ्रातिशीघ्र नवीन परिस्थितियों के अनुसार ढल कर देश को भी फायदा पहुंचायेगा।

अनुदानों की मांगों पर मुखबन्ध के बारे में

†**संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा)**: आपकी अनुमति से मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाना चाहता हूं। कार्यक्रम के अनुसार हम डेढ़ घंटा पीछे हैं। इस कारण सभा को अनुदानों की मांगों पर मुखबंध के बारे में निश्चय कर लेना चाहिए। शनिवार को ३-३० म० प० पर हमें गैर-सरकारी कार्य लेना होगा। सामान्यतया मुखबंध ५ बजे लागू होता है। किन्तु शनिवार को हमारे पास पूरा समय नहीं है। इस कारण मुखबंध के बारे में अभी से सभा को निश्चित रूप से ज्ञात हो जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय से हम ने परामर्श कर लिया है उन के बारे में वे आप को बता देंगे। एक तो यह हो सकता है कि हम शनिवार को ढाई घंटे तक गैर सरकारी कार्य लें और फिर सभा १½ घंटा तक देर से बैठे। दूसरे यह कि वित्त मंत्री सोमवार को उत्तर दें। उस हालत में उसी दिन विनियोग विधेयक पुरःस्थापित करना होगा और तब आपको पूर्व-सूचना की शर्त हटानी होगी। सोमवार को आप हमें विनियोग विधेयक पुरस्थापित करने दें और पारित करने का भी प्रस्ताव रखने दें। इस विधेयक को कार्यक्रमानुसार २१ अप्रैल तक समाप्त करना है ताकि दूसरी सभा से यह २८ अप्रैल तक वापस आ जाये। ये कठिनाइयां हैं जो मैं सभा के समक्ष रख रहा हूं।

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : दूसरा विकल्प यह है कि यदि सभा चाहे तो वित मंत्रालय का १½ घंटे का समय कम किया जा सकता है। हम यह काम ३-३० तक समाप्त कर सकते हैं।

†**अनेक माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : वित्त की मांगें तो बड़ीं महत्वपूर्ण हैं। हम गैर-सरकारी कार्य अगले दिन भी कर सकते हैं।

†**श्री प्रभातकार** (हुगली) : हम साढ़े छः बजे तक बैठ कर इसे समाप्त कर सकते हैं।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : यदि माननीय सदस्य सहमत हों तो हमें क्या आपत्ति है किन्तु दुख की बात तो यह है कि छः बजे के बाद यहां सदस्य नहीं रहते।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह केवल डेढ़ घंटे का ही तो मामला है ? मेरा सुझाव यह है कि हम गैर सरकारी कार्य शनिवार को ३-३० बजे के स्थान पर १२ बजे शुरू कर दें और २-३० बजे के बाद जब तक बैठा जा सके बैठें और मांगों को समाप्त कर दें। खैर, अधिकांश सदस्य यह चाहते हैं कि वित्त मंत्री सोमवार को वाद-विवाद का उत्तर दें। इसलिये वह सोमवार को ही उत्तर दें। विनियोग विधेयक भी उसी दिन पुरस्थापित किया जा सकता है और निपटाया जा सकता है।

इसके पश्चात् लोक सभा, गुरुवार, १६ अप्रैल, १९५९/२६ चैत्र, १८८१ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

[बुधवार, १५ अप्रैल १९५९ / २५ चैत्र, १८८१ (शक)]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		५४७९—५५०४
तारांकित प्रश्न संख्या		
१८२९	सिक्का पत्तन का विकास	५४९७–८०
१८३०	स्टेशनों पर बिजली लगाना	५४८०—८२
१८३१	नौवहन भाड़ा दर	५४८२–८३
१८३२	दिल्ली में परिवहन सुविधायें	५४८३—८५
१८३३	पंजाब में सुधार कर	५४८५—८७
१८३४	कृषि भूमि पर पानी भर जाना	५४८७–८८
१८३५	दम दम हवाई अड्डे पर पाकिस्तानी विमान	५४८९–९०
१८३७	बम्बई स्टीम नेवीगेशन कम्पनी	५४९०
१८३८	भारतीय औषधियों सम्बन्धी गवेषणा	५४९१–९२
१८४०	फ्रण्टियर मेल की एक बोगी में आग लगने की घटना	५४९२–९३
१८४१	राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड	५४९३—९५
१८४२	इम्फाल तमंगलांग सड़क	५४९५–९६
१८४३	आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ नियन्त्रण	५४९६—९८
१८४५	काकीनाडा पत्तन और बस्तर के बीच रेलवे लाइन	५४९८
१८४६	प्रकाश स्तम्भ	५४९८
१८४७	मोकामा में गंगा पर पुल	५४९८–९९
१८४९	सामुदायिक विकास के लिये निधि आवंटन	५५००
१८५०	विलिंग्डन अस्पताल	५५००—०२
१८५१	प्रदीप पत्तन	५५०२–०३
१८५२	रेलवे इंजन	५५०३–०४

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर ५५०४–३८

तारांकित
प्रश्न संख्या

१८३६	पली किमेडी लाइट रेलवे	५५०४
१८३९	पटना में गंगा नदी पर रेल और सड़क का पुल . .	५५०४-०५
१८४४	इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा वाइकाउण्ट विमानों का उपयोग	५५०५
१८४८	बर्दबान-आसनसोल सेक्शन पर बिजली से गाड़ियां चलाना .	५५०५
१८५३	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कार्यालयों में प्रयोग किये जाने वाले नक्शे	५५०५-०६

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३०३२	पटसन की खेती . .	५५०६
३०३३	पंजाब में मलेरिया कार्यक्रम . . .	५५०६
३०३४	पश्चिम रेलवे पर शटल-ट्रेन-सर्विस . . .	५५०६
३०३५	उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में भोजन व्यवस्था करने वाले	५५०६
३०३६	उत्तर रेलवे पर भोजन व्यवस्था .	५५०७
३०३७	पंजाब की सिंचाई योजनायें .	५५०७
३०३८	मीन क्षेत्र . . .	५५०८
३०३९	बम्बई में बीज फार्म . . .	५५०८
३०४०	आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति	५५०८
३०४१	ब्रह्मपुत्र नदी का पुल . . .	५५०८-०९
३०४२	पूर्व रेलवे की भूतपूर्व अनाज की दुकानों के कर्मचारी .	५५०९
३०४३	असिस्टेंट सर्जन . . .	५५०९-१०
३०४४	स्टेशनों पर पब्लिक साइडिंगें .	५५१०
३०४५	हिन्दूमल कोट गंगानगर लाइन . .	५५१०
३०४६	उत्तर प्रदेश में गोदामों के किराये . .	५५१०
३०४७	उत्तर प्रदेश में सिंचाई तथा विद्युत् परियोजनायें .	५५११
३०४८	कृषि का विकास . . .	५५११
३०४९	प्याज	५५१२
३०५०	वनस्पति घी	५५१२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३०५१	कलिंगापतनम् पार्वतीपुरम् लाइन	५५१२
३०५२	पंजाब में सड़कों का निर्माण	५५१२-१३
३०५३	टेलीफोन के कनैक्शन	५५१३-१४
३०५४	मेल तथा एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहरना . . .	५५१४
३०५५	रेलगाड़ियों/का बिजली से चलाने के लिये आर्डर . .	५५१४-१५
३०५६	रेलों का डीजल इंजनों से चलाया जाना .	५५१५
३०५७	पंजाब में सड़कों का निर्माण .	५५१५
३०५८	फसलों को क्षति	५५१५-१६
३०५९	चण्डीगढ़ के डाक तथा तार घर की इमारत . .	५५१६
३०६०	अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, १९५६ के अधीन नियम	५५१७
३०६१	पश्चिमी बंगाल में चावल की वसूली . . .	५५१७
३०६२	डाक तथा तार विभाग के महिला कर्मचारी . .	५५१७
३०६३	अखिल भारतीय खाद सम्बन्धी सम्मेलन . . .	५५१८
३०६४	दिल्ली में सिंचाई एकक	५५१८
३०६५	चिकलथाना हवाई अड्डे (औरंगाबाद) पर डाक तथा तार सम्बन्धी सुविधायें .	५५१८-१९
३०६६	समस्तीपुर-नरकटियागंज रेलवे लाइन . .	५५१९
३०६७	राज्यों द्वारा खाद्यान्नों की वसूली .	५५१९
३०६८	रेलवे अधिकारियों की भर्ती . .	५५१९-२०
३०६९	दिल्ली की तांगा-रेढ़ा यूनियन द्वारा हड़ताल .	५५२०
३०७०	पराम्बूर में रेल के डिब्बों का निर्माण .	५५२०
३०७१	उड़ीसा में तल जल निस्सारण योजना .	५५२१
३०७२	बहूदा नदी परियोजना . .	५५२१
३०७३	डाक तथा तार कर्मचारियों को ड्यूटी भत्ता .	५५२२
३०७४	भारतीय सहकारी यूनियन . .	५५२२
३०७५	मद्रास राज्य में खाद्यान्नों का उत्पादन . . .	५५२३
३०७६	रक्त बैंक	५५२३
३०७७	रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सुविधायें . . .	५५२३-२४
३०७८	डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये मकान .	५५२४-२५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३०७९ मद्रास मदुरै विमान सेवा . . ५५२५
३०८० वन गवेषणा संस्था, देहरादून . . ५५२५-२६
३०८१ मद्रास राज्य में गन्ने का विकास . ५५२६
३०८३ डाकिये के पद पर एक महिला की नियुक्ति ५५२६
३०८४ कुष्ठ का उन्मूलन . . . ५५२६-२७
३०८५ सेवान छपरा लाइन ५५२७-२८
३०८६ भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा ७१ एच के अधीन अपराध ५५२८
३०८७ भारत सेवक समाज . ५५२८
३०८८ हिमाचल प्रदेश में वृक्षों को काटना . . ५५२८-२९
३०८९ रेलवे के प्लाटों के लिये खान स्वामियों के आवेदन . ५५२९
३०९० महेन्द्रगढ़ जिले में डाक व तार की सुविधायें . ५५२९
३०९१ रेलवे वर्कशाप, खड़गपुर . . ५५३०
३०९२ लेटर बाक्स . . ५५३०
३०९३ रेलवे सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन . ५५३०
३०९४ स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन . . ५५३०-३१
३०९५ खाद्य तथा कृषि सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन . ५५३१-३२
३०९६ परिवहन तथा संचार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन ५५३२
३०९७ छपरा में डाक व तार कालोनी ५५३३
३०९८ उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय भांडागार ५५३३
३०९९ कोटा बांध . ५५३३
३१०० हिमाचल प्रदेश में भूमि का कटाव ५५३३-३४
३१०१ एजूकेशनल ठेके ५५३४
३१०२ रेल दुर्घटना . ५५३४
३१०३ गलगण्ड रोग नियन्त्रण . ५५३५
३१०४ हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शनियां और मेले . . . ५५३५-३६
३१०५ रोपड़ और नंगल बांध के बीच स्टेशनों पर बिजली लगाना ५५३६
३१०६ प्रकाशदीपो और प्रकाशपोतों में कर्मचारियों का प्रशिक्षण ५५३६
३१०७ गांवों में सड़कों का विकास . . . ५५३६-३७
३१०८ अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां ५५३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर— विषय पृष्ठ

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३१०९ चीनी का उत्पादन . . ५५३७
३११० मनीपुर में सरकारी फार्म . . ५५३७
३१११ सुरैमनपुर और रेवती के बीच रेल मार्ग . ५५३८
३११२ रेडियो ओपरेटर्स कोर्स ५५३८
३११३ रेलवे में चोरियां . ५५३८

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ५५३९

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाले दिनांक २८ मार्च, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३५८ की एक प्रति।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन-उपस्थापित . ५५३९

सैंतालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

अनुदानों की मांगें . . . ५५३९–६३, ५५६४–८६

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा समाप्त हुई। मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

याचिकाओं का उपस्थापन . . ५५६३-६४

श्री रा० चं० माझी ने निम्नलिखित याचिकायें उपस्थापित कीं :—

(१) लकड़ी के कोल्हू से तैयार किये गये तेल पर उत्पादन शुल्क के बारे में तीन याचिकाकारों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका।

(२) वनस्पति असारीय निर्गन्ध तेलों पर उत्पादन-शुल्क के बारे में एक याचिकाकार द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका।

गुरुवार, १६ अप्रैल, १९५०/२६ चैत्र, १८८१ (शक) के लिये कार्यावलि—

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा तथा वित्त मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा।